स्पष्टीकरण प्रदान करने में, दिशानिर्देशों की शर्तों को समझने में संभावित आवेदकों की सहायता करने का प्रयास किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण प्रश्नविशिष्ट हैं, इन्हें दिशानिर्देशों के समग्र संदर्भ में पढ़ा जाए।

प्रश्न 1. क्या एनओएफएचसी के लिए प्रवर्तकों के रूप में व्यक्तियों का होना अनिवार्य है?

प्रश्न 2. जहां एनओएफएचसी का प्रवर्तक 2(सी)(ii)(बी) की शर्त को पूरा करता है, क्या व्यक्तिगत प्रवर्तक/उसके रिश्तेदार/संस्थाएं जिसमें वे 50 प्रतिशत से अधिक शेयर रखते हैं, को एनओएफएचसी में इक्विटी शेयर रखना चाहिए [2(सी) देखें] (ii) (ए)]।

प्रश्न 3. जहां प्रवर्तक एक व्यक्ति, उसके रिश्तेदार व संस्थाएं है जिसमें वे 50% से अधिक शेयर रखते हैं, क्या यह आवश्यक है कि प्रवर्तक, उसके रिश्तेदार, संस्थाएं जिनमें वे 50% से अधिक शेयर रखते हैं, को एनओएफएचसी में इक्विटी शेयर रखना चाहिए [2 देखें] (सी) (ii) (ए)]। दूसरे शब्दों में, क्या व्यक्तिगत प्रवर्तकों/उनके रिश्तेदारों/उनकी संस्थाओं द्वारा शेयर रखना एक पूर्व-आवश्यकता है?

प्रश्न 4. चूंकि इस दिशानिर्देश में उल्लेख है कि एनओएफएचसी की पूंजी संरचना में मद (ए) और मद (बी) शामिल होंगे, क्या यह अनिवार्य होगा कि एनओएफएचसी इक्विटी का एक हिस्सा (10% से अधिक नहीं) प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी भी व्यक्ति, अपने रिश्तेदारों/संस्थाओं सहित धारित होना चाहिए, जिसमें वह और/या उसके रिश्तेदारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हैं?

उ. (1 से 4) यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति और उसकी संबंधित पार्टियों के पास एनओएफएचसी में शेयरधारिता हो। हालाँकि, यदि प्रवर्तक समूह से संबंधित कोई व्यक्ति एनओएफएचसी का प्रवर्तक बनना चाहता है, तो वह अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित) के साथ और ऐसी संस्थाओं के साथ जिसमें उसके और/या उसके रिश्तेदारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हैं, वह एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकते हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (ए)]

प्रश्न 5. क्या यह संभव है कि एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक के पास 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी के शेयर न हो ऐसे दस स्वतंत्र व्यक्ति प्रवर्तक हों और वे एनओएफएचसी की स्थापना करें?

प्रश्न 6. क्या 10 या अधिक असंबंधित व्यक्ति प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एनओएफएचसी में 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं?

प्रश्न 7. क्या 10 एकल प्रवर्तक जिनके पास अकेले 10% से अधिक शेयर नहीं हैं, वे भी एनओएफएचसी स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि 2सी(ii)(बी) में उल्लेख किया गया है?

उ.(5 से 7) नहीं। एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर प्रवर्तक समूह की कंपनियों के पास होनी चाहिए, जिसमें ऐसी कंपनियों की इक्विटी की जनता के पास कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग हो। यदि 10 स्वतंत्र व्यक्ति एक समूह बनाते हैं, तो ऐसा समूह एनओएफएचसी रखने के लिए निर्धारित उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा नवगठित प्रवर्तक समूह 'उचित और उपयुक्त' मानदंडों में से एक को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके लिए प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों के पास कम से कम 10 वर्षों के लिए अपना व्यवसाय चलाने का एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना आवश्यक है। अनिवार्य रूप से, उद्देश्य यह है कि मौजूदा समूहों को बैंकों की स्थापना करनी चाहिए न कि इस उद्देश्य के लिए समूहों की स्थापना करनी चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग ले सकते हैं। जबकि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित) और संस्थाओं के साथ जिसमें वह और / या उसके रिश्तेदार 50 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर रखते हैं, वे एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों के वोटिंग इक्विटी शेयर रख सकते हैं लेकिन यह 10 प्रतिशत से अधिक न हो, ऐसे सभी व्यक्ति (उनके रिश्तेदारों और ऊपर निर्दिष्ट कंपनियों के साथ) उनकी संख्या को ध्यान में लिए बिना , एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों के 49 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं रख सकते (चूंकि प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियां, जिनमें जनता के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत से कम शेयर नहीं है, वे एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयर जो 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, धारित कर सकते है। [पैरा 2 (सी) (ii) (ए) और (बी) दिशानिर्देशों के]

प्रश्न 8. क्या किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के लिए एनओएफएचसी का प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह होना अनिवार्य है? क्या इसका मतलब यह है कि ऐसी प्रवर्तक समूह की कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां होनी चाहिए जहां जनता के पास वोटिंग शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा हो?

प्रश्न 9. शर्त 2(सी)(ii)(बी) के संदर्भ में, क्या कंपनियां जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं, जहां जनता के पास वोटिंग पूंजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं है, उन्हें बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन के समय सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में होना चाहिए ? क्या इन कंपनियों को सूचीबद्ध बने रहना आवश्यक है?

प्र.10 2(सी)(ii)(बी) के संबंध में, ऐसी कंपनियां जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं, जहां जनता के पास वोटिंग पूंजी का 51% से कम हिस्सा नहीं है, क्या वह एक सूचीबद्ध कंपनी होनी चाहिए?

प्र.11 क्या प्रवर्तक समूह के हिस्से के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी होना अनिवार्य है?

प्र.12 2(सी)(ii)(बी) के संबंध में, क्या प्रवर्तक समूह के हिस्से के रूप में एनओएफएचसी में 51% से अधिक शेयरधारिता वाली सार्वजनिक कंपनी होना अनिवार्य है?

प्र.13. कृपया यह भी स्पष्ट करें कि क्या किसी इकाई में 'सार्वजनिक' शेयरधारिता उस इकाई के इक्विटी शेयरों की सूची का अनुमान लगाती है

उ.(8 से 13) यह आवश्यक है कि प्रवर्तक समूह की कंपनियां जिनमें जनता के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का प्रतिशत 51 प्रतिशत से कम नहीं है, वे एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों के 51 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा धारित कर सकते है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी)]

जिस कंपनी में जनता की हिस्सेदारी 51 फीसदी है, उसे सूचीबद्ध होना जरूरी नहीं है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'सार्वजनिक शेयरधारिता' का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित) और ऐसी संस्थाओं के साथ जिसमें वह और / या उसके रिश्तेदार वोटिंग इक्विटी शेयर की 50 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, उसकी शेयरधारिता के आधार पर या अन्यथा, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) का प्रयोग करता है।

प्र.14. क्या यह शर्त (सूचीबद्ध कंपनी द्वारा 51 प्रतिशत शेयरधारिता) केवल निजी क्षेत्र की संस्थाओं / समूहों के लिए लागू होती है जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हैं?

उ. हाँ। यह शर्त (एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का हिस्सा जो 51 प्रतिशत से कम न हो, उन प्रवर्तक समूह में कंपनियों द्वारा धारित किया जाना है, जिनके पास 51 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता से कम हिस्सा नहीं है) प्रवर्तक समूह में उन कंपनियों के लिए लागू है जो निजी क्षेत्र जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हैं [औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) प्रेस नोट संख्या 2, 3 और 2009 के प्रेस नोट संख्या 2, 3 और 4 में परिभाषित के रूप में/फेमा विनियम समय-समय पर संशोधित]। हालांकि, इस तरह की कंपनी को सूचीबद्ध होना जरूरी नहीं है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) और (सी) (ii)]

प्र.15. चूंकि मौजूदा एनबीएफसी वाले प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों को एनओएफएचसी स्थापित करना होगा, क्या ऐसे एनओएफएचसी को भी 51 प्रतिशत सार्वजनिक होल्डिंग शर्त का पालन करना होगा?

उ. एनओएफएचसी पर प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। हालांकि, एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर प्रवर्तक ग्रुप की कंपनियों के पास होने चाहिए, जिसमें जनता के पास उन कंपनियों की वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं होना चाहिए। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (ii) (बी)]

प्र.16. यदि प्रवर्तक समूह की कंपनियां (जहां सार्वजनिक हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम है) बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो क्या ऐसी कंपनियों को 51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई रियायत अवधि दी जाएगी?

प्र.17. जहां प्रवर्तक समूह को अपने मौजूदा संगठन/निवेश संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्या आरबीआई एक संक्रमण अवधि पर विचार करेगा, जिसके दौरान मामला दर मामला आधार पर नियमों में छूट दी जाएगी ताकि हितधारकों और संचालन में आसानी के लिए मौजूदा इकाई को प्रभावित किए बिना एक आसान संक्रमण प्रदान किया जा सके।?

प्र.18. (i) हम समझते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को प्रस्तावित ढांचा प्रस्तुत करना होगा जो आरबीआई के दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एनओएफएचसी, बैंक की स्थापना और वित्तीय सेवाओं, गैर-वित्तीय सेवाओं आदि में व्यावसायिक आस्तियों/पोर्टफोलियो का पुनर्गठन आरबीआई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और आरबीआई के अंतिम अनुमोदन से पहले किया जाएगा। आरबीआई कृपया हमारे उपर्युक्त विचार को स्पष्ट करें।

(ii) क्या बैंक लाइसेंस आवेदन जमा करने से पहले एनओएफएचसी के गठन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता है और इस प्रकार समय सीमा अर्थात 01.07.2013 से पहले एनओएफएचसी स्थापित करना संभव नहीं हो सकता है।

प्र.19. क्या आवेदन दाखिल करने के समय एनओएफएचसी संरचना को स्थापित करने की आवश्यकता है या क्या यह पर्याप्त है यदि प्रवर्तक ऐसा करने का वचन देता है और वह सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लेकिन बैंक शुरू करने से पहले एनओएफएचसी के सेटअप को पूरा करता है?

प्र.20. क्या आवेदन दाखिल करते समय एनओएफएचसी को बढ़ावा देने वाली कंपनी/कंपनियों में सार्वजनिक शेयरधारिता को 51 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है या यह पर्याप्त है यदि प्रवर्तक ऐसा करने का वचन देता है और सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लेकिन बैंक शुरू करने से पहले विनिवेश को पूरा करता है?

प्र.21. व्यवसाय हस्तांतरण के दृष्टिकोण से, क्या यह आवश्यक है कि सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद एनबीएफसी द्वारा व्यवसायों को प्रस्तावित बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए या यह चरणों में किया जा सकता है क्योंकि बैंक देनदारियां बढ़ाने में सक्षम है?

प्र.22. अनुच्छेद 2 (सी) (iv) कहता है कि सामान्य सिद्धांत यह है कि एनओएफएचसी द्वारा धारित किसी भी वित्तीय सेवा इकाई को उस किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे बैंक को विभागीय रूप से करने की अनुमति है। यदि एक प्रवर्तक समूह के पास एक से अधिक कानूनी इकाई है जो बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जा सकने वाली व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है, तो हम इस संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं कि इन गतिविधियों को बैंक द्वारा कारोबार की शुरुआत के बाद शामिल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। ?

प्र.23. आवेदन में, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह एनओएफएचसी के गठन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और प्रमुख हितधारकों के अनुमोदन पत्र प्रदान करेगा। क्या हम समझते हैं कि जब तक कि विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए, व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में एनओएफएचसी का गठन सिद्धांत रूप में मंजूरी मिलने के बाद किया जा सकता है,?

प्र.24. एनओएफएचसी संरचना आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, मौजूदा आवेदकों को विलय/डीमर्जर से गुजरना पड़ सकता है। क्या उन आवेदकों को छूट देने की कोई गुंजाइश है जिन्हें

आरबीआई के नए बैंकिंग लाइसेंस दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए अपनी आस्ति पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करना है।

प्र.25. बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करते समय, क्या यह आवश्यक है कि कंपनी ने एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर रखने की परिकल्पना की है जो उपरोक्त खंड 2सी (ii) (बी) के तहत शर्तों को पूरा करती है। उदा. यदि उपरोक्त कंपनी में प्रवर्तक की हिस्सेदारी वर्तमान में 49% से अधिक है, तो क्या लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय इस होल्डिंग को कम करना होगा या क्या इस होल्डिंग को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण देने वाली योजना आवेदन स्तर पर पर्याप्त होगी?

प्र.26. जहां बैंक आवेदक समूह की वर्तमान समूह संरचना दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है, तो क्या वे सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद लेकिन बैंकिंग परिचालन शुरू होने से पहले दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित संरचना और कार्य योजना प्रस्तुत कर सकते हैं?

प्र.27. हम समझते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को प्रस्तावित ढांचा प्रस्तुत करना होगा जो आरबीआई के दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एनओएफएचसी, बैंक की स्थापना और वित्तीय सेवाओं, गैर-वित्तीय सेवाओं आदि में व्यावसायिक आस्तियों/पोर्टफोलियो का पुनर्गठन आरबीआई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और आरबीआई के अंतिम अनुमोदन से पहले किया जाएगा। उपर्युक्त विचार को स्पष्ट करें।

प्र.28. 2सी (i) के अनुसार प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से एक बैंक स्थापित करने की अनुमति होगी।

प्रश्न:

क्या बैंक लाइसेंस आवेदन पत्र जमा करने से पहले एनओएफएचसी के गठन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता है और इस प्रकार समय सीमा, अर्थात 1.7.2013 से पहले एनओएफएचसी स्थापित करना संभव नहीं हो सकता है?

प्र.29. जहां एक मौजूदा कंपनी जिसमें प्रवर्तक अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है, तो वह एनओएफएचसी में परिवर्तित हो जाता है, क्या आरबीआई शर्त 2सी(ii)(ए) के अनुसार प्रवर्तक की शेयरधारिता को 10 प्रतिशत से नीचे जाने के लिए किसी भी संक्रमण समय की अनुमति देगा?

प्र.30. यदि व्यक्तिगत प्रवर्तकों के पास एनओएफएचसी की स्थापना के समय में 10% से अधिक की हिस्सेदारी है, तो क्या आरबीआई दिशानिर्देश 2सी(ii)(ए) के अनुसार प्रवर्तक की शेयरधारिता को 10% से नीचे जाने के लिए किसी भी संक्रमण समय की अनुमति देगा?

प्र.31. हम समझते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को प्रस्तावित ढांचा प्रस्तुत करना होगा जो आरबीआई के दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एनओएफएचसी, बैंक की स्थापना और वित्तीय सेवाओं, गैर-वित्तीय सेवाओं आदि में व्यावसायिक आस्तियों/पोर्टफोलियो का पुनर्गठन आरबीआई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और आरबीआई के अंतिम अनुमोदन से पहले किया जाएगा। आरबीआई हमारी उपरोक्त सोच को स्पष्ट करें।

उ. (16 से 31) आवेदन करते समय, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को एक रोड मैप और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे पैरा 2 (सी) (ii) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट संरचना की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनाएंगे।) और (iii) दिशानिर्देश और 18 महीने की अवधि के भीतर एनओएफएचसी [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iv)] के तहत आयोजित होने वाली संस्थाओं के बीच व्यापार को फिर से व्यवस्थित करेंगे। बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के बाद, एनओएफएचसी और बैंक की वास्तविक स्थापना, एनओएफएचसी के साथ-साथ विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को लाने के लिए प्रवर्तक समूह संस्थाओं का पुनर्गठन एनओएफएचसी के तहत संस्थाओं के बीच व्यवसाय का पुनर्गठन सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, पूरा किया जाए।

प्र.32. जहां एक मौजूदा वित्तीय सेवा कंपनी का प्रवर्तक बैंक को बढ़ावा देना चाहता है, तो क्या वह वित्तीय सेवा कंपनी प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकती है?

प्र.33. जहां किसी मौजूदा वित्तीय सेवा कंपनी का कोई प्रवर्तक नहीं है, क्या वह वित्तीय सेवा कंपनी प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकती है?

प्र.34. क्या मौजूदा वित्तीय सेवा कंपनी को एनओएफएचसी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसे में क्या वित्तीय सेवा व्यवसाय को किसी ऐसी कंपनी, जो बैंक बन सकती है में विनिवेश किया जा सकता है?

प्र.35. यदि आवेदक केवल वित्तीय सेवा व्यवसाय में लगा हुआ है और एनओएफएचसी स्थापित करता है, तो क्या वह शर्त 2सी (iii) को पूरा करता है? क्या एनबीएफसी के लिए कोई छूट होगी? क्या इसका मतलब यह है कि एक वित्तीय सेवा कंपनी को एनओएफएचसी के दो स्तर स्थापित करने की आवश्यकता होगी जिनके पास होल्डिंग-अनुषंगी संबंध है?

प्र.36. जहां एक मौजूदा वित्तीय सेवा कंपनी का प्रवर्तक किसी बैंक को बढ़ावा देना चाहता है, क्या वह वित्तीय सेवा कंपनी प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकती है?

प्र.37. यदि आवेदक केवल वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो क्या वह 2C(iii) आवश्यकता को पूरा करता है? क्या एनबीएफसी के लिए कोई छूट होगी? क्या इसका मतलब यह है कि एक वित्तीय सेवा कंपनी को एनओएफएचसी के दो स्तर स्थापित करने की आवश्यकता होगी जिनके पास होल्डिंग-अनुषंगी संबंध है?

उ.(32 से 37) प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ जिनमें प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को एनओएफएचसी द्वारा धारित किया जाना है। बैंकों की स्थापना करने वाले वित्तीय समूहों के संबंध में, मौजूदा एनबीएफसी को सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं के कारोबार को एक नई कंपनी में स्थानांतरित करना होगा और उस नई कंपनी में शेयर एनओएफएचसी के पास होने चाहिए। एनबीएफसी का एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी में रूपांतरण दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iii) की आवश्यकता को पूरा करेगा, बशर्ते सूचीबद्ध गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी पैरा (सी)(ii)(बी) के दिशानिर्देश यानी जनता के पास कंपनी में 51 प्रतिशत से कम वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं हैं की आवश्यकता को पूरा करती हो।

प्र.38. क्या किसी भी परिस्थिति में प्रवर्तकों को भविष्य में (बैंक के प्रारंभ होने के बाद) ऐसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी?

उ. सभी परिस्थितियों में एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत प्रवर्तक समूह की कंपनियों द्वारा धारित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (ii) (बी))]

प्र.39. यह देखते हुए कि पूंजी संरचना दिशानिर्देश केवल वोटिंग इक्विटी शेयरहोल्डिंग पर शर्तों के बारे में बात करते हैं, तो क्या प्रवर्तक संस्थाओं के पास एनओएफएचसी या बैंक में नॉन-वोटिंग इक्विटी शेयरहोल्डिंग भी हो सकती है? यदि हाँ, तो क्या ऐसी गैर-वोटिंग इक्विटी शेयरधारिता इन दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर हो जाएगी?

उ. गैर-वोटिंग इक्विटी शेयर दिशानिर्देशों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन प्रासंगिक कानूनों/सेबी दिशानिर्देशों के अधीन हैं। एनओएफएचसी/बैंक में प्रवर्तक शेयरधारिता की गणना के प्रयोजन के लिए गैर-वोटिंग पूंजी की गणना नहीं की जाएगी।

प्र.40. क्या ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पिछले दस वर्षों का नवीनतम वित्तीय विवरण और पिछले तीन वर्षों के आई-टी रिटर्न प्रवर्तक समूह में सभी संस्थाओं के लिए या केवल वे प्रवर्तक संस्थाएं जो एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी की सदस्यता लेते हैं के लिए आवश्यक हैं ।

प्र.41. क्या परियोजना योजना के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण केवल एनओएफएचसी के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह की सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं।

उ. (40 और 41) प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह से संबंधित संस्थाएं / व्यक्ति, जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेंगे, को उनके आवेदन जमा करने के समय पिछले दस वर्षों के लिए ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वित्तीय विवरण तथा पिछले तीन वर्षों के लिए आईटी रिटर्न, जैसा उचित हो, प्रदान करना होगा। अन्य समूह संस्थाओं जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं लेते हैं, को भी अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा। संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रवर्तकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित का विवरण और प्रवर्तकों /

प्रवर्तक समूह द्वारा प्राप्त क्रेडिट/अन्य सुविधाओं का विवरण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। [दिशानिर्देशों के अनुबंध II का पैरा 3]

प्र.42. क्या एनओएफएचसी के पास कंपनियों के अलग-अलग समूहों वाला एक प्रवर्तक समूह हो सकता है? कंपनियों के अलग समूह के तहत, एनओएफएचसी के 51% वोटिंग शेयर केवल उन कंपनियों के पास होंगे, जिनमें सार्वजनिक हिस्सेदारी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए 51% और / या उससे अधिक है और शेष 49% वोटिंग समूह के भीतर अन्य निजी/सार्वजनिक कंपनियों के शेयर रखे जा सकते हैं।

उ. एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व एकल प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के अनुसार) और शेयरधारिता का पैटर्न दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) और (iii) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा । एनओएफएचसी स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अलग-अलग समूह एक साथ नहीं जुड़ सकते है।

प्र.43. क्या कोई समूह जिसके पास सार्वजनिक शेयरधारिता वाली कोई कंपनी नहीं है, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकती है? इसके अलावा, भले ही समूह के पास शेयरधारिता वाली कोई कंपनी है, तो क्या ऐसी कंपनी को एनओएफएचसी पूंजी संरचना में शामिल करना आवश्यक है।

उ. कोई समूह जिसके पास कोई कंपनी नहीं है या जो 51 प्रतिशत से कम सार्वजनिक शेयरधारिता वाली कंपनी नहीं रख सकता है, वह बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर प्रवर्तक समूह की कंपनियों द्वारा धारित किया जाना चाहिए, जिसमें जनता के पास कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हों। अगर प्रवर्तक समूह के पास एक कंपनी है जिसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं है, तो उस कंपनी के पास एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी समूह कंपनियां जिनमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51% से कम नहीं है, वे एनओएफएचसी [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी)] के शेयरधारक हों।

प्र.44. क्या एक कंपनी एकल अनिवासी शेयरधारक के रूप में बैंक की 49 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी पूंजी रख सकती है? यदि हां, तो क्या यह स्वचालित होगा या इसके लिए आरबीआई से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

उ. नहीं। किसी अनिवासी शेयरधारक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से समूह में बैंक के कारोबार के प्रारंभ से वर्ष 5 की अवधि के लिए बैंक की चुकता मतदान इक्विटी पूंजी में 5 प्रतिशत या अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। । [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (एफ)]

प्र.45. मौजूदा समूह के मामले में, क्या यह परिकल्पना की गई है कि सभी "प्रवर्तक समूह" कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व वाली एनओएफएचसी स्थापित करनी होगी?

उ. नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रवर्तक समूह की सभी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व वाली एनओएफएचसी स्थापित करनी होगी। जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iii) में दिया गया है, केवल गैर-वित्तीय सेवा कंपनियां/संस्थाएं और प्रवर्तक समूह में गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनियां और प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति, जो पैरा 2 (सी)(ii)(ए) और (बी), में अनुबंध के अनुरूप हैं को एनओएफएचसी के शेयर रखने की अनुमति होगी। इसके अलावा, पैरा 2(सी)(vii) के लिए आवश्यक है कि सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं, जिनमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है, (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) उनको एनओएफएचसी द्वारा धारित किया जाएगा, और कि, ऐसी संस्थाएँ एनओएफएचसी [पैरा 2 (सी) (iii) और (vii)] में शेयर नहीं रख सकती हैं।

प्र.46. क्या प्रवर्तक समूह की कंपनियों के उप-समूह द्वारा किसी बैंक का प्रचार किया जा सकता है?

उ. प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह सीधे बैंक की स्थापना नहीं कर सकता है। उन्हें पहले एक पूर्ण स्वामित्व वाली एनओएफएचसी स्थापित करनी होगी, जो बैंक और अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं/कंपनियों को धारित करेगा, जिसमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक -23 में परिभाषित किया गया है)। प्रमोटर समूह में गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों/इकाइयों/व्यक्तियों और गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के एक उप-सेट द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ एनओएफएचसी स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते इक्विटी भागीदारी दिशा-निर्देश के पैरा 2 (सी)(ii) में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो ।

प्र.47. यदि प्रवर्तक समूह की कंपनियों का विनियमित और/या गैर-विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियों में महत्वपूर्ण हित/नियंत्रण है, लेकिन एक नए बैंक की स्थापना में भाग लेने की इच्छा नहीं है, तो क्या एक नए बैंक को बढ़ावा देने के इच्छुक कंपनी / कंपनियों के समूह में यह अनुमत है या क्या उन्हें अपने हितों से अनिवार्य रूप से बाहर निकलने की आवश्यकता है ।

उ. प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को पहले बैंक को धारित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली एनओएफएचसी स्थापित करना होगी। वे सीधे बैंक नहीं खोल सकते। अगर, प्रवर्तक समूह में कुछ संस्थाएं / कंपनियां विनियमित या अनियमित वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों में 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (लेखा मानक -23 में परिभाषित) के साथ एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी में भाग नहीं लेना चाहती हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि, विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ, जिनमें प्रमोटर समूह की कंपनियों का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक -23 में परिभाषित है), को एनओएफएचसी के तहत आना होगा। प्रवर्तक समूह की अनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियाँ/इकाइयां एनओएफएचसी के अंतर्गत नहीं आ सकती हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (i), (ii), (iii) और (vii)]

प्र.48. एनओएफएचसी/ बैंक को मौजूदा प्रवर्तकों के एक उप-समूह ("प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह" की परिभाषा के संबंध में) द्वारा प्रचारित किए जाने की स्थिति में, शेष प्रवर्तक समूह (एनओएफएचसी/बैंक का प्रचार नहीं करने वाली) की विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं को एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी बनना आवश्यक हैं?

उ. हाँ। सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ जिनमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) को अनुषंगी, या सहायक या संयुक्त उद्यमों के रूप में एनओएफएचसी के तहत लाना होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii) और (vii)]

प्र.49. क्या 10 साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र या समग्र व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित रहेगा? क्या प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाली प्रत्येक इकाई के पास 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड होना आवश्यक है?

उ. कम से कम 10 वर्षों के लिए प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह का समग्र ट्रैक रिकॉर्ड वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों गतिविधियों में देखा जाएगा। यदि कुछ, लेकिन सभी नहीं, प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियां 10 साल से कम समय से अस्तित्व में हैं, तो ऐसी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड उनके अस्तित्व की अवधि के लिए देखा जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (बी) (बी)]

प्र.50. कुछ सांकेतिक मानदंड क्या हो सकते हैं जिन पर आरबीआई यह निर्धारित करने पर विचार करेगा कि क्या एक इकाई / समूह के पास "मजबूत साख और एकनिष्ठता" है?

उ. आवश्यकता है कि प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह के पास 'उचित और उपयुक्त' मानदंड के एक भाग के रूप में सुदृढ़ साख और एकनिष्ठता का पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए, यह समग्र निर्णय का विषय है और कोई सांकेतिक मानदंड नहीं बताया जा सकता है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (बी)]

प्र.51. क्या एनओएफएचसी स्वयं एक सूचीबद्ध इकाई हो सकती है?

उ. नहीं। एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए। इसलिए, यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं हो सकती। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (i)]

प्र.52. क्या एक गैर-कॉरपोरेट इकाई जैसे एलएलपी या ट्रस्ट (सार्वजनिक, निजी या धर्मार्थ) को एनओएफएचसी की स्थापना के लिए प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने की अनुमति दी जा सकती है?

प्र.53. जहां एनओएफएचसी के शेयर सार्वजनिक ट्रस्टों के पास हैं, जिनके ट्रस्टी प्रवर्तक हैं, तो क्या एनओएफएचसी में 51% होल्डिंग पर विचार करने के लिए 2(सी)(ii)(बी) श्रेणी के तहत विचार किया जा सकता है?

उ. (52 और 53) एनओएफएचसी के शेयरों को व्यक्तियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं और प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियों द्वारा धारित किया जा सकता है। एलएलपी और ट्रस्ट इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए, एक एलएलपी या ट्रस्ट सीधे एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकता है, लेकिन एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयर रखने वाले प्रवर्तक समूह में एक कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होल्ड कर सकता है।

प्र.54. यदि एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी), प्रवर्तक होने के नाते, एनओएफएचसी होल्ड करने के लिए नई निगमित की जाती है, तो क्या सीआईसी में प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह के ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा?

उ. कम से कम 10 वर्षों के लिए प्रवर्तकों /प्रवर्तक समूह का समग्र ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। यदि प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह एनओएफएचसी में शेयर रखने के उद्देश्य से एक नया सीआईसी शामिल करता है, तो सीआईसी की स्थापना करने वाले प्रवर्तकों /प्रमोटर समूह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (बी) (बी)]

प्र.55. जहां सीआईसी एक सूचीबद्ध इकाई है (और मौजूदा डीआईपीपी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परीक्षण को पूरा करती है), तो क्या लिस्टिंग के उद्देश्यों के लिए सीआईसी के घोषित प्रवर्तक समूह को नए बैंक के लिए प्रवर्तक समूह के रूप में भी माना जाएगा?

उ. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए प्रवर्तक समूह दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

प्र.56. क्या सूचीबद्ध सीआईसी में 'फ्री फ्लोट' के 10 प्रतिशत से अधिक होल्ड करने वाले किसी भी निवेशक को अनिवार्य रूप से सीआईसी में 10 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व के आधार पर एक प्रवर्तक के रूप में देखा जाएगा, भले ही ऐसा निवेशक अन्यथा प्रवर्तक समूह का हिस्सा न हो (यहाँ कामकाजी धारणा यह है कि सीआईसी गैर-वित्तीय सेवा व्यवसायों के साथ-साथ एनओएफएचसी में 100 प्रतिशत हित भी रखेगी)।

उ. केवल सूचीबद्ध सीआईसी में फ्री फ्लोट का 10 प्रतिशत रखने से निवेशक प्रवर्तक नहीं बन जाएगा। यदि निवेशक दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का हिस्सा नहीं बनता है, तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा।

प्र.57. एनओएफएचसी की पूंजी संरचना के संबंध में, शब्द "और" के उपयोग के संबंध में खंड 2 (सी) (ii) के उप-खंड (ए) और (बी) हैं, क्या उन्हें शर्तों को पूरा करने के लिए संचयी रूप में पढ़ा जाना चाहिए।?

उ. यह आवश्यक है कि पैरा 2 (सी) (ii) के खंड (बी) (अर्थात एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों के 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें जनता की हिस्सेदारी वोटिंग इक्विटी शेयरों के प्रतिशत के 51 प्रतिशत से कम नहीं हो।) सभी मामलों में संतुष्ट हो, बशर्ते पैरा 2(सी) (ii) के खंड (ए) में कोई न्यूनतम शेयरधारिता निर्धारित नहीं हो। तदनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति, अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित) सहित और उन

संस्थाओं के साथ जिसमें वह और/या उसके रिश्तेदार वोटिंग इक्विटी का 50 प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखते हैं उन्हें एनओएफएचसी में शेयर रखना चाहिए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii)]

प्र.58. खंड 2 (सी) (ii) (ए) के संबंध में, क्या एक अकेला निवेशक एनओएफएचसी में सीधे 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रख सकता है और अन्य प्रवर्तक समूह की कंपनियों में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रख सकता है, जिसमें जनता 51 प्रतिशत से कम की वोटिंग इक्विटी शेयर हिस्सेदारी नहीं रखती है।?

उ. हाँ। प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए यह संभव होगा, कि उसके रिश्तेदारों के साथ (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और उन संस्थाओं के साथ जिसमें वह और/या उसके रिश्तेदार 50 प्रतिशत से कम की वोटिंग इक्विटी शेयर हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, ताकि वे अन्य प्रवर्तक समूह की कंपनियों जिसमें जनता के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत से कम नहीं है में महत्वपूर्ण होल्डिंग रख सके ।

प्र.59. क्या खंड 2 (सी) (ii) (बी) में जनता द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का मतलब है कि एक कंपनी को अनिवार्य रूप से एक सूचीबद्ध इकाई होना चाहिए या यह एक इकाई हो सकती है जहां 51 प्रतिशत प्रवर्तकों के अलावा अन्य के पास हो?

प्र.60 एनओएफएचसी की कुल वोटिंग इक्विटी के कम से कम 51% के संदर्भ में प्रवर्तक समूह की कंपनियों के पास जनता द्वारा धारित के न्यूनतम 51% वोटिंग इक्विटी है, कृपया स्पष्ट करें कि क्या जनता की अवधारणा में "गैर- प्रवर्तक " शेयरधारक एक असूचीबद्ध इकाई के रूप में शामिल है। साथ ही, हम मानते हैं कि सार्वजनिक कंपनियों की परिभाषा सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। कृपया पुष्टि करें।

उ. (59 और 60) जिस कंपनी में जनता की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है, उसे सूचीबद्ध होना जरूरी नहीं है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'सार्वजनिक शेयरधारिता' का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित) और ऐसी संस्थाओं के साथ जिसमें वह और / या उसके रिश्तेदार उसकी शेयरधारिता के आधार पर या अन्यथा, 50 प्रतिशत से कम की वोटिंग इक्विटी शेयर हिस्सेदारी नहीं रखते हैं वे कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) का प्रयोग करते है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii)]

प्र.61. कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी विधेयक, 2012 के अधीन, क्या एनओएफएचसी गैर-वोटिंग इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर जारी कर सकता है?

प्र.62. अनुच्छेद 2 (सी) (ii) में संदर्भ वोटिंग इक्विटी पूंजी की होल्डिंग से संबंधित हैं। क्या एनओएफएचसी को प्रवर्तक समूह संस्थाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों को गैर-वोटिंग इक्विटी पूंजी या पूंजी के अन्य प्रकारों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी?

उ. (61 और 62) हां, प्रासंगिक कानूनों के तहत अनुमेय सीमा तक। हालांकि, एनओएफएचसी में प्रवर्तक शेयरहोल्डिंग की गणना के उद्देश्य से इसकी गणना नहीं की जाएगी।

प्र.63. क्या एनओएफएचसी/बैंक में प्रतिशत हिस्सेदारी की गणना अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के संदर्भ में या प्रस्तावित निवेश की तिथि के अनुसार की जानी चाहिए?

उ. एनओएफएचसी/बैंक की होल्डिंग प्रतिशत की गणना निवेश की तारीख के संदर्भ में की जाएगी।

प्र.64. हम समझते हैं कि एनओएफएचसी को 'अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं' का पूर्ण स्वामित्व रखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी संस्थाओं में गैर-प्रवर्तक समूह के व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, हम समझते हैं कि मौजूदा डीआईपीपी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी संस्थाओं में एफडीआई की अनुमति है।

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 2 सी (vii) के अनुसार, केवल विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं जिनमें एक प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) उसे एनओएफएचसी के तहत धारित किया जाएगा। इस प्रकार, एनओएफएचसी को विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं का पूर्ण स्वामित्व रखने की आवश्यकता नहीं है और गैर-प्रवर्तक समूह के व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा ऐसी संस्थाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति है। एनओएफएचसी द्वारा धारित विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं में शेयरधारिता और पूंजी आवश्यकताओं का पैटर्न संबंधित क्षेत्रीय नियामकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं में एफडीआई की सीमा भारत सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति/फेमा के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी। जहां तक बैंक का संबंध है, विदेशी शेयरधारिता दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एफ) के अनुसार होगी।

प्र.65. यह वर्तमान में स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई अनियमित वित्तीय सेवा व्यवसाय उदा. निवेश सलाहकार सेवाएं (सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के दायरे में शामिल नहीं हैं) को शुरू करने की अनुमति है और क्या उन्हें एनओएफएचसी छत्र के भीतर या उसके बाहर होने की जरूरत है और क्या उन्हें प्रवर्तक समूह संस्थाओं द्वारा सीधे धारित किया जाएगा, या क्या प्रवर्तक समूह को अनिवार्य रूप से अपनी होल्डिंग का विनिवेश करना आवश्यक होगा?

उ. बैंक के साथ-साथ अन्य वित्तीय सेवा संस्थाएं जिनमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) और जिन्हें आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाता है उन्हें एनओएफएचसी के तहत अवश्य धारित किया जाना चाहिए। यदि कोई वित्तीय सेवा आरबीआई या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित नहीं है, तो ऐसी सेवा प्रदान करने वाले प्रवर्तक समूह की कोई भी इकाई एनओएफएचसी के तहत नहीं आ सकती है। प्रवर्तक समूह को ऐसी संस्थाओं में अपनी धारिता का विनिवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (iii)]

प्र.66. जहां एक वित्तीय सेवा कंपनी (कंपनी ए) की वर्तमान कॉर्पोरेट संरचना के तहत अनुषंगी / सहयोगी हैं, जिनका एकमात्र व्यवसाय आउटसोर्स गतिविधियां करना है, जो कंपनी ए द्वारा पूरी तरह से उपभोग की जाती हैं (उदाहरण के लिए, एक बीमा कंपनी के लिए बैक ऑफिस / बिक्री संचालन करने वाली कंपनी या एक म्युचुअल फंड), तो क्या ऐसी आउटसोर्स कंपनी को वित्तीय सेवा कंपनी माना जाएगा और उसे एनओएफएचसी के तहत धारित होने की अनुमति दी जाएगी? यदि आउटसोर्स कंपनी गैर-वित्तीय सेवा संस्थाओं सहित समूह की अन्य संस्थाओं के लिए भी कुछ गतिविधियाँ करती है तो क्या उत्तर बदल जाएगा?

प्र.67. प्रवर्तक समूह की कंपनियां जो आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं- निवेश कंपनियों को एनओएफएचसी के तहत प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह की सभी विनियमित वित्तीय संस्थाओं को लाने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार एनओएफएचसी के तहत लाने की मांग की जाती है। चूंकि उपर्युक्त एनबीएफसी-निवेश कंपनियों द्वारा की गई गतिविधियों को बैंक द्वारा विभागीय रूप से करने की अनुमति नहीं है, और एनओएफएचसी के तहत कोई भी इकाई प्रवर्तक समूह की कंपनी के लिए इक्विटी/ऋण जोखिम नहीं रख सकती है, उन्हें प्रवर्तक समूह की कंपनियों में संपूर्ण निवेश होल्डिंग (इक्विटी और/या ऋण) को समाप्त करने की आवश्यकता होगी । निवेश होल्डिंग्स के परिसमापन के बाद, ये संस्थाएँ नकदी बनाए रखेंगी या एक गैर-परिचालन शेल कंपनी बन जाएँगी जो ऐसी कंपनियों को पहली बार में एनओएफएचसी के तहत लाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती हैं। इसलिए हम सुझाव देंगे कि प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के स्वामित्व वाली सूचीबद्ध/असूचीबद्ध निवेश कंपनियां और/या गैर-सूचीबद्ध निवेश कंपनियां (जहां तक कि वे वित्तीय सेवाओं में शामिल नहीं हैं), जिनमें आस्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवर्तक समूह की संस्थाओं में लगाया जाता है उनको एनओएफएचसी के तहत समेकन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ये संस्थाएं पहले से ही आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी में विनियमित हैं।

प्र.68. ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां किसी विशेष समूह के पास गैर-परिचालन एनबीएफसी/सीआईसी (एनओएफएचसी के अतिरिक्त) हैं, जो समूह के गैर-वित्तीय सेवा व्यवसायों को चलाने वाली कंपनियों के लिए पूरी तरह से होल्डिंग कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थितियों में, क्या विनियमों को इस तरह से पढ़ना सही होगा कि ऐसी एनबीएफसी/सीआईसी को वित्तीय सेवा व्यवसाय में लगी कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा? यदि हां, तो क्या ऐसे एनबीएफसी/सीआईसी को एनओएफएचसी के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी जाएगी (चूंकि वे समूह के गैर-वित्तीय सेवा व्यवसाय रखते हैं)?

उ. (67 और 68) दिशानिर्देशों के पैरा 2(C)(iii) में प्रावधान है कि केवल गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों/संस्थाओं और समूह में गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी और प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों को ही एनओएफएचसी में शेयर रखने की अनुमति होगी । तदनुसार, एक गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी हालांकि आरबीआई द्वारा विनियमित है, एनओएफएचसी के बाहर रहेगी। एनबीएफसी (निवेश कंपनियां) जो प्रवर्तक समूह की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में सौदा करती हैं, एनओएफएचसी के तहत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दिशानिर्देशों के पैरा 2 (I) (IV) (ए) के अनुसार, एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं के पास नहीं प्रवर्तक /प्रवर्तक समूह की संस्थाओं या

प्रवर्तक समूह या एनओएफएचसी से जुड़े व्यक्तियों के लिए कोई भी क्रेडिट और निवेश (इक्विटी/ऋण पूंजी उपकरणों में निवेश सहित) जोखिम नहीं होगा। इसलिए, एनबीएफसी (निवेश कंपनियां), जिसमें सीआईसी और अन्य गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनियां शामिल होंगी, एनओएफएचसी से बाहर रहेंगी। हालांकि, अगर विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के वोटिंग इक्विटी शेयरों में निवेश होता है जिसमें समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण होता है, तो ऐसी संस्थाओं को एनओएफएचसी के तहत लाना होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(l)(vi) के तहत परिभाषित 'निवेश कंपनी' का अर्थ है कोई भी कंपनी जो एक वित्तीय संस्थान है, जो अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में तिभूतियों का अधिग्रहण करता है।

प्र.69. जहां यह विचार नहीं किया जाता है कि एनओएफएचसी को गैर-वित्तीय सेवा संचालन कंपनियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, क्या एनओएफएचसी को एक गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी यानी ऐसी कंपनी द्वारा धारित करने की आवश्यकता है जो एनओएफएचसी में शेयरों को रखने के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं करती है? हम समझते हैं कि एनओएफएचसी एक सीआईसी के पास हो सकता है जो कुछ गैर-वित्तीय व्यवसाय भी करती है।

प्र.70. प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को केवल पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी के माध्यम से बैंक स्थापित करने की अनुमति होगी। क्या 100 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियों वाली एक कोर निवेश कंपनी (जो आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित होगी, दिशानिर्देशों के 2(सी)(iii) के अनुसार एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व रख सकती है, जिसमें कहा गया है कि गैर-वित्तीय कंपनियां और गैर-परिचालन वित्तीय प्रवर्तक समूह से संबंधित होल्डिंग कंपनी को एनओएफएचसी में शेयर रखने की अनुमति होगी, लेकिन साथ ही यह निर्धारित किया जाता है कि एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को भी धारण करेगा।

उ. (69 और 70) यह आवश्यक नहीं है कि एनओएफएचसी केवल गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों/संस्थाओं के पास ही हो। यह एक सीआईसी या एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित की जा सकती है। होल्डिंग कंपनी का विनियमित वित्तीय व्यवसाय/संस्थाएं, यदि कोई हो, तो वह होल्डिंग कंपनी के पास नहीं रह सकती हैं। इसे एनओएफएचसी के तहत आना होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii) और (vii)]

प्र.71. (ए) यदि कोई एनबीएफसी एक बैंक स्थापित करने/स्वयं को एक बैंक में परिवर्तित करने का इच्छुक है, तो एनओएफएचसी की स्थापना हेतु एनओएफएचसी को बैंक होल्ड करने के दिशानिर्देशों की आवश्यकता है (अनुच्छेद 2एल)। हालांकि, पैराग्राफ 2(सी)(iii) वित्तीय सेवा कंपनियों (जैसे एनबीएफसी) को एनओएफएचसी में हिस्सेदारी की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, परिणामतः, एनबीएफसी को सीधे एनओएफएचसी स्थापित करने और बैंक स्थापित करने से रोका जाता है।

आरबीआई स्पष्ट करें कि क्या पैरा 2(सी) (iii) के संबंध में एनओएफएचसी (एनबीएफसी द्वारा प्रवर्तित) में शेयरधारिता के लिए कोई छूट होगी? उन आवेदकों के बारे में क्या जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं में हैं, और जिनकी मूल कंपनी स्वयं वित्त कंपनी है, और वह भी सूचीबद्ध है।

बी) हमारी व्याख्या के अनुसार, एक व्यापक रूप से धारित और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एनबीएफसी निम्नलिखित संरचना को अपनाकर बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है:

ए. सूचीबद्ध एनबीएफसी जो एक एनओएफएचसी बनाती है

बी. एनओएफएचसी जो बैंक स्थापित करती है

ऊपर्युक्त ए) के लिए, पैराग्राफ 2(सी)(ii)(बी) की शर्त को पूरा किया जाएगा क्योंकि एनओएफएचसी के 51 प्रतिशत से अधिक (वास्तव में 100 प्रतिशत) शेयर सूचीबद्ध एनबीएफसी के पास होंगे (जहां जनता की हिस्सेदारी > 51 प्रतिशत है) । इसके बाद, सूचीबद्ध एनबीएफसी सभी आस्तियों/ऋण पोर्टफोलियो को एक नई कंपनी में स्थानांतरित कर देगी, जिससे सूचीबद्ध एनबीएफसी गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। इससे पैरा 2(सी) (iii) की शर्त को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके बाद एनओएफएचसी उपर्युक्त बी) के अनुसार एक बैंक बना सकता है। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि उपर्युक्त एमएस पैराग्राफ 2(सी) (iii) की शर्त के अनुसार है?

उ. ए (i) दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii) के प्रावधानों के संबंध में एनओएफएचसी में शेयरधारिता के पैटर्न के लिए कोई छूट नहीं होगी।

(ii) इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, एनबीएफसी (निवेश कंपनियां) (जिसमें सीआईसी और एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी शामिल होगी) को एनओएफएचसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii)]। नियंत्रक कंपनी का विनियमित वित्तीय व्यवसाय/इकाइयां, यदि कोई हो, नियंत्रक कंपनी के पास नहीं रह सकती हैं। इसे एनओएफएचसी के तहत आना होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii) और (vii)]

(iii) अन्य एनबीएफसी के मामले में जिसमें जनता के पास 51 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर हैं, और वे एक बैंक स्थापित करना चाहते हैं या खुद को एक बैंक में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इन्हें अपने सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं के कारोबार को एक अलग कंपनी/कंपनियों में स्थानांतरित करना होगा और ऐसी कंपनियों में शेयरधारिता को एनओएफएचसी को हस्तांतरित करना होगा। विनियमित वित्तीय सेवा व्यवसाय को स्थानांतरित करने के बाद, यह एनओएफएचसी स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि यह दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) और (iii) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(बी) जैसा कि ऊपर कहा गया है, इससे पहले कि सूचीबद्ध एनबीएफसी एनओएफएचसी में शेयर धारित करती है, उसे सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं के कारोबार को एक नई कंपनी में स्थानांतरित करना होगा तथा उस नई कंपनी के शेयर एनओएफएचसी के पास होने चाहिए। सूचीबद्ध

गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी में सूचीबद्ध एनबीएफसी का रूपांतरण दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी) (iii) की आवश्यकता को पूरा करेगा, बशर्ते सूचीबद्ध गैर-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी दिशा-निर्देशों के पैरा 2(सी)(ii)(बी) अर्थात जनता के पास कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर की आवश्यकता को पूरा करती हो।

प्र.72. क्या 51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ एक मौजूदा गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी, एक गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) को बढ़ावा देने के लिए पात्र होगी या नहीं?

उ. हां. 51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक शेयरधारिता वाली मौजूदा गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी, एक गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) को बढ़ावा देने के लिए पात्र होगी। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी) और 2 (सी) (iii)]

प्र.73. क्या एक गैर-परिचालित होल्डिंग कंपनी, एनओएफएचसी की प्रवर्तक होने के नाते और अनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निवेश रखती है, को आरबीआई के साथ कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी?

उ. एक गैर-परिचालित होल्डिंग कंपनी जो एनओएफएचसी की प्रवर्तक है और अनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निवेश करती है, को आरबीआई के साथ सीआईसी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी यदि दिनांक 05 जनवरी 2011 की कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामकीय ढांचे के संबंध अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी.219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 2 और 3 (एच) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हो।

प्र.74. क्या एनओएफएचसी समूह से संबंधित भौतिक संपत्ति रख सकता है और उनके लिए पहुंच के आधार पर शुल्क ले सकता है? इसी तरह, चूंकि एनओएफएचसी द्वारा अविनियमित गतिविधियों को आयोजित नहीं किया जा सकता है, हम मानते हैं कि एनओएफएचसी से ऊपर की होल्डिंग कंपनी, एक सहायक कंपनी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी सेवाओं या बैंकिंग संवाददाता सेवाओं या वितरण सेवाओं जैसे संबंधित व्यवसाय कर सकती है। क्या यह सही है?

उ. एनओएफएचसी, एक गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी होने के नाते, समूह से संबंधित भौतिक आस्ति नहीं रख सकती है और उनके लिए पहुंच के आधार पर चार्ज कर सकती है। प्रमोटर समूह की एक होल्डिंग कंपनी, जिसके पास एनओएफएचसी है, संबंधित व्यवसायों जैसे प्रौद्योगिकी सेवाओं या बैंकिंग संवाददाता सेवाओं या वितरण सेवाओं को स्वयं या सहायक के माध्यम से चला सकती है। यदि गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी सीआईसी या एनबीएफसी है, तो संबंधित नियम लागू होंगे।

प्र.75. क्या एक मौजूदा गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी, जिसमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक है और जिसे सीआईसी के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव है, को एनओएफएचसी के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है?

उ. नहीं। 51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ एक मौजूदा गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी के रूप में काम नहीं कर सकती है क्योंकि एनओएफएचसी को प्रमोटर/प्रमोटर समूह के पूर्ण स्वामित्व में होना चाहिए। उक्त उद्धृत उदाहरण इस मानदंड को पूरा नहीं करता है क्योंकि गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी के पास गैर-प्रमोटरों/प्रमोटर समूह संस्थाओं से इक्विटी शेयरहोल्डिंग है। हालांकि, यह मौजूदा गैर-परिचालन सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी जिसमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक है, एनओएफएचसी को बढ़ावा दे सकती है।

एनओएफएचसी की प्रवर्तक होने के नाते एक गैर परिचालन होल्डिंग कंपनी को आरबीआई के साथ सीआईसी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी यदि वह निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

यदि गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में परिभाषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, लेकिन एक एनबीएफसी (निवेश कंपनी) है, तो उसे आरबीआई के साथ एनबीएफसी (निवेश कंपनी) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

प्र.76. कई औद्योगिक समूहों में, गैर-वित्तीय समूह कंपनियों में समूह निवेश एक निवेश कंपनी (एसपीवी/सीआईसी) के माध्यम से आयोजित किया जाता है। चूंकि एनओएफएचसी को समूह से संबंधित गैर-वित्तीय संस्थाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि ऐसे एसपीवी/सीआईसी को एनओएफएचसी से नीचे लाने की आवश्यकता लागू नहीं होगी। यह अनुमान इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि यह औद्योगिक समूह के लिए इन सभी समूह निवेशों को एक परिचालन कंपनी में रखने के लिए अव्यावहारिक/आर्थिक रूप से अक्षम/रणनीतिक रूप से अविवेकपूर्ण है।

उ. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, केवल प्रमोटर समूह की गैर-वित्तीय कंपनियों में शेयर रखने वाली निवेश कंपनी (एसपीवी/सीआईसी) को वित्तीय सेवा कंपनी नहीं माना जाएगा और एनओएफएचसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (iii)]

प्र.77. पैराग्राफ 2(सी)(iii) में यह भी कहा गया है कि केवल गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों/संस्थाओं और समूह में गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर समूह से संबंधित व्यक्तियों को ही एनओएफएचसी में शेयर रखने की अनुमति होगी। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में एक गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी की शेयरधारक हो सकती है?

उ. वित्तीय होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई परिचालन गतिविधियां नहीं हैं और प्रमोटर समूह की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां रखती हैं और जिसकी एनओएफएचसी में निवेश को छोड़कर वित्तीय क्षेत्र में कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी या अन्य नियंत्रित संस्थाएं नहीं

हैं। ऐसी कंपनी दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (सी) (ii) और (iii) के अनुसार एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर रख सकती है। उक्त होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी की 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी धारण कर सकती है, यदि उसके पास सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी)(ii)(बी)]।

प्र.78. ***क्या कोई एनओएफएचसी परामर्शी सेवाओं की प्रकृति की सेवाएं ले सकता है जो किसी विनियामकीय द्वारा विनियमित नहीं हैं; सलाहकार सेवाएं जो सेबी या किसी अन्य वित्तीय सेवा नियामक द्वारा विनियमित हैं और इसके द्वारा या अन्यथा धारित संस्थाओं को बुनियादी ढांचा (जैसे कार्यालय स्थान, सुविधाएं आदि) और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं, और उसी के लिए ध्यान आकर्षित करती हैं? क्या एनओएफएचसी के तहत धारित संस्थाओं को उधार देना या उनमें निवेश करना ही एकमात्र वित्तीय गतिविधि है जिसे एनओएफएचसी कर सकता है?***

उ. एनओएफएचसी समूह के भीतर और समूह के बाहर किसी भी संस्था को कोई सलाहकारी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है।

एनओएफएचसी बैंक जमा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियां और सक्रिय रूप से ट्रेड किए गए बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश कर सकता है, इसके अलावा इसके तहत आने वाली संस्थाओं को उधार या निवेश कर सकता है। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(एच)(i)(सी)]

प्र.79. (i) एक* प्रवर्तक *समूह जो क्लॉज सी (ii) (बी) को पूरा करता है, जिसमें उसके 100% वोटिंग इक्विटी शेयर जनता के पास होते हैं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि प्रमोटर समूह का कोई भी व्यक्तिगत* प्रवर्तक *या* प्रवर्तक *का कोई रिश्तेदार नहीं है और इसलिए यह पूरी तरह से सार्वजनिक और फ़्लो के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाई है।

(ii) प्रवर्तक (उक्त सार्वजनिक रूप से आयोजित कॉर्पोरेट) द्वारा आयोजित एक सूचीबद्ध एनओएफएचसी और प्रत्यक्ष सार्वजनिक होल्डिंग है। एनओएफएचसी के बोर्ड में 8 स्वतंत्र निदेशक, 1 प्रवर्तक नामिती और कर्मचारी शामिल हैं। हमारा मानना है कि यह संरचना एनओएफएचसी पर आरबीआई के इरादे को पूरा करती है जो प्रभावी रूप से 100% जनता / एफएल (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के स्वामित्व में है, जिससे बोर्ड पर लगभग 80% स्वतंत्र निदेशकों के साथ सबसे पारदर्शी रूप से आयोजित एनओएफएचसी संरचना और उच्चतम क्रम का अभिशासन सुनिश्चित करते हुए रिंग-फेंस एनओएफएचसी का निर्माण होता है।

उ. (ए) यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्तिगत प्रवर्तक हो। जिस कंपनी में 100% वोटिंग इक्विटी शेयर जनता के पास हैं, वह एनओएफएचसी की स्थापना कर सकती है और एनओएफएचसी के 100% वोटिंग इक्विटी शेयरों की सीमा तक होल्ड कर सकती है, यदि ऐसी कंपनी एक गैर-वित्तीय सेवा कंपनी या गैर-वित्तीय सेवा कंपनी अथवा समूह में गैर-परिचालन' वित्तीय होल्डिंग कंपनी का संचालन है। इसके अलावा, कंपनी को ही प्रमोटर माना जाएगा और प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप पर लागू होने वाले दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान उस पर लागू होंगे।

(बी) सूचीबद्ध कंपनी एनओएफएचसी नहीं हो सकती। इसके लिए एक एनओएफएचसी बनाने की जरूरत होगी, जिसका पूर्ण स्वामित्व उसके पास हो। एनओएफएचसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दिशानिर्देशों के पैरा 2 (जी) (iv) के प्रावधानों के अनुपालन में होनी चाहिए।

प्र.80. कुछ मुख्य निवेश कंपनियां स्थापित की जाती हैं या भविष्य में स्थापित की जा सकती हैं, विशुद्ध रूप से निवेश माध्यम के रूप में अन्य कंपनियों में प्रमोटर के निवेश को रोकने के लिए। हालांकि ये वित्तीय सेवा कंपनियां नहीं हैं, लेकिन इन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। क्या इन कंपनियों को उक्त खंड 2 सी (iii) के तहत शामिल किया जाएगा?

उ. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी जो केवल प्रवर्तक समूह की गैर-वित्तीय कंपनियों में शेयर रखती है, को वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा और एनओएफएचसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

प्र.81. कृपया स्पष्ट करें कि प्रवर्तक समूह संस्थाएँ, जो समूह की कंपनियों में निवेश करती हैं या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में निवेश करती हैं, को एनओएफएचसी के तहत आने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी प्रवर्तक समूह संस्थाएँ एनओएफएचसी में शेयर रख सकती हैं।

उ. प्रवर्तक समूह संस्थाएँ, जो समूह की कंपनियों में निवेश रखती हैं या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में निवेश करती हैं, को एनओएफएचसी के तहत आने की आवश्यकता नहीं है। वे एनओएफएचसी में शेयर रख सकते हैं, बशर्ते दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी) (ii) और (iii) में निर्धारित शर्तें पूरी हों।

प्र.82. यदि एक वित्तीय सेवा कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है और उसमें प्रवर्तक की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो क्या इसे 2(सी)(ii)(बी) की शर्त के अनुपालन के रूप में माना जा सकता है?

उ. नहीं। प्रवर्तक समूह की एक वित्तीय सेवा कंपनी एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं ले सकती है।

यदि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह जिसके पास एक वित्तीय सेवा कंपनी है, सूचीबद्ध या अन्यथा, एक बैंक स्थापित करना चाहता है, उक्त वित्तीय सेवा कंपनी को अपने सभी विनियमित वित्तीय सेवा व्यवसाय को एक अलग कंपनी/कंपनियों में स्थानांतरित करना होगा और एनओएफएचसी को ऐसी कंपनियों में शेयरधारिता को स्थानांतरित करना होगा। इसके द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा व्यवसाय को स्थानांतरित करने के बाद, यह एक वित्तीय सेवा कंपनी नहीं रह जाएगी, और यह एक एनओएफएचसी स्थापित कर सकती है, बशर्ते इसमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम न हो। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2(सी)(ii) और (iii)]

प्र.83. एनओएफएचसी में किस प्रकार की गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनियों के शेयर रखने की परिकल्पना की गई है? क्या ऐसी कंपनियों को सीआईसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा?

प्र.84. क्या एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी, एनओएफएचसी की प्रवर्तक होने के नाते और अनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निवेश रखती है, को आरबीआई के साथ कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी?

उ. (83 तथा 84) एक गैर-परिचालन होल्डिंग कंपनी जो अनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निवेश करती है, एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर रखने के लिए पात्र होगी। यदि वह निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है तो उसे आरबीआई के साथ सीआईसी या एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

प्र.85. गतिविधियों के संबंध में जो एक बैंक या तो बैंक के भीतर या एक अलग संस्था (जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि) के माध्यम से संचालित कर सकता है, क्या ऐसी संस्था को सहायक / संयुक्त उद्यम / बैंक का सहयोगी होना आवश्यक है या एनओएफएचसी का?

उ. क्रेडिट कार्ड, प्राइमरी डीलर, लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग आदि जैसी गतिविधियां बैंक द्वारा विभागीय रूप से या बैंक के बाहर एक अलग इकाई या संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं। यदि इस तरह की गतिविधि एक अलग इकाई के माध्यम से की जानी है, तो इसे सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या एनओएफएचसी के सहयोगी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि बैंक द्वारा, जब तक कि यह कानूनी रूप से आवश्यक न हो या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

प्र.86. जिस व्यवसाय के संबंध में एक बैंक को एक अलग संस्था के माध्यम से चलाने की अनुमति है, क्या गतिविधियां क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, लीजिंग, किराया खरीद, फैक्टरिंग तक सीमित हैं या इसमें बैंक के विवेक पर कोई अन्य सहायक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं?

A. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को सहायक और वित्तीय सेवा संस्थाओं की इक्विटी में निवेश करने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तदनुसार, बैंकों को बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत बैंकों को अनुमत गतिविधियों के संचालन के लिए सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों की स्थापना के लिए आरबीआई के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, लीजिंग, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि, या तो बैंक के अंदर विभागीय रूप से या बैंक के बाहर अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, वेंचर कैपिटल फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर ही की जा सकती हैं। ऋण गतिविधियां बैंक के अंदर से संचालित की जानी चाहिए। हालांकि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिसमें प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को एनओएफएचसी के तहत रखा जाना चाहिए और नहीं बैंक के तहत जब तक कि

यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

प्र.87. क्या बैंकों की सहायक कंपनियों में भी एफडीआई पर कोई प्रतिबंध है?

उ. सामान्य तौर पर, एनओएफएचसी के तहत आयोजित एक बैंक को सहायक कंपनियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक की एक सहायक कंपनी केवल वहीं स्थापित की जा सकती है जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक हो या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी) (vi)]। बैंक की सहायक कंपनी या एनओएफएचसी के तहत धारित वित्तीय सेवा संस्थाओं में एफडीआई निवेश भारत सरकार के डीआईपीपी दिशानिर्देशों/फेमा के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगा।

प्र.88. क्लॉज 2 (सी) (vi) के तहत, एनओएफएचसी को अपना व्यवसाय शुरू करने की तारीख से कम से कम 3 साल के लिए किसी भी नई वित्तीय सेवा इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं है, "सेट-अप" की परिकल्पना क्या है? क्या माइनॉरिटी शेयरहोल्डिंग को "सेट-अप" माना जा सकता है?

उ. स्थापना का अर्थ होगा एक नई इकाई को शामिल करना या किसी मौजूदा इकाई में शेयर प्राप्त करना जिसमें प्रमोटर समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' होगा (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) और जो विनियमित वित्तीय सेवा व्यवसाय करता है जिससे ऐसी संस्थाएँ एनओएफएचसी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी होना आवश्यक होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vi)]

प्र.89. क्या बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के रूप में नई वित्तीय सेवा व्यवसाय "स्थापित" कर सकता है?

उ. आम तौर पर बैंक को इसके तहत सहायक/संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एक बैंक को इसके तहत एक सहायक / संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है (उदाहरण के लिए, विशेष रूप से भारत के बाहर बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए एक बैंकिंग सहायक कंपनी)। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vi)]

प्र.90. यदि भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए बैंकिंग लाइसेंस के आवेदन में नए वित्तीय सेवा व्यवसाय को "सेट-अप" करने के इरादे का उल्लेख किया गया है, तो क्या इस पर विचार/अनुमति दी जाएगी?

उ. प्रमोटरों/प्रवर्तक समूहों को एनओएफएचसी का कारोबार शुरू होने की तारीख से तीन साल के भीतर कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही आवेदनों में इस तरह के इरादे का उल्लेख किया गया हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vi)]

प्र.91. खंड 2(सी)(vii) प्रदान करता है कि केवल वे विनियमित वित्तीय क्षेत्र संस्थाएं जिनमें प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है, एनओएफएचसी के तहत आयोजित की जाएंगी। क्या प्रवर्तक समूह गैर-विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को जारी रख सकता है, जिन पर एनओएफएचसी संरचना के बाहर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण (या अन्यथा) है या क्या इसके लिए अनिवार्य रूप से अपनी होल्डिंग को विभाजित करना आवश्यक होगा?

उ. हां। प्रवर्तक समूह की वित्तीय सेवा संस्थाएँ जो आरबीआई या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकीय द्वारा विनियमित नहीं हैं, उन्हें एनओएफएचसी संरचना के तहत नहीं लाया जा सकता है। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (iii)]

प्र.92. दिशानिर्देशों के खंड 2डी(iv) में सार्वजनिक निर्गम या निजी व्यवस्था के माध्यम से पहले 5 वर्षों में मतदान पूंजी में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। क्या राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाया जा सकता है?

उ. हां। अधिकारों के निर्गम से संबंधित नियमों के अधीन। एनओएफएचसी की शेयरधारिता बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत होगी, जो बैंक के कारोबार के शुरू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए बंद रहेगी। कुल प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता को बैंक का कारोबार शुरू करने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 40 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (डी) (ii) और (iii)]

प्र.93. क्या बैंक और एनओएफएचसी को एक ही निदेशक रखने की अनुमति है? इसलिए क्या उनके पास भी कुछ और/या सभी सामान्य स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं? इसी तरह, क्या एनओएफएचसी के पास एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के रूप में कुछ और/या सभी सामान्य स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं?

उ. एनओएफएचसी और बैंक में समान निदेशक हो सकते हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(जी)(i)]। एनओएफएचसी के निदेशक को बैंक का स्वतंत्र निदेशक नहीं माना जा सकता है। एनओएफएचसी और अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के बीच सामान्य निदेशक संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों के नियमों के अनुसार होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 जी (iv)]

***प्र.94. क्या लाइसेंस के लिए आरबीआई को आवेदन करने से पहले एक बैंक को शामिल किया जाना है?* क्या बैंक को एक सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया जाना है?**

उ. नहीं। रिज़र्व बैंक से 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्राप्त किए बिना बैंक को शामिल नहीं किया जा सकता है। बैंक को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा।

Q.95. क्या आवेदन जमा करने से पहले बैंकिंग कंपनी को शामिल करना आवश्यक है? यदि नहीं, तो फॉर्म III, जिसमें निगमन आदि की तिथि का विवरण होता है, कैसे भरा जाना चाहिए?

उ. नहीं। रिज़र्व बैंक से 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्राप्त किए बिना बैंक को शामिल नहीं किया जा सकता यदि रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाता है, तो बैंक को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। फॉर्म III में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

प्र.96. एक सूचीबद्ध एनबीएफसी के लिए (जिसके व्यक्तिगत प्रमोटर के पास व्यक्तिगत क्षमता में 10 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं), जो एक बैंक बनाने की इच्छा रखते हैं - सूचीबद्ध एनबीएफसी के स्वामित्व को पैरा 2(सी) (iii) के अनुसार एनओएफएचसी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

यह शेयरों की अदला-बदली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसमें एनओएफएचसी मौजूदा शेयरधारकों से सूचीबद्ध एनबीएफसी के शेयरों का अधिग्रहण करेगा और बदले में शेयरधारकों को एनओएफएचसी शेयर जारी करेगा। ऐसे परिदृश्य में, पैरा 2(सी) (ii)(ए) में वर्णित एनओएफएचसी में व्यक्तिगत प्रवर्तक द्वारा 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी की सीमा पहले दिन पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि एनओएफएचसी की शेयरधारिता उसी की दर्पण छवि होगी। सूचीबद्ध एनबीएफसी की। हालांकि, चूंकि एनओएफएचसी को तीन साल के भीतर बैंक में अपनी हिस्सेदारी 40 फीसदी तक लानी होगी, इसलिए व्यक्तिगत प्रमोटर की हिस्सेदारी स्वत: ही 10 फीसदी से कम हो जाएगी, हालांकि शुरुआत में यह एनओएफएचसी में 10 फीसदी से अधिक हो सकती है।

क्या पैराग्राफ 2(सी)(ii)(ए) की शर्त के लिए कोई छूट/छूट दी जाएगी?

क्या एकल प्रवर्तकों को एक निश्चित समयावधि - मान लीजिए 2-3 वर्ष में 10 प्रतिशत तक कम होने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी जाएगी?

उ. यह मॉडल निम्नलिखित कारणों से संभव नहीं है:

(i) एनओएफएचसी पूरी तरह से प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह [दिशानिर्देशों के पैरा 2(ए)] के स्वामित्व में होना चाहिए।

(ii) यदि शेयर स्वैप के परिणामस्वरूप, एनओएफएचसी की शेयरधारिता का कोई हिस्सा जनता के पास है, जिसके पास सूचीबद्ध एनबीएफसी में शेयर हैं, तो एनओएफएचसी पर प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का पूर्ण स्वामित्व नहीं हो सकता है।

ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाले मॉडल का वर्णन ऊपर क्रम संख्या 71 में प्रश्न के उत्तर में किया गया है।

प्र.97. निजी क्षेत्र में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों द्वारा स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी की पूंजी संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए) प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित) के साथ एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाले वोटिंग इक्विटी शेयर और उन संस्थाओं के साथ जिनमें वह और / या उसके रिश्तेदारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हों, और

बी) प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियाँ जिनमें जनता के पास 51 प्रतिशत से कम वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं हैं, **एनओएफएचसी** *के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा।"*

<u>हमारा प्रश्न: -</u>

यह मानते हुए कि प्रवर्तकों के पास कोई सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, जिसमें जनता की अधिक रुचि है, "एनओएफएचसी में शेष 90 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरों को कैसे पूर्ण स्वामित्व में लाया जाए?"

उ. आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी पूरी तरह से प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के स्वामित्व में हो। इसके अलावा, एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर प्रमोटर समूह की कंपनियों के पास होने चाहिए, जिसमें जनता के पास उन कंपनियों की वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। एक कंपनी जिसमें जनता की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है, जरूरी नहीं कि वह सूचीबद्ध हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (i) और (ii)]

प्र.98. क्या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सीआईसी, आरबीआई के साथ पंजीकृत है या नहीं, बैंक को बढ़ावा देने के लिए एनओएफएचसी का 100 प्रतिशत प्रमोटर हो सकता है?

उ. हां। प्रवर्तक समूह में एक सूचीबद्ध सीआईसी के पास एनओएफएचसी में 100 प्रतिशत शेयरधारिता हो सकती है, बशर्ते सीआईसी में जनता के पास कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हों। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी) और 2 सी (iii)]

प्र.99. क्या पैरा 2 (सी) 2 (ए) और (बी) में दोनों शर्तें आवश्यक हैं। क्या एक प्रवर्तक समूह कंपनी, जहां सार्वजनिक होल्डिंग 51% से अधिक है, को एनओएफएचसी के 100% वोटिंग इक्विटी शेयर रखने की अनुमति होगी।

उ. एक प्रवर्तक समूह कंपनी जहां सार्वजनिक हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक है, एनओएफएचसी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकती है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (ए) और (बी)]

प्र.100. क्या एक बहुस्तरीय, गैर-ऑपरेटिव कंपनी यानी केवल निवेश रखने वाली कंपनी को बढ़ावा देने वाली कंपनी, जबकि इसके ऊपर वित्तीय क्षेत्र में शामिल एक बैंक को बढ़ावा देने के लिए एनओएफएचसी का 100 प्रतिशत प्रमोटर हो सकता है, अगर प्रवर्तक कंपनी पब्लिक होल्डिंग के कम से कम 51 प्रतिशत का मानदंड को पूरा करती है?

उ. दिशानिर्देशों की आवश्यकता है कि:

प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ जिनमें प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को केवल एनओएफएचसी द्वारा धारित संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाना चाहिए।

कोई इकाई जिसमें एनओएफएचसी की शेयरधारिता है, एनओएफएचसी में शेयर नहीं रख सकती है।

इसलिए, वित्तीय क्षेत्र में ऐसी कोई कंपनी शामिल नहीं हो सकती है जो एनओएफएचसी के शीर्ष पर हो और एनओएफएचसी की 100 प्रतिशत प्रवर्तक हो।

प्र.101. क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) या प्रमोटर कंपनी की हाउसिंग फाइनेंस गतिविधियों को अनिवार्य रूप से एनओएफएचसी के तहत लाना होगा? यदि एचएफसी एक वित्तीय क्षेत्र विनियमित इकाई के पास है, तो क्या आरबीआई निवेश करने वाली कंपनी (वित्तीय क्षेत्र की इकाई) को एनओएफएचसी के तहत आने के लिए जोर देगा?

प्र.102. यदि समूह वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक इकाई के माध्यम से आवास वित्त प्रदान करता है, तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या आवास वित्त इकाई द्वारा एनओएफएचसी के तहत इन गतिविधियों को जारी रखा जा सकता है? वैकल्पिक रूप से, क्या बैंक हाउसिंग फाइनेंस इकाई को अपनी सहायक कंपनी के रूप में रख सकता है, एक ऐसी संरचना जिसे कुछ अन्य बैंकों ने अपनाया हुआ प्रतीत होता है?

उ. (101 & 102) ऋण गतिविधियां बैंक के अंदर से संचालित की जानी चाहिए। इसलिए, एचएफसी की हाउसिंग फाइनेंस गतिविधि एनओएफएचसी के तहत बैंक को हस्तांतरित की जानी चाहिए। वित्तीय क्षेत्र की विनियमित इकाई जो एचएफसी को काफी हद तक रखती है, उसे एनओएफएचसी के तहत आना होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iii)]

प्र.103. क्या कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक इकाई जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, वित्तीय क्षेत्र के एक विनियामकीय द्वारा विनियमित है और मुख्य रूप से खुदरा बंधक ऋण देने में लगी हुई है, एनओएफएचसी को बढ़ावा दे सकती है?

उ. नहीं। ऐसी संस्था एनओएफएचसी को बढ़ावा नहीं दे सकती क्योंकि ऋण देने की गतिविधियां बैंक के अंदर से ही संचालित की जानी चाहिए। इसलिए, संस्था की खुदरा बंधक ऋण गतिविधि को एनओएफएचसी के तहत बैंक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ जिनमें प्रमोटर समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को एनओएफएचसी द्वारा आयोजित किया जाना है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी)(iii) और (vii)]

प्र.104. यदि आवेदक में कुल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी कंपनियों की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से कम है तो क्या आवेदक को एक निजी क्षेत्र की इकाई माना जाएगा?

उ. जिन संस्थाओं में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम है, उन्हें निजी क्षेत्र की संस्था माना जाएगा, बशर्ते कोई स्पष्ट या निहित समझौता या व्यवस्था न हो जिसके माध्यम से सरकार नियंत्रण कर सके। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) (i)]

प्र.105. यदि आवेदक का 40 प्रतिशत संसद के एक अधिनियम के तहत निगमित और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक विनियमित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, तो संसद के एक अधिनियम के तहत शामिल एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा आवेदक की शेयरधारिता के आधार पर, ऐसा होगा वित्तीय संस्थान को एक इकाई के रूप में माना जाएगा जो प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं है? इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुबंध I के खंड II के परंतुक के कारण, क्या यह व्याख्या की जा सकती है कि यह वित्तीय संस्थान प्रवर्तक समूह का हिस्सा नहीं होगा?

प्र.106. एनओएफएचसी संरचना के तहत एफआई द्वारा एक नया बैंक बनाने की स्थिति में, नए बैंक लाइसेंस दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए किन संस्थाओं को प्रवर्तक समूह माना जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक में प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के लिए एक संदर्भ भी आमंत्रित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एनओएफएचसी को बढ़ावा देने वाले कॉर्पोरेट में 10% या अधिक इक्विटी रखने वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों को प्रवर्तक समूह के रूप में नहीं माना जाएगा।

उ. (105 एवं 106) कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान प्रवर्तक समूह का हिस्सा है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह किसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर एनओएफएचसी के प्रभावी नियंत्रण में है।

प्र.107. कृपया स्पष्ट करें कि क्या प्रमोटर कंपनी के मौजूदा बंधक ऋण व्यवसाय को नए बैंक में स्थानांतरित करना अनिवार्य है और क्या मौजूदा बंधक व्यवसाय को बैंक के बाहर मौजूदा कंपनी के भीतर जारी रखने की अनुमति देने के लिए कोई छूट दी जाएगी?

प्र.108. एनबीएफसी-आईएफसी ढांचे को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बढ़ती वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए आकार दिया गया था, जिसे बैंकों द्वारा बैंकों के लिए विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत पूरा नहीं किया जा सकता था। अब जबकि प्रवर्तकों/प्रवर्तक संस्थाओं को बैंक को बढ़ावा देने वाले एनओएफएचसी के तहत अपनी सभी वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों को लाने की आवश्यकता है, तो क्या आरबीआई की आवश्यकता है कि वर्तमान में प्रवर्तक द्वारा की जा रही अवसंरचना उधार गतिविधि को बैंक में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए या इसे एक बैंक द्वारा किया जा सकता है। एनओएफएचसी के तहत अलग एनबीएफसी-आईएफसी?

प्र.109. क्या मौजूदा एनबीएफसी संचालन वाला एक प्रवर्तक समूह बैंक की स्थापना के बाद भी एनबीएफसी संचालन (ऋण व्यवसाय का) जारी रख सकता है, खासकर जब से वे आला क्षेत्रों में वित्त देते हैं और चूंकि एनबीएफसी के वित्तीय निवेशक बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरित होने में असहज हो सकते हैं - पैरा 2 सी (iv) (बी) इसकी अनुमति देता है।

प्र.110. दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iv)(बी) से यह स्पष्ट है कि किराया खरीद/लीजिंग गतिविधियों/फैक्टरिंग गतिविधियों को चलाने की अनुमति है। इसलिए, उद्देश्य प्रतीत होता है, उन गतिविधियों की अनुमति देना जो एक बैंक किसी अन्य इकाई / एनबीएफसी के साथ समवर्ती रूप से संचालित कर सकता है। हालांकि, "ऋण व्यवसाय" शब्द का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। क्या शब्द "आदि" में ऋण कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं? किराया खरीद और पट्टे पर देने वाली कंपनियों को अनुमति देते समय केवल ऋण कंपनियों को बाहर करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी एनबीएफसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से किराया खरीद / पट्टे पर लेनदेन की प्रकृति में हैं और एक ऋण समझौते के लिए नामकरण / प्रवास (लगभग 5-6 साल पहले) सेवा कर जैसी अतिरिक्त लागतों को लागू करने के कारण ही किया गया था। एनबीएफसी के लिए, किराया खरीद और पट्टा केवल एक वित्तपोषण लेनदेन है और परिचालन पट्टा आदि नहीं है। सभी 3 लेनदेन (किराया खरीद, पट्टा और ऋण) का उद्देश्य केवल पैसा उधार देना और एक निश्चित अवधि में ब्याज के साथ उसकी वसूली करना है।

क्या बैंक की स्थापना-पैरा 2 सी (iv) (बी) के बाद भी मौजूदा एनबीएफसी संचालन वाला प्रमोटर समूह एनबीएफसी संचालन (ऋण व्यवसाय का) जारी रख सकता है।

प्र.111. अवसंरचना उधार को कुछ अन्य प्रकार के उधार की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है, अवसंरचना वित्तीय कंपनी के ढांचे के भीतर, निवेशक/ देनदार अपने निधि के उपयोग के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक बैंक सेट-अप के तहत चूंकि देनदारियां प्रतिमोच्य हैं, जोखिम (इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को उधार देने का) जमाकर्ता को दिया जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि प्रारंभिक एकीकरण में जोखिमों और कठिनाइयों को देखते हुए इंफ्रा व्यवसाय को एक नए बैंक के बाहर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इसलिए आरबीआई से एक अपवाद बनाने का अनुरोध करते हैं।

प्र.112. हमारा मानना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बैंक के बाहर लेकिन एनओएफएचसी के तहत एक अलग वित्तीय इकाई के माध्यम से संचालित की जाने वाली एक विशेष गतिविधि के रूप में माना जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दीर्घकालिक देयता प्रोफ़ाइल और उच्च भारित जोखिमों को देखते हुए अवसंरचना क्षेत्र को बैंक ऋण देने की बढ़ती हिस्सेदारी पर अक्सर अपनी चिंता व्यक्त की है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि अवसंरचना वित्तीय को इसके अधिक कड़े और उचित विनियामकीय अनुपालन के साथ आईएफसी प्रारूप में करने की अनुमति देना बेहतर होगा।

प्र.113. जब भी किसी बैंक और एनबीएफसी (जैसे आवास वित्त) दोनों द्वारा कोई गतिविधि की जा सकती है, तो हम समझते हैं कि प्रमोटर को अपने विवेक से किसी भी विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति होगी। कृपया पुष्टि करें।

उ. (107 से 113) इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, लीजिंग, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि, या तो बैंक के अंदर विभागीय रूप से या बैंक के बाहर अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा

प्रायोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट रीकंस्ट्रक्शन, वेंचर कैपिटल फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर ही की जा सकती हैं। ऋण गतिविधियां बैंक के अंदर से संचालित की जानी चाहिए। हालांकि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिसमें प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को एनओएफएचसी के तहत रखा जाना है और बैंक के अंतर्गत नहीं जब तक कि यह कानूनी रूप से आवश्यक न हो या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]

प्र.114. (i) क्या व्यावसायिक संस्थाओं/समूहों का एक 'कंसोर्टियम' बनाना संभव है जो एक नए बैंक को बढ़ावा देने के लिए एनओएफएचसी बनाता है?

(ii) वैकल्पिक रूप से, यदि कोई रणनीतिक भागीदार किसी मौजूदा समूह द्वारा प्रवर्तित एनओएफएचसी रखने वाली कंपनियों में से किसी एक में हिस्सेदारी (26 प्रतिशत से कम) हासिल करता है, तो क्या उस भागीदार को भी प्रवर्तक माना जाएगा?

(iii) क्या रणनीतिक भागीदार को अपने मौजूदा वित्तीय सेवा व्यवसायों को भी प्रवर्तकों द्वारा स्थापित एनओएफएचसी के तहत लाने की आवश्यकता होगी?

उ. (i) नहीं। एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व एकल प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के अनुसार) और शेयरधारिता का पैटर्न दिशा-निर्देश के पैरा 2(सी)(ii) और (iii) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। एनओएफएचसी स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अलग-अलग समूह एक साथ नहीं जुड़ सकते।

(ii) तथा (iii) एक रणनीतिक शेयरधारक जो प्रमोटर समूह का हिस्सा नहीं है, प्रमोटर समूह से संबंधित कंपनी में शेयरधारक हो सकता है (दिशानिर्देशों के अनुबंध I में परिभाषा के अनुसार), जो एनओएफएचसी में शेयर रखता है। यदि रणनीतिक भागीदार कंपनी के नियंत्रण में है और निवासी नहीं है, तो कंपनी एनओएफएचसी में शेयर नहीं रख सकती है, क्योंकि एनओएफएचसी का स्वामित्व और नियंत्रण निवासियों द्वारा किया जाना है। रणनीतिक साझेदार को सार्वजनिक शेयरधारिता का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, यदि वह, अपनी शेयरधारिता के आधार पर या अन्यथा, कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण रखता है।

प्र.115. जहां एक सूचीबद्ध/असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी/निजी कंपनी एक प्रवर्तक है, क्या ऐसी सूचीबद्ध/असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी/निजी कंपनी का रणनीतिक निवेशक जो प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह नहीं है, बैंकिंग कंपनी में सीधे शेयर रख सकता है?

उ. हां। हालांकि, एनओएफएचसी के अलावा किसी भी इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा और शेयरों का कोई भी अधिग्रहण होगा जो बैंक की पेड-अप

वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक के समतुल्य किसी व्यक्ति/संस्था/समूह की कुल धारिता को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (के)(ii)(iii)]

प्र.116. क्या दिशानिर्देशों के 2(ए) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले 2 अलग-अलग प्रमोटर समूहों द्वारा संयुक्त रूप से एक एनओएफएचसी स्थापित किया जा सकता है?

उ. नहीं। एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व एकल प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के और शेयरधारिता का पैटर्न पैरा 2(सी)(ii) और (iii) दिशानिर्देशों के अनुसार। दो या दो से अधिक अलग-अलग प्रमोटर समूह एक एनओएफएचसी स्थापित करने के लिए एक साथ गठबंधन नहीं कर सकते।

प्र.117. 'बैंकिंग मॉडल के साथ गलत गठबंधन' के रूप में क्या माना जाएगा? क्या शुद्ध एजेंसी व्यवसाय, हालांकि बाजार से जुड़ा हुआ है, को सट्टा के रूप में माना जाएगा? (उदाहरण के लिए ब्रोकिंग) यदि ऐसा है, तो यदि कुल योगदान राजस्व और/या संपत्ति के 15 प्रतिशत से कम है, तो क्या यह अभी भी काफी पर्याप्त होगा जिसे गलत संरेखण के रूप में समझा जा सकता है।

***प्र.118.* प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के व्यवसाय मॉडल और व्यवसाय संस्कृति को बैंकिंग मॉडल के साथ गलत तरीके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और समूह की गतिविधियों के कारण बैंक और बैंकिंग प्रणाली को संभावित रूप से जोखिम में नहीं डालना चाहिए जैसे कि वे जो प्रकृति में सट्टा हैं या उच्च आस्ति मूल्य अस्थिरता के अधीन हैं। जिन व्यवसायों/गतिविधियों को सट्टा माना जा रहा है या संपत्ति की कीमत में उच्च अस्थिरता है, उन्हें स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।**

प्र.119. कृपया / विशिष्ट विवरण / उदाहरणों के लिए विस्तृत और पैरामीटर प्रदान करें:

ए. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार मॉडल और व्यवसाय संस्कृति को बैंकिंग मॉडल के साथ गलत माना जाता है

बी. कारोबार/गतिविधियां जिन्हें आरबीआई सट्टा प्रकृति या उच्च परिसंपत्ति मूल्य अस्थिरता के अधीन मानता है।

ये स्पष्टीकरण आरबीआई की अपेक्षाओं का पालन करने और भविष्य के व्यवसाय की योजना बनाने में सहायक होंगे।

उ. (117 से 119) 'बैंकिंग मॉडल के साथ गलत संरेखण' का अर्थ व्यवसाय मॉडल और व्यवसाय संस्कृति है जो संभावित रूप से बैंक और बैंकिंग प्रणाली को समूह की गतिविधियों के कारण जोखिम में डालता है जैसे कि वे जो प्रकृति में सट्टा हैं या उच्च आस्ति मूल्य अस्थिरता के अधीन हैं [पैरा (2) (बी) (सी) दिशानिर्देशों के]। पर्याप्त अंशदान को प्रतिशत के रूप में सटीक रूप से परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन इसे व्यावसायिक गतिविधियों के समग्र संदर्भ में देखा जाएगा।

प्र.120. एनओएफएचसी के स्वामित्व पर, क्या कंपनी (51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक धारिता के साथ) एक प्रमुख निवेश कंपनी हो सकती है?

उ. यदि प्रवर्तक समूह से संबंधित मुख्य निवेश कंपनी के पास 51 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक हिस्सेदारी है, तो वह एनओएफएचसी स्थापित कर सकती है, और एनओएफएचसी के 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हो सकते हैं।

प्र.121. क्या पब्लिक होल्डिंग का मतलब (i) लिस्टिंग जरूरी है? (ii) किसी अन्य बड़े शेयरधारकों की अनुपस्थिति? (उदाहरण के लिए 2-3 अन्य प्रत्येक 5-10 प्रतिशत के मालिक हैं)

उ. सार्वजनिक शेयरधारिता का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी सूचीबद्ध है। आवश्यक यह है कि कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता प्रवर्तकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई हो और ऐसा कोई भी शेयरधारक अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित) और ऐसी संस्थाओं के साथ नहीं जिसमें वह और / या उसके रिश्तेदारों के पास 50 प्रतिशत से कम वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं हैं, जो उसकी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (लेखा मानक 23 में परिभाषित) का प्रयोग करते हैं।

प्र.122. धारण संरचना पर, क्या एनओएफएचसी को शेयरों के हस्तांतरण पर कर छूट होगी?

प्र.123.मौजूदा समूह व्यवसाय और स्वामित्व संरचना को दिशानिर्देशों द्वारा आवश्यक रूप में संरेखित करने के लिए समूह के भीतर शेयरधारिता और/या व्यावसायिक गतिविधियों के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। इस तरह के हस्तांतरण आयकर, वैट और / या स्टाम्प शुल्क के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय होल्डिंग वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ने वित्तीय होल्डिंग कंपनी संरचना में माइग्रेट करने की संक्रमण लागत को कम करने के लिए कराधान और स्टांप शुल्क कानूनों में संशोधन की सिफारिश की थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के संबंध में चर्चा के दौरान भी यही बात दोहराई गई। क्या इस संबंध में किसी राहत की उम्मीद की जा सकती है?

प्र.124. मौजूदा वित्तीय सेवा संस्थाओं को उनके मौजूदा धारण संरचना से एनओएफएचसी में स्थानांतरित करने पर एक बार का कर निहितार्थ हो सकता है, क्या आरबीआई इस तरह के हस्तांतरण के लिए छूट की सिफारिश करेगा क्योंकि यह विनियमन का पालन करने के लिए किया गया है ?

प्र.125. नए बैंक लाइसेंस के लिए जाने वाले आवेदकों को अपनी संरचना/शेयरहोल्डिंग/एसेट पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। यह निवेदन किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन आवेदकों को छूट के माध्यम से आयकर से एक बार छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठा सकता है जिन्हें नए बैंकिंग लाइसेंस दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए अपनी शेयरधारिता/संपत्ति/पोर्टफोलियो आदि का पुनर्गठन करना है।

प्र.126. क्या कर या शुल्क (स्टांप शुल्क या अन्य) से छूट उपलब्ध होगी, जो किसी भी पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, जिसे बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाना आवश्यक होगा।

प्र.127. अंतिम दिशानिर्देशों में प्रमोटरों को एनओएफएचसी बनाने और एनओएफएचसी के तहत प्रमोटर समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। साथ ही, ऐसी गतिविधियाँ जो एक बैंक विभागीय रूप से कर सकता है, उन्हें कई विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं से बैंक में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों शर्तों में सहायक सामग्री कर और स्टांप शुल्क निहितार्थों के साथ मौजूदा व्यवसायों के महत्वपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता है। निर्धारित दिशानिर्देशों के सफल और समय पर पालन के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा यदि आरबीआई और सरकार इन दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए पुनर्गठन के लिए एक बार कर और स्टांप शुल्क छूट प्रदान कर सकते हैं।

प्र.128. एनओएफएचसी के निर्माण से प्रवर्तक समूह के कॉर्पोरेट ढांचे में एक और परत जुड़ जाएगी। नतीजतन, मौजूदा कर विनियमों के तहत लाभांश वितरण कर की एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त घटना होगी। आरबीआई और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे इसके तहत वित्तीय सेवा संस्थाओं से एनओएफएचसी द्वारा घोषित और प्राप्त लाभांश का पास-थ्रू लाभ प्रदान करें।

प्र.129. दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए मौजूदा वित्तीय संस्थाओं (प्रमोटर समूह के) के पुनर्गठन की प्रक्रिया में स्टांप शुल्क, आयकर आदि के माध्यम से पर्याप्त अनपेक्षित लागत शामिल है (उदाहरण के लिए एनओएफएचसी के लिए एमएटी निहितार्थ, क्योंकि एनओएफएचसी गैर-परिचालन इकाई होगी जिसके तहत कोई ऑफसेट एमएटी के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होगा)। इसलिए, इस बोझ से बचने के लिए विभिन्न विधानों में उचित बदलाव की आवश्यकता होगी। हम अनुरोध करते हैं कि प्रासंगिक विधानों में संशोधन होने तक उपयुक्त संक्रमण अवधि प्रदान की जाए।

प्र.130. हस्तांतरण/विनिवेश/पोर्टफोलियो की बिक्री के माध्यम से मौजूदा एनबीएफसी का बैंक में रूपांतरण स्टाम्प शुल्क के अधीन हो सकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि आरबीआई उन आवेदकों को छूट देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मामला उठा सकता है जिन्हें आरबीआई के नए बैंकिंग लाइसेंस दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए अपने आस्ति पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को सूट का पालन करने के लिए राजी कर सकती है।

उ. (122 से 130) कराधान कर प्राधिकारियों के कानूनों/नियमों के अनुसार होगा।

प्र.131. (i) क्या आवेदन के स्तर पर सीईओ का नाम देना आवश्यक है?

(ii) हालांकि बैंककारी विनियमन (कंपनी नियम, 1949) के फॉर्म III में आवेदकों को जमा करने के समय सीईओ का नाम प्रदान करने की आवश्यकता होती है, सैद्धांतिक अनुमोदन में स्पष्टता प्राप्त करने से पहले आवेदकों में से सबसे बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आवेदन जमा करने के समय ही किसी विशेष सीईओ की पहचान करना वांछनीय नहीं हो सकता है।

पूर्वगामी के मद्देनजर, और चूंकि बैंक के सीईओ की पसंद किसी भी मामले में आरबीआई द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी, हमारी समझ यह है कि हमें सीईओ के पद के लिए विशेष रूप से उम्मीदवार की पहचान करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की आवश्यकता है। बैंक लाइसेंस लेकिन संचालन शुरू होने से पहले। कृपया पुष्टि करें।

उ. (i) तथा (ii) यदि आवेदन के स्तर पर सीईओ की पहचान नहीं की जाती है, तो सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीईओ सहित प्रबंधन टीम के नामों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

प्र.132. निर्धारित फॉर्म III में आवेदक को प्रस्तावित मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, उसकी योग्यता, अनुभव, आयु और प्रस्तावित पारिश्रमिक देने की आवश्यकता है।

बैंक लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन लंबित होने के कारण, मौजूदा कार्यों वाले कई संभावित सीईओ उम्मीदवार संभावित आवेदकों के साथ भूमिका स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

यह उपयोगी होगा यदि आरबीआई यह स्पष्ट कर सके कि लाइसेंस के अनुदान के लंबित होने पर, एक पेशेवर जो प्रमोटर समूह का हिस्सा है, को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और सैद्धांतिक अनुमोदन के अनुदान के बाद, सफल आवेदक को आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से पूर्णकालिक सीईओ नियुक्ति किय ज सकता है।

उ. एनओएफएचसी, बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में स्वामित्व और प्रबंधन अलग और अलग होगा। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद (जी) (vii)]। यदि आवेदन के स्तर पर सीईओ की पहचान नहीं की जाती है, तो सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीईओ सहित प्रबंधन टीम के नामों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

प्र.133. क्या आरबीआई नए बैंकों को उनके / समूह के ब्रांड नाम या लोगो या प्रवर्तक समूह में अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली टैगलाइन का उपयोग करने की अनुमति देगा?

उ. हां। बैंक प्रवर्तक समूह के ब्रांड नाम / लोगो या टैगलाइन का उपयोग कर सकते हैं जहां तक वे बैंकिंग कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसे संप्रेषित करते हैं।

प्र.134. क्या बैंक को बढ़ावा देने वाली एनओएफएचसी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली इकाई में अल्पांश हिस्सेदारी (मान लीजिए 27 प्रतिशत) रखने वाले प्रमोटर को प्रवर्तक इकाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से प्रतिबंधित किया जाएगा? यदि हां, तो किस अवधि के लिए ?

उ. दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकता यह है कि प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियाँ, जिनमें जनता के पास 51 प्रतिशत से कम वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं हैं, एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे में, किसी भी परिस्थिति में

प्रमोटरों को दिशानिर्देशों के पैरा (2) (सी) (ii) की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में ऐसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्र.135. क्या आरबीआई अपनी वेबसाइट पर 9,999 से कम आबादी वाले बैंक रहित केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने पर विचार करेगा?

उ. 9,999 से कम आबादी वाले बैंक रहित केंद्रों की सूची संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) और जिला सलाहकार समितियों (डीसीसी) से शाखाएं खोलते समय प्राप्त की जा सकती है।

प्र.136. (i) यह हमारी समझ है कि एक व्यापक रूप से धारित सूचीबद्ध एनबीएफसी, जिसका कोई संचालन नहीं है, वह एनओएचएफसी हो सकती है जिसके पास बैंक है। कृपया पुष्टि करें।

(ii) यह भी हमारी समझ है कि एक व्यापक रूप से आयोजित सूचीबद्ध एनबीएफसी, जिसका कोई संचालन नहीं है, और कोई प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह नहीं है, वह एनओएचएफसी हो सकता है जिसके पास बैंक है। कृपया पुष्टि करें।

(iii) कृपया पुष्टि करें कि व्यापक रूप से धारित सूचीबद्ध एनओएफएचसी में भारत सरकार के पास 10 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 26 प्रतिशत से कम की अनुमति होगी, जिसमें कोई प्रमोटर/प्रमोटर समूह नहीं है, जिसके पास बैंक है।

(iv) पैरा 2के (iii) में कहा गया है कि "एनओएफएचसी के अलावा किसी भी इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास बैंक की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा"। हमारी समझ यह है कि यह स्वीकार्य होगा यदि भारत सरकार एकमात्र ऐसी संस्था हो जिसके पास बैंक का 10 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 26 प्रतिशत से कम हो।

उ. (i) से (iii) एनओएफएचसी पर प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। इसलिए, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और तदनुसार एक सूचीबद्ध एनबीएफसी एनओएफएचसी नहीं हो सकती है।

(iv) 10 प्रतिशत की शर्त बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी पर भी लागू होगी, क्योंकि ये बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होंगे।

प्र.137. दिशानिर्देशों के पैरा 2ए में कहा गया है कि "निजी क्षेत्र की संस्थाएं / समूह जो डीआईपीपी और फेमा नियमों में परिभाषित 'स्वामित्व और निवासियों द्वारा नियंत्रित' हैं, एनओएफएचसी को बढ़ावा देने के लिए पात्र हैं"। यह हमारी समझ है कि एक सूचीबद्ध कंपनी जिसे आज "विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी" माना जाता है, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है और बैंक को रखने वाली एनओएफएचसी बनने के योग्य है, बशर्ते कि यह "भारतीय कंपनी के स्वामित्व

वाली और निवासियों द्वारा नियंत्रित" बैंक के संचालन के प्रारंभ से पहले, यानी यह सैद्धांतिक लाइसेंस जारी करने के 12 महीनों के भीतर दिशानिर्देशों के अनुरूप हो जाता है। कृपया पुष्टि करें।

उ. एनओएफएचसी पर प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। इसलिए, एक सूचीबद्ध कंपनी एनओएफएचसी नहीं हो सकती।

आवेदन करते समय, प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूह को एक रोड मैप और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) और (सी) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट संरचना की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनाएंगे। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और प्रस्तावित बैंक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन या परिचालन शुरू करने की तारीख जो भी पहले हो, 18 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा।

प्र.138. दिशानिर्देशों का पैरा 2डी(iii) बैंकों के लिए न्यूनतम वोटिंग इक्विटी पूंजी आवश्यकताओं और एनओएफएचसी द्वारा शेयरधारिता के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि "कुल पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक की बैंक में एनओएफएचसी द्वारा शेयरधारिता को बैंक के कारोबार शुरू होने की तारीख से तीन साल के भीतर 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा"। विविध स्वामित्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, क्या आप व्यापक रूप से आयोजित, सूचीबद्ध एनओएफएचसी के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित दो बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूह नहीं है और कोई भी इकाई 10 प्रतिशत से अधिक का मालिक नहीं है:

(i) क्या इस तरह के एनओएफएचसी को बैंक में हिस्सेदारी घटाकर 40 फीसदी करने की जरूरत होगी?

(ii) क्या ऐसे एनओएफएचसी द्वारा धारित बैंक को सूचीबद्ध होने की आवश्यकता होगी?

उ. प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूह को दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी) में निर्धारित कॉर्पोरेट संरचना के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाला एनओएफएचसी स्थापित करना होगा। इसलिए एनओएफएचसी सूचीबद्ध कंपनी नहीं हो सकती। पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी को बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से तीन साल के भीतर बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत से अधिक घटाकर 40 प्रतिशत करना होगा। बैंक अपने शेयरों को व्यवसाय शुरू करने के तीन साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करवाएगा।

प्र.139. (i) डीआईपीपी दिशानिर्देशों के तहत, यदि किसी कंपनी में अनिवासी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से कम है, तो डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए 'सी थ्रू' खंड लागू नहीं होता है। निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2एफ के अनुसार, कोई भी अनिवासी बैंक में 5 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकता है। ऐसी स्थिति में जहां एनओएफएचसी में कुल विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से कम है, क्या एक अनिवासी व्यक्तिगत शेयरधारक एनओएफएचसी में 5

प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी जारी रख सकता है, क्योंकि "देखना" खंड लागू नहीं होता है ? कृपया स्पष्ट करें।

(ii) उपरोक्त बिंदु के समान ही, ऐसी स्थिति में जहां एनओएफएचसी भारतीय शेयर धारकों द्वारा> 50 प्रतिशत रखता है, क्या एनओएफएचसी भारतीय स्वामित्व के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, "हालांकि देखें" पर विचार नहीं करता है। इस संदर्भ में, जब बैंक को सूचीबद्ध होना है और एनओएफएचसी द्वारा इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत कम हो जाती है, तो क्या बैंक के पास कुल अनिवासी शेयरधारिता 49 प्रतिशत तक हो सकती है? कृपया स्पष्ट करें।

उ. (i) आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी निवासी के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए, अनिवासी एनओएफएचसी में शेयर नहीं रख सकते।

(ii) एनओएफएचसी निजी क्षेत्र में संस्थाओं / समूहों के पूर्ण स्वामित्व में है जो 'निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित' हैं, बैंक में इसकी शेयरधारिता को अनिवासी शेयरधारिता के लिए नहीं गिना जाएगा, और बैंक के पास 49 की कुल विदेशी शेयरधारिता हो सकती है लाइसेंस की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी का प्रतिशत। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (एफ)]

प्र.140. दिशानिर्देशों के पैरा 2सी(iii) में कहा गया है कि "एनओएचएफसी बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को भी अपने पास रखेगा ..."। इस पैरा के बावजूद, क्या एनओएफएचसी एक सहायक कंपनी के रूप में एक गैर-वित्तीय सेवा कंपनी रख सकता है, बशर्ते कि ऐसी कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को पूरा करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए धारा 25 कंपनी हो? कृपया स्पष्ट करें।

उ. नहीं, जब तक कि आरबीआई द्वारा अनुमति न दी जाए।

प्र.141. ***(i) क्या एनओएफएचसी के अनुसार एक बहु-राज्य सहकारी समिति बैंक को बढ़ावा देने के लिए पात्र है? यह स्पष्टीकरण मांगा गया है क्योंकि दिशानिर्देशों में "निजी क्षेत्र" को परिभाषित नहीं किया गया है।***

(ii) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएँ पूर्ण रूप से सहकारी समितियों के स्वामित्व में हैं, जिनके पास भारत सरकार की कोई इक्विटी नहीं है, वे निजी क्षेत्र में होने के रूप में गिने जाने के पात्र हैं?

उ: दिशानिर्देश एक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) को प्रवर्तक होने से नहीं रोकते हैं। सरकारी नियंत्रण की सीमा के आधार पर एमएससीएस एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या निजी क्षेत्र की इकाई हो सकती है। इन दिशानिर्देशों में सहकारी बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना या सहकारी बैंकों को निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित करना शामिल नहीं है।

प्र.142. प्रस्तावित दिशानिर्देशों में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से एक बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है। एनओएफएचसी को आरबीआई या अन्य वित्तीय सेवा नियामकों द्वारा विनियमित समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को रखने की भी आवश्यकता है। हम प्रवर्तक समूह बनाने के लिए दो अलग-अलग संस्थाओं में शामिल होने के लिए दिशानिर्देशों में इस प्रावधान की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

प्र.143. क्या दो या दो से अधिक सूचीबद्ध संस्थाएं जो आपस में संबन्धित नहीं है, एनओएफएचसी में प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकती हैं?

उ.(142 & 143) एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व एकल प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 1 में दी गई परिभाषा के अनुसार) और शेयरधारिता का पैटर्न दिशानिर्देशों के 2 (सी) (ii) और (iii) पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। दो या दो से अधिक अलग-अलग समूह एनओएफ़एचसी स्थापित करने के लिए एक साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं।

प्र.144. क्या कोई प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह जिसके पास मौजूदा एनबीएफ़सी है, पैरा 2 ए (ii) (बैंक को बढ़ावा देना या एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करना और अनुमत गतिविधियों को बैंक में स्थानांतरित करना) के बजाय 2 ए (i) (पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से बैंक को बढ़ावा देना) के तहत वर्गीकृत होना चुन सकता है, ताकि पैरा 2 (एल) में निर्धारित शर्तों की कोई आवश्यकता न हो, जो एनबीएफ़सी कारोबार को बैंक में प्रवास से संबन्धित है।

उ. हां। प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह जिनके पास मौजूदा एनबीएफसी है, पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी के माध्यम से बैंक को बढ़ावा देने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, एनबीएफसी के मौजूदा कारोबार को दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एल) और 2 (सी) (4) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में बैंक में प्रवास करना होगा।

प्र..145. अंतिम दिशानिर्देश यह संकेत देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक दो महीने के भीतर भारत में बैंकिंग संरचना पर एक समग्र नीतिगत चर्चा पत्र जारी करेगा। कृपया स्पष्ट कीजिए कि यह क्या है और क्या इसके कारण मौजूदा दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन होगा?

उ. दिशा-निर्देशों में उल्लिखित नीतिगत चर्चा पत्र देश की बैंकिंग संरचना से संबंधित है। दिशानिर्देशों में उल्लिखित नीति चर्चा पत्र देश में बैंकिंग संरचना से संबंधित होगा और मौजूदा और नए दोनों बैंकों पर लागू होगा। भारत में बैंकिंग संरचना पर नीतिगत चर्चा पत्र के कारण निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस के लिए वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा।

प्र.146. पैरा 2 सी एनओएफएचसी की कॉर्पोरेट संरचना से संबंधित है। पैरा 2 सी (आई) में कहा गया है कि एनओएफएचसी पूरी तरह से प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के स्वामित्व में होना चाहिए। हम आपसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध करते हैं कि "पूर्ण स्वामित्व" शब्द का क्या अर्थ है - इस बात की पुष्टि

करने के लिए कि एनओएफएचसी को बढ़ावा देने वाली प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह की इकाइयों में किसी भी अल्पसंख्यक विदेशी शेयर होल्डिंग के लिए कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए: यदि ए एनओएफएचसी को बढ़ावा देता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि किसी अन्य विदेशी इकाई / संस्थाओं के पास ए में 10 से 35 प्रतिशत के बीच अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है, जब तक कि ए एक प्रमोटर इकाई है और यह भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित है। हालांकि इकाई मुख्य रूप से भारतीय प्रवर्तक के स्वामित्व और नियंत्रण में होगी, लेकिन क्या एनओएफएचसी में कुछ छोटे अल्पसंख्यक विदेशी निवेशक हो सकते हैं जो या तो वित्तीय निवेशक हो सकते हैं या दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी / संचालन भागीदार हो सकते हैं।

उ. एनओएफएचसी की स्थापना करने वाले प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह की इकाई के पास अल्पसंख्यक विदेशी शेयरधारिता हो सकती है, बशर्ते ये इकाइयां दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) (आई) के अनुसार 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हों। दिशानिर्देशों में एनओएफएचसी में विदेशी निवेशकों सहित गैर-प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह की इकाइयों द्वारा किसी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, प्रवर्तक को दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (आई) और (ii) में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

प्र.147. पैरा 2 सी (ii) (ए) - व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व पर 10 प्रतिशत की सीमा के बारे में उल्लेख करता है, जबकि पैरा 2 सी (ii) (बी) में एनओएफएचसी के शेयरों को उन कंपनियों द्वारा 51 प्रतिशत की सीमा तक रखने के बारे में उल्लेख किया गया है, जिनमें जनता की हिस्सेदारी "51 प्रतिशत से अधिक" है। यह "पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी" की परिभाषा के विपरीत प्रतीत होता है। चूंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कंपनियां जो प्रमोटरों द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं हैं, एनओएफएचसी के शेयरधारक बन जाते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करें।

उ. दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के स्वामित्व में होना चाहिए अर्थात प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों और प्रवर्तक समूह की इकाइयों द्वारा, जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह प्रभावी नियंत्रण में हैं। ऐसी शेयरधारिता के भीतर, एनओएफएचसी की मतदान इक्विटी शेयरधारिता का कम से कम 51 प्रतिशत उन कंपनियों के पास होनी चाहिए जिनमें जनता के पास मतदान इक्विटी शेयरधारिता का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो। सार्वजनिक रूप से आयोजित ऐसी कंपनियों में शेष 49 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरधारिता [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी)] प्रमोटर समूह के व्यक्तियों / संस्थाओं के पास होगी, जिनका ऐसी कंपनियों पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' और 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) है।

प्र.148. क्या केवल बैंक के लिए एनओएफएचसी हो सकता है जबकि अन्य वित्तीय संस्थाएं एक अन्य एनओएफएचसी - पैरा 2 सी (iii) और पैरा 2 सी (viii) द्वारा आयोजित की जाती हैं। यहां मुख्य एनओएफएचसी सभी वित्त क्षेत्र की गतिविधियों को आयोजित करेगा और साथ ही एक और एनओएफएचसी बैंक की देखरेख करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वित्तीय गतिविधियों को

आरबीआई द्वारा बंद और विनियमित किया जाता है। बैंक भी एक अलग एनओएफएचसी द्वारा घेरा और नियंत्रित किया जाएगा। हमारा मानना है कि इसकी भी अनुमति दी जाएगी क्योंकि इसकी एक मजबूत संरचना है जो नियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

उ. दो एनओएफएचसी की परिकल्पना नहीं की गई है। केवल एक एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा, जिसमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii) और (vii)]

प्र.149. प्रवर्तक जो बैंक खंड 2सी(viii) का धारण करता है, यह इंगित करता है कि प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अपना निवेश केवल एनओएफ़एचसी के माध्यम से रखना चाहिए। हमारे विचार में, यह केवल यह इंगित करता है कि एनओएफएचसी प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के लिए होल्डिंग वाहन होना चाहिए और एनओएफएचसी के तहत एक वित्तीय इकाई - जैसे कि एनबीएफ़सी, पर बैंक में शेयर रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि ऐसी होल्डिंग के खिलाफ कोई विशिष्ट प्रावधान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसे स्पष्ट करें।

उ. नहीं। पैरा 2 (सी) (viii) में यह निर्धारित किया गया है कि प्रमोटर समूह से जुड़े प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह की संस्थाएं / व्यक्ति बैंक और उसके द्वारा धारित अन्य वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी निवेश केवल एनओएफएचसी के माध्यम से रखेंगे। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (l) (iv) (b) से पता चलता है कि एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाएं आपस में इक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों में निवेश नहीं करेंगी। इसलिए, एनओएफ़एचसी द्वारा धारित एनबीएफ़सी बैंक में शेयरधारण नहीं कर सकता।

प्र.150. कृपया पुष्टि करें कि क्या पैराग्राफ 2 (एल) केवल 'मौजूदा एनबीएफसी द्वारा पदोन्नत किए जाने वाले बैंकों' के लिए लागू होगा और यह एनबीएफसी के प्रमोटर / प्रमोटर समूह पर लागू नहीं होगा, जो बदले में एनओएफएचसी के प्रमोटर / शेयरधारक होंगे।

उ. दिशानिर्देशों का पैरा 2 (एल) एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करने या बैंक को बढ़ावा देने वाले प्रवर्तक दोनों पर लागू होगा।

प्र.151. भारतीय रिजर्व बैंक नए बैंकों और मौजूदा बैंकों के बीच समान अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव कैसे करता है? आम तौर पर, एक नए प्रवेशक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि पुराने खिलाड़ी पहले से ही अच्छी पकड़ रखते हैं और लाभ कमा रहे हैं और उनके पास एक शाखा नेटवर्क है। तथापि, अंतिम दिशा-निर्देशों के अवलोकन से पता चलता है कि नए प्रवेशकों के लिए अपेक्षाएं अधिक कठिन हैं। जैसेकि (क) कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं टियर 3 से टियर 6 शहरों में होनी चाहिए (ख) मौजूदा बैंकों को 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है, जबकि नए प्रवेशकों को केवल 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है (सी) मौजूदा बैंकों ने अपने समूह एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों के भीतर प्रवेश किया है जबकि आरबीआई

नए बैंकों के लिए प्रतिबंध लगाता है। क्या यह संभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक सभी मौजूदा और नए बैंकों के लिए एक समान व्यवस्था करेगा, जिसमें अधिक कठिन परिस्थितियों, प्रतिस्पर्धा आदि के कारण समय-समय पर विनियमों/निदेशों को पूरा करने के लिए नए प्रवेशकों को कुछ विशेषाधिकार और छूट दी जाएंगी।

उ. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दृष्टि से शाखा नेटवर्क से संबंधित शर्तें विशेष रूप से बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस मानदण्ड को मौजूदा बैंकों पर भी लागू किया गया है और उन्हें नई शाखाएं खोलते समय इस शर्त का अनुपालन करना अपेक्षित है।

जहां तक विदेशी निवेश का संबंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू बैंक निजी क्षेत्र में स्थापित हों, 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए इसकी अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत है। तथापि, 5 वर्षों की समाप्ति के बाद, सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार बैंक में कुल विदेशी शेयरधारिता की अनुमति दी जाएगी।

एनओएफएचसी को उसके शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों तक कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं देने का कारण यह है कि यह आवश्यक है कि एनओएफएचसी के अन्य वित्तीय क्षेत्र के व्यवसाय में विविधता लाने से पहले नव स्थापित बैंक मजबूत हो जाए। हालांकि, मौजूदा विनियमित वित्तीय क्षेत्र का व्यवसाय एनओएफएचसी के तहत जारी रहेगा।

प्र.152. क्या प्रवर्तक समूह के ऐसे व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित अनुसार रिश्तेदार नहीं हैं, उन्हें एनओएचएफसी में प्रत्येक व्यक्ति को 10 प्रतिशत रखने की अनुमति दी जाएगी या उनकी कुल शेयरधारिता 10 प्रतिशत तक सीमित होगी?

प्र.153. जहां किसी समूह के प्रवर्तकों के रूप में दो या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में संबन्धित नहीं है, क्या प्रत्येक व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति से जुड़े रिश्तेदारों और संस्थाओं के साथ) को एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों का 10 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी जाएगी या क्या 10 प्रतिशत की सीमा प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाले सभी व्यक्तियों (और जुड़े व्यक्तियों) द्वारा रखे गए शेयरों के कुल पर लागू होगी? यह पैराग्राफ 2 (सी) (ii) (ए) में निर्धारित आवश्यकताओं के संदर्भ में है।

उ.(152तथा 153) 10 प्रतिशत की सीमा किसी व्यक्ति की अपनी शेयरधारिता के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनमें वह और / या उसके रिश्तेदारों के पास मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 50 प्रतिशत नहीं है [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (ए)। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं और एक-दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं, तो सीमा व्यक्तिगत रूप से लागू होगी, और इसे एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसे सभी व्यक्ति एनओएफएचसी के 49 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकते हैं।

प्र.154. वर्तमान दिशानिर्देश 'वोटिंग इक्विटी' शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि स्वामित्व और शासन पर 2005 के दिशानिर्देश (28 फरवरी, 2005) स्वामित्व निर्धारित करने के लिए 'इक्विटी पूंजी' का प्रयोग करते हैं। इसका एक कारण यह संभावना हो सकती है कि नए बैंकों के पास 'अप्रत्यक्ष' स्वामित्व कई स्तरों पर जाएगा और इसलिए भ्रम से बचने के लिए 'वोटिंग इक्विटी' के अलावा इक्विटी को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है, खासकर एनओएफएचसी से ऊपर के वित्तीय निवेशकों के संबंध में। यह स्पष्ट करना अच्छा होगा कि क्या एनओएफएचसी/बैंक में सीधे आयोजित गैर-मतदान इक्विटी, जहां भी परिभाषित किया गया है, को स्वामित्व के उद्देश्य से भी नजरअंदाज किया जाएगा।

उ. केवल एनओएफएचसी की पूंजी संरचना, नए बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और नए बैंक में एनओएफएचसी द्वारा शेयरधारिता पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी की गणना की जाएगी। गैर-वोटिंग इक्विटी शेयर इन दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) और पैरा 2 (डी) (आई) से (वी)]।

प्र.155. दिशानिर्देशों में यह आवश्यक है कि प्रवर्तक समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवा इकाइयों, जिनमें प्रमोटर समूह द्वारा द्वारा प्रभावी नियंत्रण हित रखता है, को एनओएफएचसी के तहत लाया जाना होगा। क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की शर्तों को बहिष्करण में लागू किया जाना है? उदाहरण के लिए, यदि इकाई X (जो एक बड़े समूह का हिस्सा है, लेकिन जिसकी कोई सामान्य नियंत्रण शेयरधारिता नहीं है) लाइसेंस के लिए आवेदन करती है, जो एनओएफ़एचसी के जरिए 100 प्रतिशत निवेश को पूरा करता है, तो क्या इसे अभी भी प्रवर्तक समूह पर लागू सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है (जैसा कि पैराग्राफ सी (iii) में परिभाषित किया गया है) ताकि एनओएफ़एचसी के तहत एक सामान्य ब्रांड नाम वाली संस्थाओं को शामिल किया जा सके? व्यक्तता के लिए, भले ही प्रमोटर कंपनी एक ऐसी इकाई है जिसकी कोई सामान्य नियंत्रण शेयरधारिता नहीं है, फिर भी उसे एनओएफएचसी के तहत एक सामान्य ब्रांड नाम वाली संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय को लाने की आवश्यकता होगी?

उ. प्रवर्तक समूह में दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई प्रमोटर समूह की परिभाषा के अनुसार एक "प्रवर्तक" शामिल है और प्रवर्तक एक "व्यक्ति" है जो दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा को संतुष्ट करता है। अनुबंध I के पैरा II (vi) के अनुसार, प्रमोटर समूह में सामान्य ब्रांड नाम साझा करने वाली संस्थाएं शामिल हैं (कृपया विवरण के लिए इस खंड को देखें)। सभी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं जिनमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक - 23 में परिभाषित किया गया है) एनओएफएचसी के तहत रखा जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vii)]

प्र.156. क्या "सार्वजनिक" शब्द एक सूचीबद्ध कंपनी में शेयरधारिता को संदर्भित करता है; या क्या इसमें व्यापक रूप से आयोजित गैर-सूचीबद्ध कंपनी में गैर-प्रमोटरों द्वारा शेयरधारिता भी शामिल है?

प्र.157. हम समझते हैं कि 'सार्वजनिक' शब्द में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों में निजी इक्विटी, एफआईआई और घरेलू संस्थागत निवेशकों सहित सभी गैर-प्रवर्तक समूह संस्थाओं द्वारा शेयरधारिता शामिल है। क्या यह समझ सही है?

प्र.158. कृपया 'सार्वजनिक' शब्द को परिभाषित करें।

उ. (156 से 158) एक कंपनी जिसमें जनता के पास कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत हिस्सा है, उसे सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 'सार्वजनिक' शब्द प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह (जैसा कि दिशानिर्देशों के अनुबंध I में परिभाषित किया गया है) से संबंधित शेयरधारकों के अलावा अन्य सभी शेयरधारकों को संदर्भित करता है ।

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से, 'सार्वजनिक शेयरधारिता' का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) सहित और संस्थाएं जिनमें वह और/या उनके रिश्तेदार अपनी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत शेयर रखते हैं, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) का उपयोग करता है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii)]

प्र.159. क्या कम से कम 51 प्रतिशत की "सार्वजनिक" शेयरधारिता सीमा की अपेक्षा पर केवल शुरुआती स्तर पर विचार किया जाएगा; या एक पास-थ्रू/ओवरफ्लो आधार यानी यदि किसी प्रमोटर ग्रुप कंपनी के पास 40 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता है; और शेष 60 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर कंपनी ए द्वारा की जाती है, जिसको बदले में 40 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होती है।

उ. 51 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता प्रवर्तक समूह की कंपनियों पर लागू होगी, जो एनओएफएचसी के शेयरधारक हैं और ऐसी कंपनियों को मिलकर रूप से एनओएफएचसी के मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत रखना चाहिए।

प्र.160. इसके अलावा, एक सूचीबद्ध प्रवर्तक इकाई के मामले में, जो भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण में है, क्या निरंतर आधार पर शेयरधारिता को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र है (या होगा)। इस तरह के तंत्र के अभाव में, चूंकि सूचीबद्ध इकाई के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में स्वतंत्र रूप से कारोबार होता है, एक एफआईआई या एनआरआई सूचीबद्ध प्रमोटर इकाई के शेयर खरीद सकता है और यह भारतीय स्वामित्व वाला नहीं रह सकता है।

उ. निजी क्षेत्र में संस्थाएं/समूह जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हैं [जैसा कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) 2009 के प्रेस नोट 2, 3 और 4 / समय-समय पर संशोधित फेमा विनियमों में परिभाषित किया गया है] पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) (आई)] के माध्यम से बैंक को बढ़ावा देने के लिए पात्र होंगे। इसलिए, एनओएफएचसी का स्वामित्व प्रमोटर समूह से संबंधित व्यक्तियों और प्रमोटर समूह की संस्थाओं के पास होना चाहिए, जिसमें प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह प्रभावी नियंत्रण में हैं। प्रवर्तक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक इकाई का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हर

समय भारत में निवासी व्यक्तियों / निवासी संस्थाओं के पास रहता है [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए)(आई)]। ऐसी होल्डिंग के लिए सेक्टोरल कैप वाली इकाइयों में विदेशी शेयरधारिता की निगरानी के लिए एक तंत्र है।

प्र.161. क्या एनओएफएचसी के नीचे समूह में विनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों को फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत के बाहर विदेशी निवेश करने की अनुमति दी जाएगी; या विदेशी निवेश केवल एनओएफ़एचसी द्वारा किया जा सकता है?

क्या एनओएफएचसी के तहत आनेवाले समूह में विनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों को फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत के बाहर विदेशी निवेश करने की अनुमति दी जाएगी; या विदेशी निवेश केवल एनओएफएचसी द्वारा किया जा सकता है?

उ. एनओएफएचसी द्वारा धारित प्रमोटर समूह में विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को उन संस्थाओं में विदेशी निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे ऐसी संस्थाएं विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी बन जाएंगी, जब तक कि ऐसे निवेश कानूनी रूप से आवश्यक न हों या आरबीआई / अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए और फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार हों। तथापि, एनओएफएचसी फेमा दिशानिर्देशों के अध्यधीन विदेशी निवेश कर सकता है।

प्र.162. भारत में बैंकों को कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यदि आवेदक का कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय है, तो क्या इसे एनओएफएचसी या एनओएफएचसी के ऊपर आयोजित की जाने वाली विनियमित वित्तीय सेवा माना जाएगा?

प्र.163. एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ अन्य वित्तीय विनियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं को भी रखेगा, चाहे कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय में लगी प्रमोटर समूह इकाई जो वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित है, वह भी एनओएफएचसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

उ. (162 & 163) कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय को इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए विनियमित वित्तीय सेवाएं नहीं माना जाता है, और प्रमोटर समूह की इकाइयां जो कमोडिटी ब्रोकिंग व्यवसाय कर रही हैं, उन्हें एनओएफएचसी के तहत नहीं रखा जा सकता है।

प्र.164. उन गतिविधियों की स्थिति क्या होगी जिन्हें बैंक में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाती है, (जैसे शेयरों के प्रति ऋण) या अनुमत नहीं (जैसे प्रमोटर वित्तपोषण, भूमि की खरीद के लिए ऋण)? क्या इस तरह की गतिविधियां किसी समूह एनबीएफ़सी में आयोजित करना जारी सकता है?

प्र.165. (क) मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत बैंकों के भीतर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां अनुमेय नहीं हैं या प्रतिबंधित हैं। उदाहरण के लिए, शेयरों/डिबेंचरों/बांडों के लिए प्रवर्तकों को दिए गए अग्रिमों को डीबीओडी परिपत्र सं.डीआईआर..बी.सी.3/13.03.00/2012-13 के खंड 2.4.7 के माध्यम से एक वर्ष से कम अवधि तक सीमित किया गया है। हम समझते है कि अधिग्रहण वित्तपोषण, प्रमोटर फंडिंग

आदि जैसे व्यवसाय जिनके पास बैंक के भीतर प्रतिबंध हैं, उन्हें एनबीएफसी के माध्यम से, एनओएफएचसी की सहायक कंपनी के रूप में, बैंक से अलग एक व्यवसाय के रूप में चलाया जा सकता है;

ख. बुनियादी ढांचा ऋण पैरा 2 सी (iv) (बी) के तहत आता है, और इसलिए इसे बैंक के भीतर से चलाने की आवश्यकता है। तथापि, राष्ट्रीय एजेंडा के लिए अवसंरचना ऋण के महत्व को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि अवसंरचना वित्त कंपनियों (आईएफसी) के लिए पहले से ही अलग दिशा-निर्देश मौजूद हैं, क्या एनओएफएचसी को बैंक से अलग एक सहायक कंपनी के रूप में एनबीएफसी-आईएफसी रखने की अनुमति दी जा सकती है? कृपया स्पष्ट कीजिए।

प्र.166. कुछ उधार गतिविधियां हैं जो बैंक के लिए प्रतिबंधित हैं लेकिन जो एनबीएफसी संचालित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए.

क. किसी व्यक्ति/ प्रवर्तक अन्य उधारकर्ता को रु.20 लाख रुपये से अधिक के शेयर/मार्जिन फाइनेंसिंग के प्रति पर उधार देना ;

ख. भूमि की प्रतिभूति के प्रति वित्तपोषण या भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य से वित्तपोषण

क्या ऐसी गतिविधियां जो बैंक द्वारा नहीं की जा सकती हैं, उन्हें एनओएफएचसी ढांचे के तहत प्रवर्तक समूह से संबंधित एनबीएफसी द्वारा किया जा सकता है?

उ. (164 से 166) बैंक के भीतर और समूह में एनबीएफसी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि, सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी के माध्यम से बैंक के अंदर या बैंक के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, उद्यम पूंजी वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर की जा सकती हैं। उधार गतिविधियों को बैंक के अंदर से संचालित किया जाना चाहिए। तथापि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (लेखा मानक 23 में परिभाषित अनुसार) को एनओएफएचसी के अधीन रखा जाना चाहिए न कि बैंक के अधीन जब तक कि यह कानूनी रूप से अपेक्षित न हो या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति न दी जाए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)।

इन सिद्धांतों के भीतर, बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप, जैसे कि शेयरों पर ऋण, बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक किए जाने हैं, और उधार गतिविधियां जो बैंक को अनुमति नहीं हैं, लेकिन एनबीएफसी के लिए निषिद्ध नहीं हैं, जैसे प्रमोटर वित्तपोषण, भूमि की खरीद के लिए ऋण, आदि को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, बंद करना होगा।

प्र.167. एक बार जब 'निवासी स्वामित्व और नियंत्रित' संबंधी डीआईपीपी शर्त पूरी हो जाती है, तो क्या विदेशी शेयरधारिता के संबंध में प्रमोटर स्तर पर या उससे ऊपर अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है? विशेष रूप से, क्या एफआईआई / निजी इक्विटी / संस्थागत निवेशक एनओएफएचसी के शेयरधारक में शेष 49 प्रतिशत तक रख सकते हैं; और इसके समानांतर, क्या बैंक स्तर पर 49 प्रतिशत की विदेशी शेयरधारिता की भी अनुमति दी जाएगी?

उ. एनओएफएचसी पूरी तरह से निजी क्षेत्र में संस्थाओं / समूहों के स्वामित्व में होगा जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हैं [जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रेस नोट 2009 के 2,3 और 4 / फेमा विनियमों में परिभाषित], और दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (सी) (ii) (ए) और (बी) में दिए गए पूंजीगत ढांचे के अधीन भी है। इन संस्थाओं में विदेशी शेयरधारिता का स्तर इस स्तर पर होना चाहिए जो उन्हें गैर-निवासियों द्वारा 'स्वामित्व और / या नियंत्रित' न बनाता है। एफआईआई/फॉरेन प्राइवेट इक्विटी/विदेशी निवेशक निजी इक्विटी/विदेशी निवेशक एनओएफएचसी में कोई भी वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकते हैं चूंकि केवल प्रमोटर समूह की कंपनियां / संस्थाएं जो भारत में निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, उन्हें एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयर रखने की अनुमति है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) (आई) और पैरा 2 (सी) (आई)]।

बैंक स्तर पर अनुमत विदेशी शेयरधारिता को दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (एफ) के तहत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

प्र.168. इसके अलावा, क्या 5 प्रतिशत 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष' सीमा शुरुआती बैंक स्तर पर लागू होती है; या पास-थ्रू आधार पर यानी यदि एक एफआईआई प्रवर्तक इकाई में 10% शेयर रखता है और प्रमोटर एनओएफएचसी की 100 प्रतिशत इक्विटी रखता है, तो क्या एफआईआई को बैंक में 'अप्रत्यक्ष रूप से' 10 प्रतिशत इक्विटी रखा हुआ माना जाएगा? यदि एक गैर-सूचीबद्ध प्रवर्तक कंपनी में एक निजी इक्विटी निवेशक के बारे में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होगा? एक और उदाहरण के लिए, यदि एक एनआरआई प्रमोटर इकाई में 5 प्रतिशत निवेश रखता है, जो बदले में एनओएफएचसी में 100 प्रतिशत निवेश करता है, तो क्या वही एनआरआई बैंक में कोई अतिरिक्त इक्विटी रख सकता है?

उ. किसी भी अनिवासी शेयरधारक द्वारा शेयरधारिता पर 5 प्रतिशत की सीमा बैंक स्तर पर लागू होगी। प्रवर्तक समूह की कंपनियों [निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण - दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (ए)] के माध्यम से अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो एनओएफएचसी को धारण करेगा, बैंक में विदेशी निवेश के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्र.169. एनओएफ़एचसी में शेयर धारण कर रहे किसी प्रवर्तक समूह इकाई में अनिवासी शेयर धारिता को बैंक में 'अप्रत्यक्ष' अनिवासी शेयरधारिता के रूप में माना जाएगा?

प्र.170. अगर हां, बैंक में ऐसे 'अप्रत्यक्ष' अनिवासी शेयरधारण को 5% और 5% सीमा के उद्देश्य के लिए गणना की जाएगी?

उ.(169 तथा 170) प्रवर्तक समूह की कंपनियों [निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण - दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (ए)] के माध्यम से अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो एनओएफएचसी को धारण करेगा, बैंक में विदेशी निवेश के लिए नहीं गिना जाएगा, चूंकि केवल प्रमोटर समूह की कंपनियां / संस्थाएं जो भारत में निवासी के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, उन्हें एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयर रखने की अनुमति है। [दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (एफ)]

प्र.171. क्या भारत के निवासियों (फेमा के अनुसार), जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ('ओसीआई') है, को एनओएफएचसी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जाएगी अगर उन्हें प्रमोटर माना जाता है तो?

उ. आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्र की संस्थाओं/समूहों के पास होना चाहिए जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हो ((जैसा कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रेस नोट 2009 के 2,3 और 4 / समाय-समय पर यथा संशोधित फेमा विनियमों में यथा परिभाषित]। इसलिए ओसीआई को एनओएफ़एचसी में शेयरधारण नहीं कर सकता।

प्र.172. क्या भारत के निवासियों (फेमा के अनुसार), जो भारतीय मूल के व्यक्ति ('पीआईओ') हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, को एनओएफएचसी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जाएगी यदि उन्हें प्रमोटर माना जाता है तो? क्या भारत के निवासी, जो गैर-एनआरआई, गैर-पीआईओ, गैर-ओसीआई हैं, उन्हें एनओएफएचसी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे प्रमोटर हैं; या बैंक में, यदि वे गैर-प्रवर्तक हैं।

उ. आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्र की संस्थाओं/समूहों के पास होना चाहिए जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में हो ((जैसा कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रेस नोट 2009 के 2,3 और 4 / समाय-समय पर यथा संशोधित फेमा विनियमों में यथा परिभाषित]। इसलिए पीआईओ एनओएफएचसी में शेयर नहीं रख सकते ।

एनओएफएचसी के अलावा किसी भी एकल इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी या नियंत्रण नहीं होगा [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (के) (iii)]।

भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा या अन्यथा शेयरों का कोई भी अधिग्रहण जो किसी व्यक्ति / इकाई / समूह की कुल हिस्सेदारी को बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर ले जाएगा, के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (के) (ii)।]

प्र.173. क्या ओसीआई/पीआईओ को प्रस्तावित बैंक का अध्यक्ष/सीईओ बनने की अनुमति दी जाएगी?

उ. ओसीआई/पीआईओ को प्रस्तावित बैंक का अध्यक्ष/सीईओ बनने की अनुमति दी जाएगी बशर्तेकि वे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार भारत में निवासी हों।

प्र.174. हम समझते हैं कि 'प्रमुख आपूर्तिकर्ता और प्रमुख ग्राहक' शब्द का पूरे दिशानिर्देशों में एक ही अर्थ होगा यानी जैसा कि एंडनोट 4 में परिभाषित किया गया है (दिशानिर्देशों के पैराग्राफ के (iv) में आवश्यक बैंक द्वारा एक आर्म्स लेंग्थ संबंध बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए। क्या यह सही है?

उ. हाँ। 'प्रमुख आपूर्तिकर्ता और प्रमुख ग्राहक' शब्द का सामान्य रूप से पूरे दिशानिर्देश में एक ही अर्थ होगा (जैसा कि दिशानिर्देशों के पृष्ठ 7 पर फुटनोट 4 में परिभाषित किया गया है)।

प्र.175. (I) चूंकि दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एल) के प्रावधानों में 'गतिविधियों' के हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया है, क्या इसका मतलब यह है कि परिसंपत्तियों की मौजूदा बही को हस्तांतरणकर्ता इकाई में बनाए रखा जाए और इसी तरह की भविष्य की गतिविधि बैंक से आयोजित करने की आवश्यकता है? उदाहरण के लिए, होम लोन की बड़ी परिसंपत्ति बही रखने वाली एनबीएफसी, शुरू होने के बाद बैंक में नए होम लोन की बुकिंग शुरू कर सकती है, लेकिन क्या उसे मौजूदा पोर्टफोलियो को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता है?

(ii) चूंकि बैंकों को बैंकों के लिए निर्धारित ढांचे के तहत शाखाओं को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए क्या एनबीएफसी शाखाओं को उन सीमित व्यवसायों के लिए बनाए रखा जा सकता है जिन्हें बैंक में प्रतिबंधों के साथ अनुमति/अनुमति नहीं दी गई है?

(iii) इसके अलावा, यदि मौजूदा पोर्टफोलियो के माइग्रेशन की आवश्यकता है, तो क्या विघटित व्यवसाय (माइग्रेटिंग व्यवसाय) के निवल मूल्य को 5 बिलियन रुपये की आवश्यकता के प्रति विचार किया जाएगा?

उ. (i) बैंक के भीतर और समूह में एनबीएफसी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि, सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी के माध्यम से बैंक के अंदर या बैंक के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, उद्यम पूंजी वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर की जा सकती हैं। उधार गतिविधियों को बैंक के अंदर से संचालित किया जाना चाहिए। तथापि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (लेखा मानक 23 में परिभाषित अनुसार) को एनओएफएचसी के अधीन रखा जाना चाहिए न कि बैंक के अधीन जब तक कि यह कानूनी रूप से अपेक्षित न हो या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति न दी जाए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

बैंक में स्थापित/परिवर्तित होने वाले प्रवर्तक समूह की एनबीएफसी के मौजूदा कारोबार को तदनुसार पुनर्गठित करना होगा।

(ii) आरबीआई बैंक को मौजूदा एनबीएफसी शाखाओं को केवल टियर 2 से 6 केंद्रों में बैंक शाखाओं में लेने और बदलने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। टियर 1 केंद्रों में सभी एनबीएफसी शाखाएं जो बैंकिंग व्यवसाय करेंगी, उन्हें बैंक शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है और टियर 1 शाखाओं के लिए पात्र संख्या से अधिक को बैंक द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के भीतर नए बैंक की भविष्य की पात्रता के साथ समायोजित किया जाएगा। बैंक और एनबीएफसी की शाखाएं स्पष्ट और अलग होनी चाहिए। एनबीएफसी की पूर्ववर्ती शाखाएं, जिन्हें बैंक शाखाओं में रखा जाता है और परिवर्तित किया जाता है, एनबीएफसी के व्यवसायों का संचालन नहीं कर सकती हैं।

(iii) नए बैंक के पास 5 बिलियन रुपये की न्यूनतम वोटिंग इक्विटी पूंजी होनी चाहिए। हालांकि, जहां एनबीएफसी को बैंक में बदलने की अनुमति है, उसके पास हर समय 5 बिलियन रुपये का न्यूनतम नेटवर्थ होना चाहिए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एल) (सी)]

प्र.176. क्या आरबीआई किसी बैंक के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी पर अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है? क्या यह पैराग्राफ 2 डी (आई) और 2 एल (बी) के अनुसार रु.500 करोड़ का निवल मूल्य या रु.500 करोड़ की चुकता इक्विटी पूंजी है?

प्र.177. हमारा मानना है कि 5 बिलियन रुपये की न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी वोटिंग पूंजी का अनुपालन इकाई के नेटवर्थ द्वारा भी किया जा सकता है, न कि पूरी तरह से चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी द्वारा।

उ.(176 & 177) नए बैंक के पास रु.5 बिलियन की न्यूनतम वोटिंग इक्विटी पूंजी होनी चाहिए। हालांकि, जहां एनबीएफसी को बैंक में बदलने की अनुमति है, उसके पास हर समय 5 बिलियन रुपये का न्यूनतम नेटवर्थ होना चाहिए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एल) (सी)]

प्र.178. एनओएफएचसी पर लागू वित्तीय मानदंड (जैसे नेटवर्थ, चुकता पूंजी, आदि) क्या होंगे?

उ. बैंक के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी रु.5 बिलियन है, और एनओएफएचसी को शुरू में बैंक में कम से कम 40% हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है। एनओएफएचसी की न्यूनतम पूंजी ऐसी होनी चाहिए जो उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निर्धारित पूंजी रखने की आवश्यकता को पूरा करे। [दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (डी)]

प्र.179. क्या कोई एनबीएफसी उन गतिविधियों को छोड सकता है जो बैंकों को समूह की किसी अन्य एनबीएफसी को करने की अनुमति नहीं है?

प्र.180. धारा (2) (एल) एनबीएफसी को बैंक में बदलने की शर्तों से संबंधित है। ऐसे मामले में जिन गतिविधियों को बैंक द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं है, क्या ऐसी गतिविधियों को समूह के भीतर किसी अन्य एनबीएफसी को स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ii) इसके अलावा, एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं के लिए जिन्हें बैंक शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, क्या इन शाखाओं को समूह के भीतर किसी अन्य एनबीएफसी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

प्र.181. धारा (2) (एल) एनबीएफसी को बैंक में बदलने संबंधी शर्तों से संबंधित है। ऐसे मामले में जहां जिन गतिविधियों को बैंक द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं है, क्या ऐसी गतिविधियों को समूह के भीतर किसी अन्य एनबीएफसी को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं के लिए जिन्हें बैंक शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, क्या इन शाखाओं को समूह के भीतर किसी अन्य एनबीएफसी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

उ. (179 to 181) बैंक के भीतर और समूह में एनबीएफसी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि, सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी के माध्यम से बैंक के अंदर या बैंक के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, उद्यम पूंजी वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर की जा सकती हैं। उधार गतिविधियों को बैंक के अंदर से संचालित किया जाना चाहिए। तथापि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (लेखा मानक 23 में परिभाषित अनुसार) को एनओएफएचसी के अधीन रखा जाना चाहिए न कि बैंक के अधीन जब तक कि यह कानूनी रूप से अपेक्षित न हो या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति न दी जाए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

इन सिद्धांतों के तहत, बैंक में परिवर्तित होने वाले एनबीएफसी को उन गतिविधियों को विभाजित करना आवश्यक है जिन्हें बैंकों को विभागीय रूप से करने की अनुमति नहीं है और ऐसी गतिविधियों को किसी अन्य एनबीएफसी / इकाई से स्थानांतरित और संचालित किया जा सकता है। हालांकि, उधार गतिविधियां जो बैंक को अनुमति नहीं हैं, या प्रतिबंधों के अधीन हैं, लेकिन एनबीएफसी के लिए निषिद्ध नहीं हैं, जैसे प्रमोटर वित्तपोषण, भूमि की खरीद के लिए ऋण आदि बंद करना होगा। यह बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, पूरा करें।

प्र.182. सूचना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, हम समझते हैं कि प्रवर्तक इकाई (ओं) को केवल एनओएफएचसी में निवेश करने वाले समूह की संस्थाओं और उनके मालिक संस्थाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। यदि केवल एक इकाई को 'प्रमोटर' के रूप में उपयोग किया जाता है,

तो क्या समूह (जैसा कि परिभाषित किया गया है) के संबंध में जानकारी अभी भी ऑर्गेनोग्राम से परे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: या केवल उपरोक्त जानकारी अन्य समूह कंपनियों के लिए भी आवश्यक होगी?

उ. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूहों से संबंधित संस्थाएं/व्यक्ति, जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेंगे, को अपना आवेदन जमा करते समय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पिछले दस वर्षों के वित्तीय विवरण और पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न, जैसा भी उचित हो, प्रदान करना होगा। एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं लेने वाली अन्य समूह संस्थाओं के संबंध में अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रवर्तकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों का ब्यौरा तथा प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा प्राप्त ऋण/अन्य सुविधाओं का ब्यौरा सभी संस्थाओं के लिए अपेक्षित होगा। [दिशानिर्देशों के अनुलग्नक II के पैरा 3]

प्र.183. यदि समूह में कोई मौजूदा एनबीएफसी प्रचलित एनबीएफसी विनियमों का अनुपालन करते हुए शेयरों के खिलाफ ऋण प्रदान करता है, जो कभी-कभी बैंक द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि से अधिक है। ऐसे मामले में, अगर यह सुनिश्चित किया जाता है कि समेकित आधार पर समग्र पूंजी बाजार एक्सपोजर को इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करने के लिए हर समय बनाए रखा जाता है, तो क्या एनबीएफसी के माध्यम से इस तरह की उधार गतिविधियां जारी रह सकती हैं?

उ. बैंक के भीतर और समूह में एनबीएफसी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि, सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी के माध्यम से बैंक के अंदर या बैंक के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, उद्यम पूंजी वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर की जा सकती हैं। उधार गतिविधियों को बैंक के अंदर से संचालित किया जाना चाहिए। तथापि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (लेखा मानक 23 में परिभाषित अनुसार) को एनओएफएचसी के अधीन रखा जाना चाहिए न कि बैंक के अधीन जब तक कि यह कानूनी रूप से अपेक्षित न हो या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति न दी जाए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

इन सिद्धांतों के अंतर्गत, बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप, जैसे शेयरों के प्रति ऋण, बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक किए जाने हैं। ऋण गतिविधियां जो किसी बैंक को अनुमति नहीं हैं या बैंक को प्रतिबंधों के अधीन हैं, उन्हें एनबीएफसी के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

प्र.184. जहां कोई समूह एक या एक से अधिक वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी हित रखता है, और ऐसी वित्तीय सेवा संस्थाएं ऐसी गतिविधियां करती हैं जो बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जा सकती हैं, समूह ऐसी वित्तीय संस्थाओं में अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को एनओएफएचसी में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन कारोबार को बैंक को हस्तांतरित नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी हित रखने वाले अन्य बाहरी, असंबद्ध शेयरधारक हैं। कृपया पुष्टि करें कि आरबीआई के लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को तब तक पूरा माना जाएगा जब तक कि समूह ऐसी किसी भी वित्तीय संस्थाओं में अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को एनओएफएचसी को हस्तांतरित करता है।

उ. वित्तीय संस्थाओं के इन व्यवसायों को बैंक को हस्तांतरित किए बिना ऐसी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में प्रमोटरों/प्रमोटर समूह की संस्थाओं द्वारा इक्विटी होल्डिंग्स को एनओएफ़एचसी में हस्तांतरण अर्थात; ऐसी गतिविधियां जो केवल बैंक द्वारा की जानी हैं, दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं होंगी।

प्र.185. पैरा 2 (l) (ii) (b) में प्रावधान है कि समूह के भीतर असमेकित वित्तीय और बीमा संस्थाओं द्वारा जारी पूंजीगत लिखतों में एनओएफएचसी का निवेश इसकी समेकित पूंजी निधि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में, कृपया स्पष्ट करें:

(i) "समेकित पूंजी निधि" शब्द की व्याख्या कैसे की जाती है?

(ii) यदि समूह के पास बैंक के अलावा अपेक्षाकृत पूंजी गहन वित्तीय सेवा गतिविधियां हैं जैसे कि बीमा गतिविधियां, जिनके लिए समेकन आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं, तो 10 प्रतिशत की सीमा बाधा उत्पन्न करती प्रतीत होती है क्योंकि एनओएफएचसी संरचना स्वयं दिशानिर्देशों द्वारा लगाया गया एक बाधा है। क्या यह आरबीआई का इरादा है?

प्र.186. 2 (l) (ii) (b) में प्रावधान है कि समूह के भीतर असमेकित वित्तीय और बीमा संस्थाओं द्वारा जारी पूंजीगत लिखतों में एनओएफ़एचसी का निवेश इसकी समेकित वित्तीय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और समूह के भीतर बीमा संस्थाओं को इसकी समेकित पूंजी निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में, कृपया स्पष्ट करें कि "समेकित पूंजी निधि" शब्द की व्याख्या कैसे की जाए?

उ. (185 तथा 186) समेकित पूंजी निधियों का अर्थ है लागू लेखा मानकों के अनुसार इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के समेकन करते हुए एनओएफएचसी की पूंजी, भंडार और अधिशेष का निर्धारण।

नियामक उद्देश्य के लिए समेकित पूंजी निधियों का अर्थ है समेकन के नियामक दायरे के तहत एनओएफएचसी की समेकित नियामक पूंजी। (कृपया विनियामक दायरे के समेकन संबंधी ब्योरे के लिए दिनांक 2 मई 2012 के 'भारत में बासल III पूंजी विनियमन' संबंधी दिशानिर्देशों पर परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 के अनुबंध 1 की धारा बी के तहत 'आवेदन का

दायरा' का संदर्भ लें। कृपया दिनांक 25 फरवरी 2003 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.018/2001-02 में समाविष्ट 'समेकित पर्यवेक्षण सुसाध्य बनाने के लिए समेकित लेखांकन और अन्य परिमाणात्मक तरीकों' के लिए दिशानिर्देश का भी संदर्भ लें जिसके अनुसार एनओएफ़एचसी को समेकित वित्तीय विवरण और अन्य समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करनी होगी।)

यह असमेकित वित्तीय संस्थाओं पर पूंजीगत साधनों में एक क्रॉस होल्डिंग सीमा है जो समेकित आधार पर लागू होती है। सीमा यह सुनिश्चित करती है कि एनओएफएचसी के पास बैंकिंग व्यवसाय को पूंजी सहायता प्रदान करने की निरंतर क्षमता है।

तथापि, चूंकि बीमा सहायक कंपनी में एनओएफएचसी का निवेश विवेकपूर्ण प्रयोजनों जैसे समेकित पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदंडों आदि के लिए इसकी समेकित पूंजी से पूरी तरह से काट लिया जाता है, इसकी बीमा सहायक कंपनी की पूंजी में एनओएफएचसी के निवेश को 10 प्रतिशत की क्रॉस होल्डिंग सीमा के उद्देश्य से नहीं माना जाता है।

प्र.187. (i) भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध एक भारतीय कंपनी को 50 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है। इसका पब्लिक होल्डिंग 51 प्रतिशत है और प्रवर्तक समूह का धारण 49 प्रतिशत है। प्रवर्तक समूह की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी में से दो तिहाई हिस्सेदारी 'अनिवासी प्रवर्तक' के पास है। 'अनिवासी प्रवर्तक' को निदेशक मंडल में निदेशक को नामित करने का अधिकार नहीं है। कंपनी को 'रेजिडेंट प्रमोटर ग्रुप' द्वारा 'नियंत्रित' किया जाता है। उक्त कंपनी, मौजूदा दिशानिर्देशों के पैरा (सी) (ii) (बी) के अनुसार (यानी, एनओएफएचसी की कॉर्पोरेट संरचना) एनओएफएचसी को बढ़ावा देने के लिए पात्र है। बदले में, एनओएफएचसी शुरूआत में नए बैंक का 100 प्रतिशत हिस्सा रखने का इरादा रखता है। उपरोक्त विदेशी निवेश दिशानिर्देशों के संदर्भ में, क्या आरबीआई इस बात पर विचार करेगा कि नए बैंक में कोई अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है?

ii) हालांकि प्रवर्तक समूह की 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी अनिवासी शेयरधारक के पास है, क्या आरबीआई भारतीय कंपनी को निवासी मानेगा?

iii) क्या एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी जिसमें गैर-प्रवर्तक समूह के शेयरधारकों के पास 51 प्रतिशत से अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर हैं, एनओएफएचसी को बढ़ावा देने के लिए पात्र है?

उ. (i & ii) यदि भारतीय कंपनी में प्रमोटर समूह की दो तिहाई हिस्सेदारी "अनिवासी प्रवर्तक" के पास है, तो कंपनी एक निवासी द्वारा नियंत्रित नहीं है। जब तक अनिवासी के पास प्रमोटर समूह द्वारा आयोजित वोटिंग इक्विटी शेयरों का दो तिहाई हिस्सा है, वह भारतीय कंपनी में प्रवर्तक समूह के निवेश को नियंत्रित करता है और यह तथ्य कि उसे नामांकित निदेशक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, अप्रासंगिक है। इसलिए भारतीय कंपनी एनओएफएचसी को बढ़ावा देने के लिए पात्र नहीं है।

(iii) यह आवश्यक है कि एनओएफएचसी के मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत प्रमोटर समूह की कंपनियों के पास होना चाहिए, जिसमें जनता के पास मतदान ईक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत है। एक कंपनी जिसमें पब्लिक के पास 51 प्रतिशत या उससे अधिक वोटिंग इक्विटी शेयर हैं, जरूरी नहीं कि उसे सूचीबद्ध किया जाए। इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से, 'सार्वजनिक शेयरधारिता' का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और ऐसी संस्थाएं जिनमें वह और / या उसके रिश्तेदार अपनी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर वोटिंग ईक्विटी शेयर रखते हैं, जो 50 प्रतिशत से कम न हो, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) का उपयोग नहीं करता है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii)]

प्र.188. जहां एक गैर-वित्तीय सेवा कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है और उसमें प्रमोटर होल्डिंग 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है, क्या इसे 2 (सी) (ii) (बी) के अनुसार शर्त के अनुपालन के रूप में माना जा सकता है।?

उ. यह आवश्यक है कि पैरा 2 (सी) (ii) के खंड (बी) (यानी एनओएफएचसी के मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत उन कंपनियों के पास होना चाहिए जिनमें पब्लिक के पास मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत नहीं है) सभी मामलों में संतुष्ट है। इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से, 'पब्लिक शेयरधारिता' का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और ऐसी संस्थाएं जिनमें वह और / या उसके रिश्तेदार अपनी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर वोटिंग ईक्विटी शेयर रखते हैं, जो 50 प्रतिशत से कम न हो, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) का उपयोग नहीं करता है। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो सूचीबद्ध गैर-वित्तीय सेवा कंपनी दिशानिर्देशों की 2 (सी) (ii) (बी) पर शर्तों का पालन करेगी।

प्र.189. क्या प्रवर्तक समूह के हिस्से के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी होना अनिवार्य है?

प्र.190. शर्त 2 (सी) (ii) (बी) के संदर्भ में, क्या प्रमोटर समूह के हिस्से के रूप में एनओएफएचसी में 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली सार्वजनिक कंपनी होना अनिवार्य है?

उ.(189&190) हां। यह आवश्यक है कि एनओएफएचसी के मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत प्रमोटर समूह की कंपनियों द्वारा रखा जाना चाहिए, जिसमें जनता के पास मतदान इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) (बी)]

प्र.191. मौजूदा एनबीएफसी का 50:50 के आधार पर विदेशी भागीदार के साथ एक संयुक्त उद्यम ('जेवी') है। मौजूदा दिशानिर्देशों के पैरा (सी) (vii) के अनुसार, केवल उन्हीं विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को एनओएफएचसी के तहत रखा जाना आवश्यक है जिनमें एक प्रमोटर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है। ऐसी परिस्थितियों में, क्या आरबीआई संयुक्त उद्यम एनबीएफसी के प्रमोटरों को 'जैसा है' आधार पर अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति देगा क्योंकि:

i) प्रमोटरों के पास उक्त संयुक्त उद्यम में नियंत्रण हित नहीं हैं, हालांकि उनके पास उक्त संयुक्त उद्यम में प्रबंधन अधिकार हैं;

ii) 50:50 संयुक्त उद्यम एक परिसंपत्ति वित्त कंपनी ('एएफसी') है और भले ही यह हाइपोथेकेशन ऋण / पट्टे आदि करता है, यह किसी भी उपभोग्य संपत्ति (जैसे कार, ट्रक, आदि) का वित्तपोषण नहीं करता है, लेकिन उपकरण (जैसे खनन मशीन, लोडर, क्रेन, डंपर, बुनियादी ढांचा निर्माण उपकरण) उत्पादक / आर्थिक गतिविधि का समर्थन करते हैं?

उ. (i तथा ii) संयुक्त उद्यम एनबीएफसी को एनओएफएचसी के तहत लाया जाना है, क्योंकि यह एक विनियमित वित्तीय क्षेत्र की इकाई है, और संयुक्त उद्यम एनबीएफसी में एनबीएफसी द्वारा 50 प्रतिशत इक्विटी होल्डिंग के माध्यम से एनबीएफसी के प्रमोटरों के पास संयुक्त उद्यम एनबीएफसी में 50 प्रतिशत स्वामित्व और प्रबंधन अधिकार हैं। इसलिए, प्रमोटरों को संयुक्त उद्यम एनबीएफसी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक -23 में परिभाषित किया गया है) माना जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv) और (vii)]

प्र.192. एक मौजूदा एनबीएफसी को अवसंरचना वित्तीय कंपनी ('आईएफसी') के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे पब्लिक वित्त संस्थान ('पीएफआई') का दर्जा प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में क्या आरबीआई 'आईएफसी-पीएफआई' के प्रवर्तकों को एनओएफएचसी के तहत 'जैसा है' आधार पर अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति देगा?

उ. बैंक द्वारा प्रायोजित अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) के माध्यम से अवसंरचना वित्तपोषण एनओएफएचसी के अंतर्गत बैंक के बाहर रहना चाहिए है। आईएफसी के माध्यम से प्रमोटरों/प्रमोटर समूह की अवसंरचना वित्तपोषण गतिविधियों को एनओएफएचसी द्वारा धारित नए बैंक के भीतर से संचालित किया जाना चाहिए ।

प्र.193. दिशानिर्देशों के अनुबंध I में दिशानिर्देशों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है और यह प्रावधान है कि प्रवर्तक समूह शब्द में प्रवर्तक के रिश्तेदार शामिल हैं। 'रिश्तेदार' शब्द की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार है। दिशानिर्देशों के अनुबंध II में विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों और उद्योगों में प्रवर्तक/ प्रवर्तक संस्थाओं और प्रमोटरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों के वित्तीय विवरण और क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

i) क्या एक विवाहित बेटी, उसके पति और विवाहित बेटी के पति के रिश्तेदारों के संबंध में भी वित्तीय विवरण और क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

(ii) क्या विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों और उद्योगों में प्रवर्तकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों में प्रवर्तकों द्वारा उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी फंड में किया गया निवेश शामिल होगा? इसके अलावा, क्या ऐसी उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी निधियों द्वारा किए गए निवेश के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

उ. (i) हाँ। एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेने वाले व्यक्तियों (प्रमोटर समूह से संबंधित) के रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) को अपने आवेदन जमा करने के समय पिछले दस वर्षों के वित्तीय विवरण और पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न प्रदान करने होंगे। विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों का विवरण और प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह द्वारा प्राप्त ऋण/अन्य सुविधाओं का विवरण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं लेने वाली अन्य समूह संस्थाओं के संबंध में अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। [दिशानिर्देशों के अनुलग्नक II का पैरा 3]

(ii) हाँ। प्रवर्तक समूह की विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुचि का विवरण और उनके द्वारा प्राप्त ऋण/अन्य सुविधाओं का विवरण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। जहां उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी निधि/निधियों में प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ऐसी उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी निधियों द्वारा किए गए निवेश के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। [दिशानिर्देशों के अनुलग्नक II के पैरा 3]

प्र.194. ऐसे मामलों में जहां अन्य विनियमित संस्थाओं जैसे बीमा आदि में प्रमोटरों की कंपनी के निवेश के स्वामित्व का हस्तांतरण एनओएफएचसी को किया जाता है, क्या प्रमोटर कंपनियों को नाममात्र स्वामित्व में परिवर्तन के मुद्दे को संबंधित नियामकों के साथ उठाना होगा या क्या यह एक स्वीकृत अनुमोदन माना जाएगा और यह अन्य नियामकों को नाममात्र स्वामित्व संरचना में बदलाव के बारे में सूचित करने के लिए पर्याप्त होगा।

उ. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह को संबंधित संविधियों/विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित क्षेत्रीय विनियामकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्र.195. कंपनी डी, एक संयुक्त उद्यम कंपनी की सहायक कंपनी (51%) एक समग्र बीमा ब्रोकर है, जिसे बीमा विनियामकीय विकास प्राधिकरण ("आईआरडीए") द्वारा जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ब्रोकर और पुनर्बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त है। बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी एस द्वारा धारित कंपनी डी में निवेश को एनओएफएचसी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकिंग लाइसेंस के अनुसार, आरबीआई एनओएफएचसी को नियंत्रित करने के लिए अलग से निर्देश जारी करेगा। एनओएफएचसी एक एनबीएफसी-सीआईसी होगा क्योंकि एनओएफएचसी अपनी शुद्ध संपत्ति के 90% से अधिक समूह कंपनियों (यानी, समूह की विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं) में निवेश करेगा। क्या एनओएफएचसी को कंपनी डी में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी?

उ. हाँ। चूंकि सभी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं जिनमें प्रमोटर समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है, एनओएफएचसी के तहत रखे जाएंगे, उदाहरण में कंपनी डी को एनओएफएचसी के तहत रखा जाएगा, यदि यह प्रमोटरों की समूह कंपनी है। [दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (सी) (vii)]

प्र.196. दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि समूह की बीमा कंपनियों (सामान्य/जीवन) को एनओएफएचसी के अंतर्गत लाया जाए। चूंकि आईआरडीए एक सहायक कंपनी को बीमा कंपनियों का स्वामित्व करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए इस आवश्यकता को आईआरडीए से उचित संशोधन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

प्र.197. वर्तमान में आईआरडीए किसी कंपनी की सहायक कंपनी को बीमा कंपनी में हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं देता है। चूंकि एनओएफएचसी प्रवर्तक समूह की इकाई की सहायक कंपनी होगी, इसलिए यह (एनओएफएचसी) बीमा कंपनी के प्रवर्तक के रूप में योग्य नहीं होगी। ऐसे मामले में क्या उपरोक्त खंड 2 सी (iii) के तहत बीमा कंपनियों के लिए छूट प्रदान किया जाएगा, या आईआरडीए से एक विशिष्ट अनुमोदन उपलब्ध होगा जो एनओएफएचसी को बीमा कंपनी के प्रमोटर के रूप में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा?

प्र.198. होल्डिंग संरचना पर, आईआरडीए दिशानिर्देशों में वर्तमान में बीमा कंपनी को सीधे बढ़ावा देने वाली इकाई द्वारा आयोजित करने की आवश्यकता होती है, और लाइसेंस देने के बाद से पांच साल के लिए शेयरधारिता में बदलाव को भी प्रतिबंधित करता है। क्या आरबीआई एनओएफएचसी के तहत बीमा कंपनी के आवागमन को सक्षम करेगा?

प्र.199. मौजूदा बीमा कानून के तहत प्रवर्तक को सीधे बीमा कंपनी में हिस्सेदारी रखनी होती है। यह इस आवश्यकता के साथ कैसे अभिसरण/संरेखित होगा कि एनओएफएचसी को बीमा कंपनियों सहित समूह की सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं को धारण करना चाहिए? दिशानिर्देशों के प्रावधानों से छूट पर सांविधिक नुस्खे के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय नियामकों की नियामक आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जा सकता है।

प्र.200. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम 2000 में कहा गया है कि एक भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय प्रमोटर किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी नहीं हो सकता है। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय सेवा इकाई को उसके संबंधित विनियामक द्वारा अभिशासित किया जाएगा। चूंकि एनओएफएचसी को प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के पूर्ण स्वामित्व की अनुमति है और बीमा संस्थाओं को एनओएफएचसी के तहत लाना अनिवार्य है। जब तक कि आरबीआई बीमा कंपनियों के संदर्भ में एनओएफएचसी 1 के तहत समेकन की आवश्यकता में छूट देने में सक्षम न होआईआरडीए को उपर्युक्त नियमों में उपयुक्त संशोधन जारी करना होगा ताकि उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन के बिना बीमा कंपनियों के समेकन को सक्षम किया जा सके ।

उ. (196 से 200) सामान्य सिद्धांत यह है कि विनियमित वित्तीय सेवा क्षेत्र की संस्थाएं जिनमें एक प्रमोटर समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) एनओएफएचसी के तहत रखा जाएगा। हालांकि यह एक पसंदीदा संरचना है, ये आवश्यकताएं संबंधित नियामकों के नियमों के अधीन हैं। आवेदक इस संबंध में आईआरडीए से संपर्क कर सकते हैं। आईआरडीए का निर्णय अंतिम होगा।

प्र.201. होल्डिंग संरचना पर, सेबी को वर्तमान में यह आवश्यक है कि किसी सेबी पंजीकृत संस्था द्वारा एएमसी रखा जाए; क्या एनओएफ़एचसी के तहत एएमसी को हटाने के प्रति छूट प्रदान की जाएगी?

उ. सामान्य सिद्धांत यह है कि विनियमित वित्तीय सेवा क्षेत्र की संस्थाएं जिनमें एक प्रमोटर समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) एनओएफएचसी के तहत रखा जाएगा। हालांकि यह एक पसंदीदा संरचना है, ये आवश्यकताएं संबंधित नियामकों के नियमों के अधीन हैं। सेबी के परामर्श से मामले की जांच की गई है। आवेदक इस संबंध में सेबी से संपर्क कर सकते हैं। सेबी का निर्णय अंतिम होगा।

प्र.202. एनओएफएचसी को एनओएफएचसी के कारोबार शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन साल तक कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, यह बैंक को एक सहायक या संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोकेगा, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है। क्या इसका मतलब यह होगा कि एनओएफएचसी द्वारा धारित मौजूदा व्यवसायों का कोई पुनर्गठन जो विलय, विघटन, आंतरिक पुनर्गठन आदि के माध्यम से नई संस्थाओं के गठन या मौजूदा व्यवसाय को नई संस्थाओं में स्थानांतरित करने को जन्म दे सकता है, को भी एनओएफएचसी के व्यवसाय के शुरू होने से 3 साल की अवधि के लिए रोका जाता है? यदि सेबी या आईआरडीए जैसे क्षेत्र नियामक नई संस्थाओं की स्थापना के लिए क्षेत्र विशिष्ट संस्थाओं को विनियमित करनेवाले नए मानदंडों को निर्दिष्ट करते हैं तो क्या इसके लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी?

उ. निर्धारण यह है कि एनओएफएचसी को एनओएफएचसी के व्यवसाय की शुरुआत की तारीख से कम से कम तीन साल तक कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी का मतलब है कि एनओएफएचसी एक नई वित्तीय सेवा गतिविधि नहीं कर सकता [दिनांक 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी.सं.एफ़एसडी.बीसी.24/24.01.001/2012-13 में परिभाषित अनुसार पारा बैंकिंग कार्यकलाप] और जो वित्तीय सेवाएँ संबंधी कार्यकलाप जो बैंक के बाहर किया जाना चाइए (पैरा 2(सी)(iv)(ए)) और निर्धारित अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक नई वित्तीय सेवा इकाई तैयार करती है। प्रमोटर समूह के मौजूदा व्यवसाय के पुनर्गठन के उद्देश्य से सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं को एनओएफएचसी के तहत लाने और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक एनओएफएचसी के तहत अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मौजूदा व्यवसाय करने के लिए [दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (सी) (iv) (ए) और (बी)], एनओएफएचसी नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा। दरअसल, इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या बैंकिंग कारोबार शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, पूरा करना होगा।

यदि सेबी या आईआरडीए जैसे क्षेत्रीय विनियामक नए मानदंडनिर्दिष्ट करना चाहते हैं, तो आवेदक उनकी मंजूरी के लिए सेबी / आईआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

प्र.203. क्या एनओएफएचसी को समूह के बीमा उपक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जाएगी?

उ. एनओएफएचसी द्वारा धारित विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए पूंजी आवश्यकताएं संबंधित क्षेत्रीय नियामकों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

प्र.204. यदि प्रमोटर कंपनी एक सूचीबद्ध एनबीएफसी है और विनियमित संस्थाओं में निवेश को एनओएफएचसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो बैंक द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसायों को प्रस्तावित बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है; इस तरह के हस्तांतरण के बाद, एनबीएफसी के पास निवेश और शेष उधार बचेंगे। क्या शेष एनबीएफसी को सीआईसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और आरबीआई से पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी रहेगा?

प्र.205. प्रवर्तक समूह की एक निवेश धारण करने वाली कंपनी "ए" है। उक्त कंपनी "ए" भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-जमा स्वीकार करने वाली व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में पंजीकृत है। बहुसंख्यक सार्वजनिक शेयरधारिता वाली सूचीबद्ध संस्था, जिसके पास कोई सार्वजनिक धन नहीं है, कुछ प्रवर्तक समूह की कंपनियों में इक्विटी निवेश रखती है, समूह की कंपनियों में निवेश के लिए अधिशेष धन (जोड़े गए लाभ और लाभांश और निवेश आय से निर्मित) है जब भी उनके द्वारा आवश्यक हो।

अंतर्निहित समूह कंपनियों के रूप में, वर्तमान में धन की आवश्यकता नहीं है, ताकि अपने हितधारकों के लिए रिटर्न को अधिकतम किया जा सके, उक्त अधिशेष धन को अस्थायी उपाय के रूप में मुद्रा बाजार के साधनों, सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, सूचीबद्ध डिबेंचर और इक्विटी में निवेश किया जाता है। उक्त निवेश दीर्घावधि के लिए हैं और कंपनी अपने निवेशों में व्यापार नहीं करती है।

अपने स्वयं के धन के उपर्युक्त निवेश के अलावा, कंपनी ए कोई अन्य गतिविधि नहीं करती है और संक्षेप में अधिशेष निधियों के साथ एक सीआईसी है।

क्या कंपनी ए को एनओएफएचसी के दायरे के बाहर रखा जा सकता है?

उ. (204 और 205) किसी एनबीएफसी (निवेश कंपनी) को एनओएफएचसी के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सीआईसी या एनबीएफसी (निवेश कंपनी) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जैसा उचित हो।

प्र.206. (i) क्या इन आस्ति व्यवसायों से जुड़े डिबेंचर और बैंक उधार जैसी देनदारियों को जहां भी संभव हो, नए बैंक में हस्तांतरित किया जा सकता है?

(ii) ऐसे मामलों में जहां प्रवर्तक कंपनी से व्यवसायों का हस्तांतरण होता है, जैसे कोई एनबीएफसी प्रस्तावित बैंक को; क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे व्यवसायों के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली के लिए कोई अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे या मौजूदा प्रावधान लागू होंगे?

उ.(i) हाँ. चूंकि नए बैंक को आस्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण हमारे दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए समूह संस्थाओं के कारोबार के पुनर्गठन का एक हिस्सा होगा, विशेष रूप से एनओएफएचसी संरचना का अनुपालन करने के लिए, इसकी अनुमति होगी। हालांकि, एनबीएफसी से ली गई सावधि उधारी और अन्य सुरक्षित देनदारियों की ग्रैंडफादरिंग की अनुमति देते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए बैंक पर अतिरिक्त पूंजी प्रभार लगाया जाएगा, जहां वह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नए बैंक की आस्तियों पर अस्थायी प्रभार (फ्लोटिंग चार्जेस) के निर्माण/धारिता की अनुमति दी जाएगी।

(ii) वर्तमान कारोबार के पुनर्गठन के अंतर्गत किसी एक इकाई से दूसरी इकाई में हस्तांतरण के उद्देश्य से आस्तियों और देनदारियों को लागू कानूनों/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकित किया जा सकता है। इस संबंध में आरबीआई द्वारा अलग से कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाएगा।

प्र.207. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी ऐसे एकल रणनीतिक निवेशक (विदेशी बैंक / विदेशी विकास बैंक) से एफडीआई निवेश की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा जो प्रस्तावित बैंक में 4.99 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत से कम रखने के लिए सभी "उपयुक्त और उचित" मानदंडों को पूरा करता है।

उ. नहीं. किसी अनिवासी शेयरधारक को, बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, अथवा अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से 5 साल की अवधि के लिए बैंक की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक के कारोबार के प्रारम्भ होने की तारीख से 5 साल की समाप्ति के बाद, कुल विदेशी शेयरधारिता मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

प्र.208. क्या आवेदन के समय या सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रस्तावित बैंक के बोर्ड के सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के नामों को इंगित करने की आवश्यकता होगी?

प्र.209. क्या आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन के भाग के रूप में एनओएफएचसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण दें?

उ.(208 और 209) यदि आवेदन के स्तर पर सीईओ/प्रबंधन टीम को चिन्हित नहीं किया गया है, तो सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीईओ सहित प्रबंधन टीम के नामों को रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्र.210. क्या आवेदकों से आवेदन के भाग के रूप में एनओएफएचसी के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करने की अपेक्षा की जाती है?

उ. सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एनओएफएचसी के निदेशक मंडल के नाम रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। [दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 2 (जी) (vii) देखें]

प्र.211. (i) क्या आवेदन के समय बैंक द्वारा उन सभी क्षेत्रों/केंद्रों (जनसंख्या, जनसांख्यिकी, कृषि और खनन गतिविधि, आयात, निर्यात आदि) का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां शाखाएं खोली जाएंगी?

(ii) क्या आवेदक को आवेदन के हिस्से के रूप में एक वर्ष या पांच वर्ष की कारोबार योजना प्रदान करने की आवश्यकता है?

उ. (i) और (ii) कारोबार योजना की अवधि आवेदकों पर छोड़ी गई है। कारोबार योजना यथार्थवादी और व्यवहार्य होनी चाहिए। आवेदक को यह पता होना चाहिए कि बैंक किस प्रकार वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है। तीन से पांच वर्षों की कारोबार योजना देना वांछनीय होगा।

प्र.212. प्रवर्तक कंपनी से एनओएफएचसी और एनबीएफसी से बैंक में निवेश के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले कर संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के साथ मिलकर विचार किया जाएगा?

उ. कराधान, कर प्राधिकारियों के कानूनों/नियमों के अनुसार होगा।

प्र.213. क्या प्रस्तावित नया बैंक पहले दिन से समाशोधन का प्रत्यक्ष सदस्य होगा या उन्हें उप सदस्यों के रूप में कार्य करना होगा?

उ. किसी सदस्य या उप सदस्य के लिए, यह कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा, जैसे कि आरबीआई के साथ चालू खाता खोलना, समाशोधन गृहों के पात्रता मानदंड आदि।

प्र. 214. यदि एनओएफएचसी के लिए एक बहुस्तरीय शेयरधारिता संरचना लागू की जाती है (जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया है), हमारा मानना है कि अगर अल्टीमेट शेयरधारी कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस शर्त को पूरा करता है तो 'सार्वजनिक ' शेयरधारिता के मानदंड का अनुपालन किया जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरण में। चूंकि इंटरमीडिएट कंपनी प्रवर्तक ग्रुप के साथ-साथ अल्टीमेट शेयरधारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी के भीतर एक कंपनी होगी, यह हमारी समझ है कि इंटरमीडिएट कंपनी के लिए 'सार्वजनिक' शेयरधारिता की शर्त को अलग से पूरा करना भी जरूरी नहीं होगा। हम आपसे इस संबंध में हमारी समझ की पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं।

उ. नहीं। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरों को प्रवर्तक समूह की कंपनियों द्वारा धारित किया जाना चाहिए, जिसमें जनता के पास वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए, एक बहु-स्तरीय शेयरधारिता संरचना में, 51 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता का अनुपालन कंपनी (यों) द्वारा किया जाना है। जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों को धारित करेगा। एनओएफएचसी की शेयरधारिता कंपनी में शेयर रखने वाली कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारिता, जो कि अंतिम शेयरधारिता कंपनी है, को दिशानिर्देशों के अनुपालन के रूप में नहीं गिना जाएगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी) (ii(बी)]

प्र.215. 'सार्वजनिक' शेयरधारिता की आवश्यकता तब तक संतुष्ट होगी जब तक कि 'सार्वजनिक' समझे जाने वाले शेयरधारक ' प्रवर्तक' या ' प्रवर्तक समूह' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि दिशानिर्देशों के अनुबंध I में परिभाषित किया गया है। - दूसरे शब्दों में, सभी शेयरधारक जो प्रवर्तक नहीं हैं या प्रवर्तक समूह का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक शेयरधारक माना जाएगा।

उ. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'सार्वजनिक शेयरधारक' का अर्थ उन व्यक्तियों/संस्थाओं से होगा जो प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं हैं। 'सार्वजनिक शेयरधारक' का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित) और संस्थाओं के साथ जिसमें वह और / या उसके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत से कम नहीं है। उसकी शेयरधारिता या अन्यथा, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) का प्रयोग करता है। ऐसी कंपनियों के पास एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii)]

प्र.216. विश्व स्तर पर, ऑटोमोटिव कंपनियों में अक्सर कैप्टिव वित्तीय कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ वित्तपोषण कंपनियां भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकों के रूप में काम करती हैं जो उन्हें इस तरह काम करने की अनुमति देती हैं। इन संस्थाओं को आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत और विनियमित किया जाता है, और उन्हें आय निर्धारण पर आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, संपत्ति वर्गीकरण (एसेट क्लासिफिकेशन), प्रावधानीकरण (प्रोविजनिंग), पूंजी पर्याप्तता, आदि चूंकि ये संस्थाएं पहले से ही आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी में हैं और ये संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं और वे जिन औद्योगिक उद्यमों का समर्थन करते हैं, उनके व्यवसाय संचालन का एक अभिन्न अंग हैं, हम आरबीआई से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करते हैं कि कैप्टिव फाइनेंसिंग कंपनी/(एँ) जो सूचीबद्ध (विदेशी और/या घरेलू) ऑटोमोटिव कंपनी की असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी/(याँ) हैं जिसमें प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से कम है, जिसे एनओएफएचसी के तहत लाने की आवश्यकता नहीं है। हम वैकल्पिक रूप से आरबीआई से अनुरोध करेंगे कि आवेदक के विशिष्ट तथ्य पैटर्न के आधार पर मामला दर मामला छूट देने का प्रावधान शामिल करें।

उ. सभी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएँ, जिनमें एक प्रवर्तक का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) एनओएफएचसी [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(vii)] के तहत आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में प्रवर्तक समूह में ऑटो-फाइनेंस कंपनियों को कोई छूट नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, एनओएफएचसी द्वारा आयोजित किसी भी वित्तीय सेवा इकाई को ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे बैंक को विभागीय रूप से करने की अनुमति है। बैंक के बाहर की जा सकने वाली गतिविधियाँ दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv) में उल्लिखित हैं।

प्र.217. दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (के) (vi) में प्रावधान है कि बैंक को अपना परिचालन शुरू होने से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो का 'निर्माण' करना चाहिए। हम भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं कि क्या बैंकों पर लागू मौजूदा प्रथा नए बैंकों पर भी लागू होगी यानी पिछले वित्तीय वर्ष के अग्रिमों के अंतिम शेष के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। नतीजतन, यदि कोई नया बैंक 1 अप्रैल 201X को या उसके बाद शुरू होता है, तो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अग्रिम शून्य होगा, और इसलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को 31 मार्च 201X + 1 पर अग्रिमों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और इसे 31 मार्च 201X + 2 तक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

उ. 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वर्ष के लिए बैंक के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य/उपलब्धियां, पिछले वर्ष के 31 मार्च को बकाया समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) पर आधारित होंगी। उपर्युक्त उदाहरण स्थिति को सही ढंग से बताता है।

प्र.218. पैरा 2 (I) (ii) (ए) के अनुसार, समेकित एनओएफएचसी को समेकित आधार पर सभी एक्सपोजर मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, जैसे एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा आदि, जैसा कि बैंक समूहों पर लागू होता है। चूंकि एनओएफएचसी समूह में केवल वित्तीय सेवा संस्थाओं में निवेश करेगा, यह ऐसी संस्थाओं के लिए एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए आरबीआई ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि ये सीमाएं एनओएफएचसी द्वारा वित्तीय सेवा संस्थाओं में निवेश पर लागू नहीं होंगी जो प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। इस तरह की समेकित निगरानी बीमा कंपनियों के पॉलिसी होल्डर फंड और एनओएफएचसी के तहत रखे गए म्यूचुअल फंड पर लागू नहीं होनी चाहिए।

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 2 (I) (ii) (ए) में निर्धारित एक्सपोजर मानदंड तीसरे पक्ष के एक्सपोजर और समेकित एनओएफएचसी के पूंजी बाजार एक्सपोजर को दिनांक 25 फरवरी 2003 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी.72/21.04.018/2001-02 में परिभाषित किया गया है। स्टैंडअलोन एनओएफएचसी के संबंध में, इसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए इसका एक्सपोजर एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा के अधीन नहीं है। एनओएफएचसी के तहत बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंडों के व्यापक एक्सपोजर मानदंडों को पैराग्राफ 2 (I) (iv) (ए) से (सी) में दर्शाया गया है। उनके एक्सपोजर मानदंड क्रमशः आईआरडीए और सेबी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे

प्र.219. हम एक स्पष्टीकरण का भी अनुरोध करते हैं, एनबीएफसी के बैंक में रूपांतरण की स्थिति में, इस तरह के परिवर्तन से पहले ऐसी एनबीएफसी के व्यवसाय को एनओएफएचसी द्वारा धारित किसी अन्य एनबीएफसी को स्थानांतरित करना संभव होगा (यह मानते हुए कि ऐसा व्यवसाय बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है)।

उ. सभी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएँ जिनमें एक प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) एनओएफएचसी के तहत आयोजित किया

जाएगा। यदि किसी गतिविधि को बैंक के बाहर करने की आवश्यकता है, तो यह प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को तय करना है कि ऐसी गतिविधि किस संस्था में की जाएगी। प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह व्यावसायिक गतिविधियों को समूह में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर सकता है (आवश्यकतानुसार संबंधित नियामकों और प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद), इन दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन के उद्देश्य से आरबीआई से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किसी एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करने या एक नए बैंक की स्थापना के लिए। इसे बैंकिंग कारोबार शुरू करने से पहले सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, जो भी पहले हो।

प्र.220. दिशानिर्देशों के अनुबंध II के पैराग्राफ 2 और 3 में प्रावधान है कि जहां आवेदक मौजूदा समूह से संबंधित है, समूह में सभी संस्थाओं के स्वामित्व, प्रबंधन और कॉर्पोरेट संरचना का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, शेयरधारिता और प्रबंधन को दर्शाने वाला एक ऑर्गनोग्राम सहित और आगे के अनुप्रयोगों को भी प्रमोटरों की पृष्ठभूमि पर विस्तृत जानकारी, उनकी विशेषज्ञता, व्यापार और वित्तीय मूल्य का ट्रैक रिकॉर्ड, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रवर्तक संस्थाओं के पिछले दस वर्षों के नवीनतम वित्तीय विवरण, पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रमोटरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों का विवरण, बैंक/वित्तीय संस्थान की शाखाओं के ब्योरे के साथ प्रमोटरों/प्रवर्तक संस्था(यों)/अन्य समूह इकाई(यों) द्वारा प्राप्त क्रेडिट/अन्य सुविधाओं का विवरण जहां ऐसी सुविधाएं प्राप्त की गई/हैं आदि जानकारी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। एक बड़े विविधीकृत प्रवर्तक समूह (डायवर्सिफाइड प्रमोटर ग्रुप) के लिए जिसमें कई संस्थाएँ हैं, सभी संस्थाओं के लिए उपरोक्त डेटा को एकत्रित करना बड़ा और श्रमसाध्य कार्य है। उपर्युक्त के आलोक में, हम भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं कि क्या प्रवर्तक समूह की शीर्ष 5 कंपनियों के लिए उपर्युक्त डेटा प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा (जैसा कि सेबी द्वारा एक प्रॉस्पेक्टस भरने के उद्देश्य से स्वीकार किया गया है)।

उ. प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों से संबंधित संस्थाएं/व्यक्ति, जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेंगे, उनको, जैसा उचित हो, अपने आवेदन जमा करने के समय ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख, पिछले दस वर्षों के वित्तीय विवरण और पिछले तीन वर्षों के लिए आईटी रिटर्न प्रदान करना होगा। एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं लेने वाली अन्य समूह संस्थाओं के संबंध में अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रमोटरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित का विवरण और प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूह द्वारा प्राप्त क्रेडिट/अन्य सुविधाओं का विवरण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। [दिशानिर्देशों के अनुबंध II का पैरा 3]

प्र.221. आवेदन पत्र में, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम बैंक पूंजीकरण (5 बिलियन रुपये) का गठन करने वाले निवेशकों और न्यूनतम 40 प्रतिशत एनओएफएचसी शेयरधारिता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निवेशकों में दृश्यता दिखाएगा। हम मानते हैं कि यह प्रवर्तक

/प्रवर्तक समूह को न्यूनतम निर्धारित पूंजीकरण आवश्यकताओं से अधिक के साथ एक व्यवसाय योजना पेश करने से नहीं रोकता है, और यह कि निवेशक ('उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करते हुए) जो न्यूनतम सीमा से अधिक पूंजी का योगदान करेंगे, भविष्य में पहचाने जा सकते हैं, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा निर्देशित न किया जाए?

उ. (i) हाँ। व्यवसाय योजना शेयर पूंजी के लिए प्रदान कर सकती है जो न्यूनतम निर्धारित से अधिक है।

(ii) यह अति आवश्यक है कि बैंक की आरंभिक वोटिंग इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत एनओएफएचसी के पास है और एनओएफएचसी के पास बैंक का कारोबार शुरू होने से पहले पांच वर्षों के दौरान कम से कम 40 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी पूंजी है।

(iii) एनओएफएचसी के अलावा किसी भी इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी और शेयरों के अधिग्रहण के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति/संस्था/समूह की कुल धारिता को बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर ले जाएगा, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

(iv) इसलिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों/संस्थाओं/समूहों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए जो बैंक की स्थापना के समय वोटिंग इक्विटी पूंजी धारण करेंगे।

(v) आवेदकों को उन व्यक्तियों/संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जो प्रस्तावित एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी और प्रस्तावित बैंक में विदेशी इक्विटी भागीदारी सहित बैंक की सदस्यता लेंगे।

प्र.222. दिशानिर्देशों में एनओएफएचसी में प्रवर्तक, उसके रिश्तेदारों और बहुमत वाली कंपनियों के लिए 10 फीसदी की अधिकतम शेयरधारिता निर्धारित की गई है। क्या 10 प्रतिशत का प्रतिबंध एनओएफएचसी में गैर-प्रवर्तक घरेलू निवेशकों (व्यक्तियों/संस्थाओं) पर भी लागू होता है?

उ. एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों के पास होना चाहिए। इसलिए, कोई भी निवेशक (घरेलू या विदेशी) जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा नहीं है, एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकता है। एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरों को इकाई/संस्थाओं द्वारा धारित किया जाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में की गई परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ और ऐसी संस्थाओं के साथ जिनमें उनके और/या उनके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत से कम नहीं है, वे 10 प्रतिशत से अधिक शेयर रख सकते हैं, बशर्ते उनकी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर, कंपनी पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।

प्र.223. यदि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की कंपनियों की एनओएफएचसी में भी हिस्सेदारी वाली एक या एक से अधिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक (अर्थात <49 प्रतिशत) हिस्सेदारी है, तो क्या हम समझते हैं कि इन अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स को ऊपर निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा में नहीं गिना जाएगा?

उ. एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए 10 प्रतिशत की सीमा की गणना करने के उद्देश्य से, वोटिंग इक्विटी शेयर उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित के अनुसार) और जिन संस्थाओं में उनके और / या उनके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत से कम नहीं है, उन्हें एकत्र किया जाएगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (सी)(ii)(ए)]

यदि प्रवर्तक समूह से संबंधित कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी (यानी <49 प्रतिशत) रखता है, जो एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर भी रखती है, दिशानिर्देशों के पैरा 2सी (ii)(ए) के अनुसार उन कंपनियों/कंपनियों की शेयर धारिता की गणना 10 प्रतिशत की सीमा में नहीं की जाएगी।

दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(ii)(ए) और (बी) में उल्लिखित व्यक्तिगत शेयरधारिता सहसंबद्ध नहीं हैं।

प्र.224. (i) यदि एनओएफएचसी के स्वामित्व वाले निवेश वाहनों में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी वाला एक व्यक्तिगत विदेशी शेयरधारक है, तो क्या हम समझते हैं कि यह अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी बैंक में एक व्यक्तिगत विदेशी शेयरधारक के लिए 5 प्रतिशत की सीमा की ओर नहीं गिना जाता है?

(ii) किसी बैंक की कुल विदेशी शेयरधारिता में (जो 49 प्रतिशत से कम होनी चाहिए), क्या हम मानते हैं कि एनओएफएचसी के स्वामित्व वाले निवेश वाहनों में विदेशी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी को 49 प्रतिशत की सीमा में नहीं गिना जाएगा?

उ. (i) और (ii) एनओएफएचसी को प्रवर्तक समूह से संबंधित निवासियों और व्यक्तियों द्वारा 'स्वामित्व और नियंत्रित' संस्थाओं के पूर्ण स्वामित्व में होना आवश्यक है। इसलिए, यदि प्रवर्तक समूहों के निवेश वाहन निवासियों के 'स्वामित्व और नियंत्रण' में हैं, तो इन संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बैंक में विदेशी निवेश के रूप में नहीं गिना जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(ए)(i) और पैरा 2(एफ)]

प्र.225. वाणिज्यिक बैंकों के पास वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के साथ 5 प्रतिशत (अधिकतम 10 प्रतिशत तक) से अधिक विदेशी स्वामित्व हो सकता है। हम मानते हैं कि नए बैंकों पर भी इसी तरह का नियम और प्रक्रिया लागू होगी?

उ. किसी भी अनिवासी शेयरधारक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, या अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक रखने

की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, कुल विदेशी शेयरधारिता मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार होगी। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(एफ)]

प्र.226. "वोटिंग इक्विटी शेयर" को विशेष रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी स्वामित्व प्रतिबंध केवल वोटिंग इक्विटी शेयरों पर लागू होते हैं?

उ. वोटिंग इक्विटी शेयर वे होते हैं जो शेयरधारकों को मतदान अधिकार प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट स्वामित्व प्रतिबंध केवल इक्विटी शेयरों के मतदान पर लागू होते हैं।

प्र.227. यह सुनिश्चित करने के बाद कि बैंक की पेड-अप इक्विटी वोटिंग पूंजी `5 बिलियन से अधिक है, क्या बैंक अधिमान्य, परिवर्तनीय या वोटिंग शेयरों या टियर II पूंजी (गौण ऋण) के अन्य वर्गों की पेशकश करने में सक्षम होगा?

उ. बैंक के लिए आरंभिक न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 5 बिलियन रुपये है। व्यावसायिक योजना के आधार पर, अतिरिक्त पूँजी लाई जा सकती है। बैंक 02 मई 2012 के परिपत्र संख्या बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2012-13 में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, और अन्य टियर I और टियर II पूंजीगत उपकरणों आदि के तहत अनुमेय वरीयता शेयर जारी करने में सक्षम होगा।

प्र.228. i) हम मानते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के फुट-ऑन-स्ट्रीट (एफओएस) के लिए वर्तमान में अनुमत सभी गतिविधियों को नए बैंकों के लिए भी अनुमति दी जाएगी; जैसा कि हम मानते हैं कि एफओएस मॉडल वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्तंभ है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा सूचना नहीं दी जाती है।

(ii) कई मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रोल पर फुट-ऑन-स्ट्रीट कर्मचारी हैं - हम मानते हैं कि नए बैंक, यदि वे चाहें, तो एक समान मॉडल अपना सकते हैं, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा सूचना न दी जाए।

(iii) कई मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) हैं और इसलिए हम मानते हैं कि नए बैंकों को व्यवसाय शुरू करने के समय बीसी नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा सूचना न दी जाए।

उ. (i) हाँ। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से एक नया बैंक एफ़ओएस (FOS) मॉडल को अपना सकता है।

(ii) नहीं। बैंक के पास इसके अधीन अनुषंगी कंपनी नहीं हो सकती है।

(iii) हाँ। नया बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

प्र.229. दिशानिर्देशों की धारा 2 (एफ) के अनुसार, बैंक के लाइसेंस की तारीख से पहले 5 वर्षों के लिए बैंक में विदेशी शेयरधारिता पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 49% से अधिक नहीं होगी किसी भी अनिवासी शेयरधारक को, बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, या सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5% या अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या सूचीबद्ध प्रवर्तक कंपनी स्तर पर सार्वजनिक शेयरधारिता का हिस्सा बनने वाली एफआईआई शेयरधारिता पर भी नए बैंक में 5% की शेयरधारिता सीमा पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा?

उ. नहीं, सूचीबद्ध प्रवर्तक कंपनी स्तर पर सार्वजनिक शेयरधारिता का हिस्सा बनने वाली एफआईआई शेयरधारिता को नए बैंक में 5% शेयरधारिता सीमा पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा।

प्र.230. यदि किसी आवेदक को एनओएफएचसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक छोटी सार्वजनिक कंपनी को एक सूचीबद्ध कंपनी में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो क्या अधिग्रहण कोड का पालन करने के लिए समयसीमा के लिए कोई छूट प्रदान की जाएगी?

उ. एक सार्वजनिक कंपनी को सूचीबद्ध कंपनी होना जरूरी नहीं है। आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को 18 महीने की अवधि के भीतर दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) और (iii) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट संरचना की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक रोड मैप और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी। बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्राप्त हो जाने के बाद, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और प्रस्तावित बैंक को इस अवधि के भीतर परिचालन शुरू करना होगा।

प्र.231. यदि इक्विटी धारक के रूप में मौजूदा विदेशी फंडिंग संस्थान/भारतीय निवेश संस्थान हैं, तो उन्हें प्रस्तावित एनओएफएचसी/और या बैंक में इक्विटी भागीदारों के रूप में कैसे समायोजित किया जा सकता है।

उ. समूह (दिशा-निर्देशों के अनुबंध I में दी गई परिभाषा के अनुसार) एनओएफएचसी पूरी तरह से प्रवर्तक / प्रवर्तक के स्वामित्व में होना चाहिए और शेयरधारिता का पैटर्न दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(ii) और (iii) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। मौजूदा विदेशी फंडिंग संस्थान / भारतीय निवेश संस्थान जो एनओएफएचसी की प्रवर्तक इकाई में शेयर रखते हैं, प्रवर्तक नहीं हैं या प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं हैं, वे एनओएफएचसी में शेयर नहीं रख सकते। जहां तक विदेशी फंडिंग संस्थानों द्वारा बैंक में शेयरधारिता का संबंध है, यह दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (एफ) के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, एनओएफएचसी के अलावा किसी भी इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा और बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक के ऐसे किसी भी अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। [पैराग्राफ 2 (के) (ii) और (iii)]

प्र.232. मामले में प्रवर्तक समूह कंपनी जिसे एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयर रखने की परिकल्पना की गई है, ने जीडीआर या एडीआर जारी किए हैं (अर्थात् इक्विटी लिखत जिनके पास मतदान अधिकार संलग्न नहीं हैं)। इन कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी की गणना कैसे की जाएगी? क्या जीडीआर/एडीआर (और उनके अंतर्निहित शेयर) को बाहर रखा जाएगा या जारी किए गए शेयरों की प्रकृति (मतदान/गैर-मतदान) के बावजूद सार्वजनिक शेयरधारिता की गणना की जाएगी।

उ. सार्वजनिक शेयरधारिता का अर्थ होगा, कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता प्रवर्तकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई है और ऐसे शेयरधारकों में से कोई भी उनके रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और संस्थाओं के साथ नहीं है, जिसमें उसके और/ या उसके रिश्तेदारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर हों, जो उसकी शेयरधारिता या अन्यथा के आधार पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) का प्रयोग करते हैं। इसलिए, जीडीआर/एडीआर और उनके अंतर्निहित शेयरों को सार्वजनिक शेयरधारिता के रूप में गिना जाएगा, बशर्ते कि, उनकी शेयरधारिता के आधार पर, धारकों अथवा उनके संरक्षकों के पास 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) न हो और कोई समझौता या अन्य व्यवस्था न हो जिससे जीडीआर / एडीआर धारकों या उनके संरक्षक ने प्रमोटरों/प्रबंधन के अनुसार अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का वचन दिया है।

प्र.233. अनुच्छेद 2 (सी) (vi) के संदर्भ में, क्या मौजूदा व्यवसायों के भीतर भी नई व्यावसायिक लाइनें स्थापित करने के लिए शर्त लागू है। मौजूदा जीवन बीमा व्यवसायों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य बीमा (जहां एक विनियामक अनुमोदन आवश्यक है)।

उ. एनओएफएचसी के कारोबार शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए एनओएफएचसी को किसी भी नई वित्तीय सेवा इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसका मतलब है कि एनओएफएचसी एक नई वित्तीय सेवा गतिविधि नहीं कर सकता है। [पैरा बैंकिंग गतिविधियां जैसा दिनांक 2 जुलाई 2012 को जारी मास्टर परिपत्र संख्या बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 24/ 24. 01. 001/ 2012 -13 में परिभाषित किया गया है] और वे वित्तीय सेवा गतिविधियाँ जो बैंक के बाहर से की जानी चाहिए [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv) (ए)] और निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित की जा सकती है।

हालांकि, मौजूदा बिजनेस लाइन के भीतर एक नई बिजनेस लाइन जोड़ना संबंधित वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार होगा।

प्र.234. क्या एनओएफएचसी, एनबीएफसी-सीआईसी होने के नाते, बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी सी (एक नई निगमित आईडीएफ-एनबीएफसी) को प्रायोजित करने की अनुमति होगी?

उ. हां, लेकिन एनओएफएचसी को एनओएफएचसी का कारोबार शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vi)]।

प्र.235. जबकि आरबीआई ने बैंक की अनुषंगी कंपनियों की स्थापना के लिए एक अपवाद बनाया है, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है, वही एनओएफएचसी के तहत अन्य व्यवसायों के लिए लागू होगा जहां उस व्यवसाय के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है कि वह कुछ व्यवसाय करने के लिए अनुषंगी कंपनी / संयुक्त उद्यम स्थापित करे।

उ. हाँ, आरबीआई के अनुमोदन के अधीन और संबंधित वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के विनियमों/अनुमोदन के अधीन।

प्र.236. क्या बैंक में एनओएफएचसी की शेयरधारिता को हिस्सेदारी की बिक्री, कमजोर पड़ने या उसके संयोजन से कम किया जा सकता है।

उ. हां, बैंक में एनओएफएचसी की शेयरधारिता हिस्सेदारी बिक्री या कमजोर पड़ने या उसके संयोजन से नीचे लाई जा सकती है, जो दिशानिर्देशों के पैरा 2(के)(ii) और (iii) की आवश्यकता का अनुपालन करने के अधीन है।

प्र.237. क्या दिशानिर्देशों के खंड 2 एच (i) (सी) के प्रयोजन के लिए ऋण म्युचुअल फंड में निवेश को मुद्रा बाजार लिखतों के तहत कवर किया जाएगा?

उ. नहीं, डेट म्युचुअल फंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (मुद्रा बाजार लिखतों) के अंतर्गत नहीं आते हैं। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(एच)(i)(सी)]।

प्र.238. एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में, इन संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश हैं, जो इन दिशानिर्देशों के दायरे में उनके संबंधित नियामकों द्वारा बनाए गए मौजूदा नियमों के तहत अनुमत हैं। उदा. एएमसी और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा इक्विटी निवेश।

उ. दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 (I) (iv) (ए) और (बी) में एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इन संस्थाओं के पास प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह संस्थाओं या प्रवर्तक समूह या एनओएफएचसी से जुड़े व्यक्तियों के लिए कोई क्रेडिट और निवेश (इक्विटी/ऋण पूंजीगत उपकरणों में निवेश सहित) नहीं हो सकता है। ये संस्थाएं आपस में इक्विटी और डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं कर सकती हैं। इनके अलावा, अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंड लागू होंगे।

प्र.239. आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए, अर्थात व्यवसाय योजना में व्यवसाय प्रारंभ होने की तिथि से कितने वर्ष शामिल होने चाहिए?

प्र.240. नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों को अपने आवेदनों के साथ बैंकों के लिए अपनी व्यावसायिक योजनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी। व्यवसाय योजना को इस बात का पता लगाना होगा कि बैंक किस प्रकार वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है। आवेदन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय योजना (3, 5 या 10 वर्ष) की अवधि क्या होनी चाहिए?

प्र.241. आवेदन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय योजना (3, 5 या 10 वर्ष) की अवधि क्या होनी चाहिए?

उ. (239 से 241) व्यवसाय योजना की अवधि आवेदकों पर छोड़ी गई है। व्यावसायिक योजना यथार्थवादी और व्यवहार्य होनी चाहिए। इसे यह पता होना चाहिए कि बैंक किस प्रकार वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है। तीन से पांच वर्षों की व्यवसाय योजना देना वांछनीय होगा।

प्र.242. एनओएफएचसी में निवेश करने वाली एकल प्रवर्तक समूह कंपनी के मामले में, क्या उस कंपनी को एनओएफएचसी के प्रवर्तक के रूप में माना जाएगा या निवेश करने वाली कंपनी को धारण करने वाले प्रवर्तक समूह को एनओएफएचसी या बैंक के अंतिम स्वामित्व के आधार पर प्रवर्तक समूह माना जाएगा

प्र.243. क्या प्रवर्तक के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है या क्या एक निगमित निकाय जो प्रवर्तक समूह से संबंधित है, को भी प्रवर्तक माना जा सकता है?

उ. (242 और 243). प्रवर्तक समूह दिशानिर्देशों के अनुबंध I में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार होगा।

एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेने के लिए प्रवर्तक समूह और सभी समूह संस्थाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नहीं है। दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया हैं कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए, अर्थात प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों और प्रवर्तक समूह में ऐसी संस्थाओं के पास होना चाहिए जिनमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह प्रभावी नियंत्रण में हो। ऐसी शेयरधारिता के भीतर, एनओएफएचसी की कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरधारिता उन कंपनियों के पास होनी चाहिए जिनमें जनता के पास कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरशेयरधारिता हो। ऐसी सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों [दिशानिर्देशों का पैरा 2(सी)(ii)(बी)] में शेष 49 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरधारिता प्रवर्तक समूह के व्यक्तियों / संस्थाओं के पास होगी, जिनका ऐसी कंपनियों पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' और 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)।

प्र.244. प्रवर्तक समूह के तहत संस्थाओं के मामले में जो एक सामान्य ब्रांड नाम और एक सामान्य लोगो साझा करते हैं। क्या एक ब्रांड नाम और सामान्य लोगो साझा करना इस परिभाषा के अंतर्गत आता है?

उ. हाँ। कृपया दिशानिर्देशों का अनुबंध I देखें।

प्र.245. पैरा 2 (सी) (iii) में यह कहा गया करता है कि "एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा।" इस संबंध में, क्या आप कृपया निम्नलिखित को स्पष्ट कर सकते हैं :

(i) जहां एक वित्तीय सेवा इकाई (कंपनी ए कहते हैं) में एक या एक से अधिक अनुषंगी संस्थाएं हैं (जैसे कंपनी बी और कंपनी सी) जो वित्तीय सेवा गतिविधियों को भी संचालित करता है, यदि एनओएफएचसी कंपनी ए की इक्विटी रखती है (और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी बी और कंपनी सी की इक्विटी रखती है) तो क्या पैराग्राफ 2 (सी) (iii) में निर्धारित शर्त संतुष्ट होगी? इस संबंध में अनुच्छेद 2 (I)(iv)(b) की आवश्यकता की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए?

(ii) दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र - पैरा बैंकिंग गतिविधियों के अनुबंध 1 में "वित्तीय सेवा कंपनियों" की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा एक इकाई को शामिल नहीं करती है जो कि फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के साथ पंजीकृत कमोडिटी ब्रोकर है। इन परिस्थितियों में, क्या वायदा बाजार आयोग के साथ दलालों के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के रूप में माना जाएगा, और इसलिए एनओएफएचसी द्वारा आयोजित किया जाना आवश्यक है?

उ. (i) एनओएफएचसी सीधे बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा जिसमें एक प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण होता है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (iii) और (vii)]। उपर्युक्त उद्धृत उदाहरण में, सभी तीन कंपनियों, यानी कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी को सीधे एनओएफएचसी के तहत आना होगा और कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी आपस में इक्विटी / डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं कर सकते हैं। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (I) (iv) (बी)]। दिशानिर्देश यह भी प्रदान करते हैं कि जब यह आवश्यकता है, तो बैंकों को एक अनुषंगी अथवा संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोका जाएगा जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है [पैरा 2 (सी) (vi)]। जहां तक एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं का संबंध है, उन्हें आरबीआई की मंजूरी के साथ समान संरचना स्थापित करने से रोका नहीं जाएगा जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या विशेष रूप से संबंधित वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा आवश्यक है।

(ii) इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए, वायदा बाजार आयोग के साथ दलालों के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाएगा, और इसलिए उन्हें एनओएफएचसी द्वारा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्र.246. अनुच्छेद 2(सी) (iv) में कहा गया है कि "सामान्य सिद्धांत यह है कि एनओएफएचसी द्वारा आयोजित किसी भी वित्तीय सेवा इकाई को ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होने की अनुमति

नहीं दी जाएगी जिसे बैंक को विभागीय रूप से करने की अनुमति है।" पैराग्राफ स्पष्ट करता है कि यह सामान्य सिद्धांत उप-पैराग्राफ (ए) और (बी) में संक्षेपित दो अपवादों के अधीन है, इस संबंध में, कृपया आप निम्नलिखित को स्पष्ट कर सकते हैं:

i. क्या उप-अनुच्छेद (बी) की गतिविधियों में आरबीआई के मास्टर परिपत्र - पैरा बैंकिंग गतिविधियां दिनांक 2 जुलाई 2012 में वर्णित सभी (और केवल वे) गतिविधियां शामिल होंगी? उप-अनुच्छेद (बी) द्वारा कवर की गई गतिविधियों के विशिष्ट दायरे की पहचान कैसे की जानी चाहिए?

ii. समापन वाक्य में कहा गया है, "तदनुसार, उपर्युक्त (ए) पर गतिविधियां और ऊपर (बी) पर गतिविधियां जो बैंक के बाहर की जानी हैं, उन्हें एनओएफएचसी के तहत अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए"। उपर्युक्त (बी) पर गतिविधियां बैंक द्वारा की जा सकती हैं। क्या यह अनिवार्य है कि ऐसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से एनओएफएचसी के तहत एक अलग वित्तीय इकाई के माध्यम से की जानी चाहिए या समूह के विकल्प पर बैंक के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करना भी संभव होगा?

iii. जहां किसी समूह द्वारा गैर-विवेकाधीन निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाती हैं (जो सेबी द्वारा विनियमित हैं लेकिन उन्हें किसी बैंक द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है) साथ ही विवेकाधीन निवेश प्रबंधन सेवाएं जैसे कि पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं। (जो सेबी द्वारा भी विनियमित हैं लेकिन किसी बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती हैं), क्या ऐसी गैर-विवेकाधीन निवेश सलाहकार सेवाओं को बैंक में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा?

उ.(i) और (ii) इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, लीजिंग, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि को या तो बैंक के अंदर विभागीय रूप से या बैंक के बाहर अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। बैंक द्वारा प्रायोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (IDF) के माध्यम से संपत्ति प्रबंधन, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, उद्यम पूंजी वित्तपोषण और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर ही की जा सकती हैं। ऋण संबंधी गतिविधियां बैंक के अंदर से ही संचालित की जानी चाहिए। हालांकि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएं (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिसमें प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है) को एनओएफएचसी के तहत रखा जाना है और बैंक के अधीन नहीं है, जब तक कि यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति नहीं है। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

(iii) समूह में किसी भी वित्तीय सेवा कंपनी (जो एनओएफएचसी के तहत धारित है) द्वारा बैंक के भीतर या बैंक के बाहर निवेश सलाहकार सेवाएं संचालित की जा सकती हैं, जो एक निवेश सलाहकार के रूप में सेबी के साथ पंजीकरण करने के लिए पात्र हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के संबंध में, इन गतिविधियों को एक बैंक द्वारा विभागीय रूप से आरबीआई के पूर्व अनुमोदन या किसी वित्तीय सेवा

कंपनी (जो एनओएफएचसी के तहत आयोजित किया जाता है) द्वारा किया जा सकता है जो सेबी पीएमएस नियमों के तहत पीएमएस प्रदान करने के लिए पात्र हैं।

प्र.247. कुछ व्यवसाय हैं, उदाहरण के लिए। मर्चेंट बैंकिंग, जो अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित होती हैं और जिन्हें बैंक द्वारा विभागीय रूप से और साथ ही एक अलग इकाई के माध्यम से चलाया जा सकता है। क्या ऐसे व्यवसाय बैंक के बाहर लेकिन एनओएफएचसी ढांचे के तहत किए जा सकते हैं?

उ. सामान्य सिद्धांत यह है कि पैरा-बैंकिंग गतिविधियां, जैसे क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, लीजिंग, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि को या तो बैंक के अंदर विभागीय रूप से या बैंक के बाहर अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। बैंक द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (IDF) के माध्यम से बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, वेंचर कैपिटल फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियां केवल बैंक के बाहर ही की जा सकती हैं। ऋण गतिविधियां बैंक के अंदर से संचालित की जानी चाहिए। हालाँकि, अन्य विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाएँ (क्रेडिट रेटिंग और कमोडिटी ब्रोकिंग में लगी संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है), को एनओएफएचसी के तहत रखा जाना चाहिए और बैंक के अधीन नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह कानूनी रूप से आवश्यक न हो या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

एनओएफएचसी के तहत मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां बैंक के भीतर या बैंक के बाहर संचालित की जा सकती हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iv)]।

प्र.248. जहां एक समूह के पास जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक या अधिक मौजूदा एनबीएफसी हैं, क्या जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी तब तक अस्तित्व में बनी रह सकती हैं जब तक कि उनके मौजूदा व्यवसाय बही को बंद नहीं कर दिया जाता है, या क्या यह अनिवार्य है कि जमा न लेने वाली एनबीएफसी की सभी गतिविधियों को तत्काल बैंक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए?

उ. एनबीएफसी को अपने मौजूदा व्यवसाय को बैंक को हस्तांतरित करना चाहिए यदि बैंक ऐसी गतिविधियां [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (iv)] कर सकता है और अपने साथ उन गतिविधियों को बनाए रख सकता है जो बैंक भीतर से नहीं कर सकता है। बैंक और एनबीएफसी दोनों को, यदि बैंक द्वारा नहीं की जा सकने वाली गतिविधियों को अपने पास बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें एनओएफएचसी के तहत आना होगा। सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, व्यवसाय का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

प्र.249. अनुच्छेद 2 (सी) (vi) में कहा गया है कि "एनओएफएचसी को कम से कम तीन वर्षों के लिए किसी भी नई वित्तीय सेवा इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" अनुच्छेद में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि "यह बैंक को एक अनुषंगी अथवा संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोकता है, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है अथवा आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है"। पैराग्राफ 2 (सी) (iv) में यह सूचित किया गया है कि एनओएफएचसी के तहत संस्थाओं में पैरा 2 (सी) (vi) में संदर्भित गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो पैराग्राफ 2 (सी) (iv) की आवश्यकताएं, जिसके लिए एनओएफएचसी के तहत स्थापित अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कुछ गतिविधियों की आवश्यकता होती है, और पैरा 2 (सी) (vi), जो निर्धारित करता है कि एक एनओएफएचसी पहले तीन वर्षों के लिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक नई इकाई स्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन बैंक विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। क्या अनुच्छेद 2(सी)(vi) की आवश्यकता का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि एक एनओएफएचसी तीन साल की अवधि के लिए कोई नई वित्तीय इकाई स्थापित नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी संस्था को आरबीआई द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता है या अन्यथा आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है?

प्र.250. पैराग्राफ 2 (सी) (vi) के संदर्भ में, मौजूदा व्यवसायों के भीतर डीमर्जर्स और तीसरे पक्ष से नए व्यवसायों के अधिग्रहण पर लागू होने वाली शर्त है

उ. (249 और 250) एनओएफएचसी के कारोबार शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए एनओएफएचसी को किसी भी नई वित्तीय सेवा इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसका मतलब है कि एनओएफएचसी एक नई वित्तीय सेवा गतिविधि नहीं कर सकता है। [पैरा बैंकिंग गतिविधियां जैसा कि दिनांक 2 जुलाई 2012 को जारी मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 24/ 24.01.001/2012-13 में परिभाषित किया गया है और वे वित्तीय सेवा गतिविधियां जो बैंक के बाहर से की जानी चाहिए (पैरा 2 (सी) (iv) (ए)] और निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक नई वित्तीय सेवा संस्था की स्थापना की जाए। एनओएफएचसी के तहत सभी विनियमित वित्तीय सेवाओं को लाने के लिए प्रवर्तक समूह के मौजूदा व्यवसाय के पुनर्गठन के उद्देश्य से और दिशानिर्देशों के तहत एनओएफएचसी के तहत अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मौजूदा व्यवसाय को चलाने के लिए, एनओएफएचसी नई वित्तीय सेवा संस्थाएँस्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (iv) (ए) और (बी)] वास्तव में इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले, जो भी पहले हो, पूरा करना होगा।

दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (vi) की शर्त नई वित्तीय सेवा संस्थाओं से संबंधित है जिन्हें स्थापित करने का इरादा है और ये दिशानिर्देश सभी अधिग्रहणों पर लागू होंगे।

प्र.251. अनुच्छेद 2 (सी) (ix) में यह स्पष्ट किया गया है कि "एनओएफएचसी के शेयर प्रवर्तक समूह के बाहर किसी भी इकाई को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे।" पैराग्राफ में यह भी कहा गया है

कि एनओएफएचसी के भीतर शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक एनओएफएचसी की 5 प्रतिशत या उससे अधिक वोटिंग इक्विटी पूंजी प्राप्त करता है, उसे आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, क्या आप कृपया निम्नलिखित को स्पष्ट कर सकते हैं:

i. क्या किसी स्तर पर एनओएफएचसी को सूचीबद्ध करना संभव होगा?

ii. क्या प्रवर्तक समूह संस्थाओं के बीच एनओएफएचसी शेयरों के हस्तांतरण के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी यदि इस तरह के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप किसी इकाई की शेयरधारिता एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या अधिक तक पहुंच जाएगी?

उ. (i) और (ii) नहीं. एनओएफएचसी को सूचीबद्ध करना संभव नहीं होगा क्योंकि इसका पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के पास होगा। इसके अलावा, एनओएफएचसी के भीतर शेयरशेयरधारिता (प्रवर्तक ग्रुप द्वारा) में कोई भी बदलाव जिसके परिणामस्वरूप एक शेयरधारक (प्रवर्तक समूह के भीतर) एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ होगा। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (ix)]

प्र.252. क्या कोई प्रवर्तक एनओएफएचसी के अपने शेयरों को किसी भी तरीके से गिरवी रख सकता है? यदि प्रतिज्ञा का आह्वान किया जाता है तो क्या ऋणदाता आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना एनओएफएचसी के शेयरों को अपने नाम पर पंजीकृत कर सकता है?

प्र.253. क्या एनओएफएचसी के शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-प्रवर्तक इकाई को पारेषण, इच्छा या कानून के संचालन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है?

उ. (252 और 253) नहीं. एनओएफएचसी के शेयरों को प्रवर्तक समूह के बाहर किसी इकाई को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। एनओएफएचसी में शेयरशेयरधारिता (प्रवर्तक समूह द्वारा) में कोई भी बदलाव जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या अधिक प्राप्त करता है, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ होगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(सी)(ix)]

प्र.254. यदि किसी समूह ने एक या एक से अधिक विदेशी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना की है जो वित्तीय सेवा गतिविधियों का संचालन करती हैं, तो क्या ऐसी अनुषंगी कंपनियों को एनओएफएचसी के तहत लाने की आवश्यकता है?

उ. हाँ. एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा जिसमें एक प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है। (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [पैरा 2(सी)(iii) और (vii)]। हालांकि, यह बैंक को एक अनुषंगी या संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोकता है, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(vi)]।

प्र.255. अनुच्छेद 2(जी)(ii) बताता है कि एक एनओएफएचसी का प्रबंधन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी का निदेशक भी है। अनुच्छेद 2(जी)(vii) में यह स्पष्ट किया गया है कि एनओएफएचसी, बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व और प्रबंधन अलग और विशिष्ट होगा। पैरा 2 (जी)(ii) की स्थिति पैरा 2 (जी)(vii) में निर्धारित विरोधाभासी प्रतीत होती है। इस संबंध में, क्या आप कृपया निम्नलिखित को स्पष्ट कर सकते हैं:

(i) क्या एनओएफएचसी द्वारा धारित एनओएफएचसी, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कोई सामान्य स्वतंत्र निदेशक हो सकता है?

उ. एनओएफएचसी और बैंक में सामान्य निदेशक हो सकते हैं। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(जी)(i)]। एनओएफएचसी के एक निदेशक को उसके द्वारा धारित बैंक के बोर्ड में एक निदेशक होने के नाते बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं माना जा सकता है। क्या एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय संस्थाओं में एनओएफएचसी के साथ आम (सामान्य) स्वतंत्र निदेशक हैं और बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और संबंधित नियामकों के नियमों/विनियमों पर निर्भर करेगा।

(ii) यदि एनओएफएचसी एक सूचीबद्ध, गैर-ऑपरेटिंग शेयरधारिता कंपनी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आरबीआई के साथ सीआईसी के रूप में पंजीकृत होगी, तो क्या एक व्यक्ति जो ऐसी शेयरधारिता कंपनी के सीईओ, एमडी या कार्यकारी निदेशक हैं, को भी सेवा करने की अनुमति दी जाएगी:

- एनओएफएचसी का सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?
- बैंक का सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?
- दोनों (अर्थात एनओएफएचसी और बैंक) का सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?
- एनओएफएचसी के बोर्ड में निदेशक?
- बैंक के बोर्ड में निदेशक?
- दोनों (अर्थात एनओएफएचसी और बैंक) के बोर्ड में निदेशक?

उ. गैर-ऑपरेटिंग शेयरधारिता कंपनी का पूर्णकालिक कार्यपालक बैंक अथवा एनओएफएचसी का सीईओ, एमडी अथवा कार्यपालक निदेशक नहीं हो सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (सी) के अनुसार, बैंक के सीईओ/एमडी को बैंक के पूर्णकालिक रोजगार में होना चाहिए। हालांकि, गैर-ऑपरेटिंग शेयरधारिता कंपनी का पूर्णकालिक कार्यपालक एनओएफएचसी और बैंक दोनों का निदेशक हो सकता है लेकिन ऐसे निदेशक को बैंक या एनओएफएचसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं माना जाएगा।

(iii) यदि एनओएफएचसी एक सूचीबद्ध, गैर-ऑपरेटिंग शेयरधारिता कंपनी के पास है, जो आरबीआई के साथ सीआईसी के रूप में पंजीकृत होगी, तो क्या एक व्यक्ति जो ऐसी शेयरधारिता कंपनी के बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक है, को भी अनुमति दी जाएगी:

a. एनओएफएचसी का सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?

b. बैंक का सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?

c. दोनों (अर्थात एनओएफएचसी और बैंक) के एक सीईओ, एमडी या कार्यपालक निदेशक?

d. एनओएफएचसी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक?

e. बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक?

f. दोनों (अर्थात एनओएफएचसी और बैंक) के बोर्ड में गैर-कार्यपालक, गैर-स्वतंत्र निदेशक?

उ.

a. नहीं. [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2 (जी) (ii)]

b. नहीं. [बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (सी)]

c. नहीं। [कृपया उपर्युक्त (ए) और (बी) देखें]

d. हाँ।

e. हाँ। [बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुपालन के अधीन]।

f. हाँ। [कृपया उपर्युक्त (ई) देखें]।

प्र.256. अनुच्छेद 2 (जी) (iv) में बताया गया है कि एनओएफएचसी के 50 प्रतिशत निदेशक, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रवर्तक समूह संस्थाओं के प्रमुख ग्राहकों और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों में लगे समूह के संदर्भ में प्रमुख ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए?

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 2(जी)(iv) में प्रमुख ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में शर्त, जैसा कि फुटनोट में स्पष्ट किया गया है, माल और सेवाओं या दोनों की वार्षिक खरीद या बिक्री के 10 प्रतिशत या उससे अधिक को संदर्भित करता है।

प्र.257. पैराग्राफ 2 (ए) स्पष्ट करता है कि एक योग्य प्रवर्तक को एक ऐसी इकाई होना चाहिए जो डीआईपीपी द्वारा जारी 2009 के प्रेस नोट 2, 3 और 4 में परिभाषित के अनुसार निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित हो। क्या बैंकों में विदेशी शेयरधारिता की गणना के लिए वही मानदंड लागू होंगे (जो पैरा 2 (एफ) के अनुसार 49 प्रतिशत / 74 प्रतिशत पर कैप किया जाना चाहिए?

उ. जहां तक एफडीआई सीमा का संबंध है, नए बैंकों में विदेशी शेयरधारिता दिशानिर्देशों के पैरा 2 (एफ) के अनुपालन में होनी चाहिए। जिस तरीके से बैंक में विदेशी शेयरधारिता की गणना की जाएगी, वह प्रेस नोट और डीआईपीपी दिशानिर्देशों / फेमा नियमों में बताए गए भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जब भी जारी की जाएगी।

प्र.258. अनुच्छेद 2 (एच) (i) (डी) में स्पष्ट किया गया है कि एनओएफएचसी ऐसे आरक्षित कोष में एनओएफएचसी के वार्षिक लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत हस्तांतरित करके एक आरक्षित निधि बनाएगा। जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक है, एनओएफएचसी को लाभांश के वितरण से पहले लाभ को आरक्षित निधि में हस्तांतरित करने की भी आवश्यकता होगी। क्या कंपनी अधिनियम के तहत एनओएफएचसी द्वारा बनाए जाने वाले रिज़र्व के ऊपर और उपर्युक्त पैरा 2 (एच) (i) (डी) में रिज़र्व बनाए रखने की आवश्यकता होगी?

उ. कंपनी अधिनियम के तहत बनाए गए भंडार को एनओएफएचसी के वार्षिक लाभ के 25 प्रतिशत के हिस्से के रूप में रिज़र्व फंड में हस्तांतरित किया जा सकता है। [दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 2 (एच) (i) (डी)]।

प्र.259. क्या प्रवर्तक समूह की संस्थाएँ (एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं के एनओएफएचसी के अलावा), बैंक को अग्रिम धनराशि दे सकती हैं या बैंक में जमा कर सकती हैं? क्या ऐसी संस्थाएं एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय संस्थाओं को अग्रिम धन दे सकती हैं?

प्र.260. क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक संस्थाएं बैंक की लिस्टिंग पर सीधे बैंकिंग कंपनी में खुद के शेयरों की हकदार होंगी?

उ. (259 और 260) प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की संस्थाएँ/प्रवर्तक समूह से जुड़े व्यक्ति केवल एनओएफएचसी [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) viii] के माध्यम से बैंक और उसके द्वारा धारित अन्य वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी निवेश रखेंगे। हालांकि, प्रवर्तक समूह की संस्थाओं द्वारा बैंक को निधियां (इक्विटी के अलावा) आगे बढ़ाने पर कोई रोक नहीं है। प्रवर्तक समूह की संस्थाओं को एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि देने के लिए संबंधित नियामकों के दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

जहां तक प्रवर्तक समूह की संस्थाओं का बैंक में जमाराशि रखने या उसे अग्रिम देने का संबंध है, बैंक प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह की संस्थाओं के साथ हाथ की दूरी बनाए रखेगा [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (के) (iv)]।

प्र.261. अनुच्छेद 2(l)(iv) (बी) में यह स्पष्ट किया गया है कि एनओएफएचसी द्वारा धारित एक वित्तीय इकाई उसी एनओएफएचसी द्वारा धारित किसी अन्य वित्तीय इकाई द्वारा जारी किए गए इक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों में निवेश नहीं करेगी। क्या एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाओं का क्रेडिट एक्सपोजर परस्पर हो सकता है?

उ. एनओएफएचसी के तहत वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंक का क्रेडिट और निवेश (एनओएफएचसी के इक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों और एनओएफएचसी के अंतर्गत धारित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के अलावा, जिन पर एक्सपोजर नहीं लिया जा सकता है) एक्सपोजर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और एक्सपोजर (आईटीई) मानदंडों के अधीन होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(I)(iii)(सी)]। एनओएफएचसी के तहत धारित बैंक और अन्य संस्थाओं के लिए अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं के एक्सपोजर के संबंध में, इस तरह के एक्सपोजर संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के नियमों/विनियमों के अनुसार होंगे।

प्र.262. क्या बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के समय कम से कम ₹ 2 करोड़ की सीमा तक एक एनओएफएचसी को शामिल और पूंजीकृत किया जाना चाहिए?

उ. बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करते समय, प्रमोटरों को धन के स्रोत का संकेत देना होता है। आरबीआई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एनओएफएचसी को शामिल किया जा सकता है और पूंजी जुटाई जा सकती है, जैसा कि सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर और बैंकिंग कारोबार शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो।

प्र.263. निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है:

ए. प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की 'वित्तीय सुदृढ़ता' का आकलन करने के लिए मानदंड/मापदंड।

बी. किसी प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के 'सफल ट्रैक रिकॉर्ड' का आकलन करने के लिए मानदंड/मापदंड।

प्र.264. प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक अपना व्यवसाय चलाने का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 'वित्तीय रूप से मजबूत' और 'सफल ट्रैक रिकॉर्ड' को मापने के लिए क्या मानदंड हैं?

उ. (263 और 264) 'वित्तीय सुदृढ़ता' और 'सफल ट्रैक रिकॉर्ड' का आकलन निर्णय का विषय है, और इसे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आधारों पर निर्धारित किया जाना होगा; और कोई विशिष्ट मानदंड/मापदंड नहीं बताया जा सकता है। यह निर्णय लेने में, नियामकों, और प्रवर्तन और जांच एजेंसियों जैसे आयकर, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आदि से प्राप्त जानकारी पर भी विचार करना होगा, जहां भी उचित समझा जाए। इसके अलावा, प्राप्त आवेदनों को बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा, जिसमें उच्च स्तरीय सलाहकार समिति (एचएलएसी) भी शामिल है। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2(बी)]

प्र.265. 'वित्तीय सुदृढ़ता' और 'सफल ट्रैक रिकॉर्ड' के मानदंड/मापदंडों को लागू करने के लिए, क्या आरबीआई द्वारा प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के सभी व्यवसायों/गतिविधियों पर विचार किया जाएगा या केवल उन पर विचार किया जाएगा जो वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं अथवा एनओएफएचसी ढांचे के भीतर संस्थाओं का हिस्सा बनने की संभावना है?

उ. 'वित्तीय सुदृढ़ता' और 'सफल ट्रैक रिकॉर्ड' के मानदंड/मापदंडों को लागू करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के सभी व्यवसायों/गतिविधियों पर विचार किया जाएगा जिन्हें उचित समझे जाएंगे। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2(बी)]

प्र.266. क्या आरबीआई द्वारा किसी प्रवर्तक समूह को 'उचित और उपयुक्त' मानदंडों को पूरा करने पर विचार किया जाएगा, तो यदि ऐसा प्रवर्तक समूह आरबीआई द्वारा सूचित की गई सीमा के नीचे तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, अथवा व्यवसायों / गतिविधियों की मात्रा को सट्टा प्रकृति या उच्च परिसंपत्ति मूल्य अस्थिरता के अधीन माना जाता है?

उ. दिशा-निर्देशों के पैरा 2(ए) और (बी) में निर्धारित 'उपयुक्त और उचित मानदंड' का निर्धारण पिछले रिकॉर्ड और भविष्य की योजना के आधार पर किया जाएगा। बैंकिंग मॉडल के साथ गलत तालमेल बिठाने वाले कारोबार के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्र.267. क्या एनओएफएचसी की आवश्यकता केवल गैर-वित्तीय और वित्तीय सेवा व्यवसायों दोनों के मिश्रण वाले कॉर्पोरेट के मामलों में लागू होती है?

उ. एनओएफएचसी की आवश्यकता दोनों वित्तीय समूहों और कॉर्पोरेट समूहों के लिए गैर-वित्तीय और वित्तीय सेवा व्यवसायों दोनों के मिश्रण के लिए है। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी)]

प्र.268. ऐसा प्रतीत होता है कि एनओएफएचसी की पूंजी संरचना से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं। कृपया स्पष्ट करें कि क्या एनओएफएचसी से संबंधित कोई अन्य प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर भी लागू नहीं होते हैं।

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) के प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशानिर्देशों के अन्य सभी प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो एनओएफएचसी/बैंक को बढ़ावा देती हैं।

प्र.269. एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित बैंक के लिए प्रावधान कैसे लागू होंगे?

उ. दो या दो से अधिक विभिन्न प्रवर्तक समूह संयुक्त रूप से किसी बैंक का प्रचार नहीं कर सकते हैं। बैंक की स्थापना करने वाले एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व एकल प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए। दिशानिर्देशों के पैरा 2 (के) (ii) और (iii) में दर्शाई गई सीमाओं के अधीन प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के अलावा अन्य संस्थाएं बैंक में वोटिंग शेयर रख सकती हैं।

प्र.270. क्या पूरी तरह से वित्तीय सेवा व्यवसाय में लगे प्रवर्तक समूहों के लिए अनिवार्य है और पहले से ही एक कोर निवेश कंपनी होने के कारण बैंक को बढ़ावा देने के लिए एक और एनओएफएचसी होना अनिवार्य है?

प्र.271. क्या प्रवर्तक को एनओएफएचसी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक नई कंपनी की 'स्थापना' करने की आवश्यकता है या क्या एक प्रवर्तक समूह अपनी मौजूदा समूह कंपनियों में से किसी एक को एनओएफएचसी के रूप में पहचान और पुनर्वर्गीकृत कर सकता है?

उ. (270 और 271) पैराग्राफ 2 (सी) (i), (ii) और (iii) में दिए गए एनओएफएचसी की कॉर्पोरेट संरचना को पूरी तरह से पूरा करना होगा। आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए। इसके अलावा, एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरों को प्रवर्तक समूह की कंपनियों द्वारा धारित किया जाना चाहिए, जिसमें जनता के पास उन कंपनियों की वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम न हो। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2 (सी) (i) और (ii)]

यदि समूह की एक प्रमुख निवेश कंपनी सहित मौजूदा प्रवर्तक समूह की कंपनी उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती है, तो यह एनओएफएचसी हो सकती है।

प्र.272. कृपया स्पष्ट करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शेयरधारक एक असूचीबद्ध/सूचीबद्ध इकाई में 'सार्वजनिक' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे:

ए. भारत संस्थागत निवेशकों का अधिवास है

बी. ईएसओपी धारण करने वाले कर्मचारी

सी. प्राइवेट इक्विटी फंड्स

डी. विदेशी संस्थागत निवेशक

इ. अन्य गैर प्रवर्तक समूह निवेशक

उ. उपर्युक्त उल्लिखित सभी शेयरधारकों को असूचीबद्ध और सूचीबद्ध दोनों संस्थाओं में 'सार्वजनिक' शेयरधारकों के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि कोई भी व्यक्तिगत शेयरधारक अपने रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और संस्थाओं के साथ जिसमें वह और/या उसके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत से कम हिस्सा न हो, या अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर कार्य करना 'महत्वपूर्ण प्रभाव' का प्रयोग करता हो अथवा कंपनी पर 'नियंत्रण' हो (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2(सी)(ii)(बी)]

प्र.273. कृपया हमारी इस समझ की पुष्टि करें (i) सूचीबद्ध कंपनियाँ जहाँ सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम 51% है या (ii) गैर-सूचीबद्ध कंपनियां जहां 51% निवेशकों द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह का हिस्सा नहीं होने के कारण, दोनों प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाली कंपनियों के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, जो कुल एनओएफएचसी वोटिंग इक्विटी शेयरों के 51% से कम नहीं रखने की अनुमति देते हैं।

उ. प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियां जिनमें सार्वजनिक शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है, उनके पास एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। ये कंपनियाँ सूचीबद्ध या असूचीबद्ध हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में, 'सार्वजनिक शेयरधारिता' के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति शेयरधारक अपने रिश्तेदारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) और संस्थाओं के साथ, जिसमें वह और/या उसके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत से कम हिस्सा न हो, या अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर कार्य करना 'महत्वपूर्ण प्रभाव' का प्रयोग करता हो अथवा कंपनी पर 'नियंत्रण' हो (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2(सी)(ii)(बी)]

प्र.274. क्या एक संस्था (वर्तमान में विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधि कर रही है) जो बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होने के बाद अपनी विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है, को एनओएफएचसी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है?

उ. आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी मौजूदा विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा जिसमें प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2(सी)(iii) और (vii)]। यदि प्रवर्तक समूह में विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधि करने वाली इकाई ऐसी गतिविधि को बंद कर देती है तो यह आवश्यक रूप से एनओएफएचसी के दायरे से बाहर होगी। हालांकि, इसे बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर या लाइसेंस जारी करने की तारीख से पहले, जो भी पहले हो, विनियमित वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि को बंद करना होगा।

प्र.275. कृपया स्पष्ट करें कि एनओएफएचसी पर एक नई वित्तीय सेवा संस्था स्थापित करने पर प्रतिबंध में शामिल नहीं है:

i) किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में अपनी व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए पहले से ही एनओएफएचसी ढांचे के तहत एक वित्तीय सेवा इकाई द्वारा एक विदेशी अनुषंगी कंपनी स्थापित करना;

ii) आरबीआई बैंकिंग दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पुनर्गठन समूह के हिस्से के रूप में एनओएफएचसी के तहत एक नई इकाई का गठन;

iii) किसी विशिष्ट विनियामक आवश्यकता द्वारा एनओएफएचसी के व्यवसाय के प्रारंभ होने के बाद स्थापित होने के लिए आवश्यक किसी भी नई वित्तीय सेवा संस्था का गठन।

उ. (i) एनओएफएचसी ढांचे के अंतर्गत पहले से ही एक वित्तीय सेवा इकाई द्वारा एक विदेशी अनुषंगी कंपनी की स्थापना की जा सकती है, बशर्ते कि उस विदेशी अधिकार क्षेत्र में विनियमन के तहत ऐसी इकाई की स्थापना आवश्यक हो।

(ii) प्रवर्तक समूह के व्यवसाय के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में एनओएफएचसी के तहत एक नई इकाई की स्थापना की अनुमति दिशानिर्देशों के पैरा 2सी (vii) के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगी।

(iii) किसी विशिष्ट विनियामक आवश्यकता के लिए आवश्यक होने पर एनओएफएचसी के तहत एक नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित की जा सकती है।

एनओएफएचसी के तहत ऐसी नई संस्थाओं की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

प्र.276. क्या एनओएफएचसी की 5% वोटिंग इक्विटी से अधिक के सकल अधिग्रहण के लिए या वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5% से अधिक की शुद्ध शेयरधारिता (कमजोर / बिक्री का शुद्ध) के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी?

उ. एनओएफएचसी के शेयरों को प्रवर्तक समूह के बाहर किसी भी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। एनओएफएचसी के भीतर शेयरशेयरधारिता (प्रवर्तक समूह द्वारा) में कोई भी बदलाव जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ होगा। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (ix)]

वोटिंग इक्विटी पूंजी के अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति/संस्था/समूह/संगठित रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा 5 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता होगी।

प्र.277. क्या एनओएफएचसी में शेयर रखने वाली किसी भी प्रवर्तक समूह इकाई में शेयरधारिता को बैंक में 'अप्रत्यक्ष' शेयरधारिता माना जाएगा?

प्र.278. यदि हां, तो बैंक में ऐसी 'अप्रत्यक्ष' शेयरधारिता की गणना 10% की सीमा के प्रयोजन के लिए कैसे की जाएगी?

उ. (277 और 278) नहीं। एनओएफएचसी में शेयर रखने वाली प्रवर्तक समूह इकाई में शेयरधारिता को बैंक में 'अप्रत्यक्ष' शेयरधारिता के रूप में नहीं माना जाएगा। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह संस्थाएं/प्रवर्तक समूह से जुड़े व्यक्ति केवल एनओएफएचसी के माध्यम से बैंक और एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी निवेश रखेंगे।[दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (viii)]

प्र.279. हम मानते हैं कि समूह की केवल घरेलू वित्तीय संस्थाओं को एनओएफएचसी के तहत लाने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रवर्तक समूह से संबंधित विदेशी वित्तीय संस्थाएं एनओएफएचसी के बाहर होंगी। कृपया इसकी पुष्टि करें।

उ. सभी विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएँ जिनमें किसी प्रवर्तक समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है), उक्त को एनओएफएचसी के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें विदेशी वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल हैं। हालांकि, यह एनओएफएचसी के अंतर्गत आयोजित बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय सेवा इकाई को एक अनुषंगी या संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोकेगा, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है अथवा आरबीआई और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है। [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (iii)]

प्र.280. बैंक को बढ़ावा देने के इच्छुक सूचीबद्ध एनबीएफसी के मामले में, पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी के माध्यम से बैंकिंग इकाई में हिस्सेदारी लेने वाली सूचीबद्ध एनबीएफसी की दो-स्तरीय संरचना का होना आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। इसलिए, कृपया हमें बताएं कि क्या सूचीबद्ध एनबीएफसी को स्वयं एनओएफएचसी के रूप में माना / परिवर्तित किया जा सकता है और इसलिए सीधे बैंकिंग इकाई को बढ़ावा देने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामले में, एनबीएफसी के एक सूचीबद्ध इकाई होने के तथ्य के कारण, एनओएफएचसी को पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होने के कारण छूट प्रदान करने की आवश्यकता है।

उ. आवश्यकता यह है कि एनओएफएचसी का पूर्ण स्वामित्व प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के पास होना चाहिए। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2 (सी) (i)] इसके अलावा, एनओएफएचसी के कम से कम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयर प्रवर्तक समूह की कंपनियों के पास होने चाहिए, जिसमें जनता के पास उन कंपनियों की वोटिंग इक्विटी का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2(सी)(i) और (ii)]

इसलिए, सूचीबद्ध एनबीएफसी को एनओएफएचसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और बैंक को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

प्र.281. अधिकांश बैंकों और एनबीएफसी के पास स्टाफिंग सब्सिडियरी है। इस कंपनी के कर्मचारी बैंक/एनबीएफसी के लिए लेन-देन संबंधी गतिविधियां करते हैं। चूंकि इस तरह की स्टाफिंग अनुषंगी कंपनियां बैंकिंग व्यवसाय के लिए अभिन्न अंग हैं, इसलिए हम मानते हैं कि बैंकों / एनओएफएचसी को ऐसी अनुषंगी कंपनियों को रखने की अनुमति जारी रहेगी। कृपया इसकी पुष्टि करें।

उ. एनओएफएचसी को केवल विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को रखने की आवश्यकता होगी। बैंक को एक अनुषंगी या संयुक्त उद्यम या सहयोगी रखने की अनुमति दी जाएगी, जहां यह कानूनी रूप से आवश्यक है या आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2 (सी) (vi)]। हालांकि, बैंकों को स्टाफिंग अनुषंगी कंपनियों की अनुमति नहीं है।

प्र.282. एक वित्तीय संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की जाती है और इसकी इक्विटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के पास होती है, जो भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में होती है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, क्या यह वित्तीय संस्थान के इन प्रवर्तकों के लिए उनकी चल रही वित्तीय सेवाओं को पूरा करने के लिए एक सीमित कारक होगा?

उ. प्रवर्तकों /प्रवर्तक समूह को दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी) में परिकल्पित कॉर्पोरेट संरचना के अनुसार केवल पूर्ण स्वामित्व वाले एनओएफएचसी के माध्यम से एक बैंक स्थापित करने की अनुमति होगी। एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को धारण करेगा जिसमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है)। [दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 2(सी)(iii)]। इसके अलावा, सामान्य सिद्धांत यह है कि एनओएफएचसी द्वारा आयोजित किसी भी वित्तीय सेवा इकाई को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे बैंक को विभागीय रूप से करने की अनुमति है [दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2(सी)(iv)]। यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह में ऋण देने संबंधी सभी गतिविधियां बैंक के अंदर से ही संचालित की जानी चाहिए।

प्र.283. क्या वित्तीय संस्थान (FI) अपने सहयोगियों, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (रेटिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आदि) में अपनी शेयरधारिता को एनओएफएचसी को हस्तांतरित करने के दायित्व के अधीन होगा? यह जोड़ा जा सकता है कि इनमें से कुछ अनुषंगी कंपनियों की आपस में एक-दूसरे के साथ क्रॉस शेयरधारिता है।

प्र.284. क्या वित्तीय संस्थान (FI) अभी भी अन्य विकासात्मक गतिविधियों जैसे क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के साथ पुनर्वित्त गतिविधि करना जारी रख सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशिष्ट संस्थानों को क़ानून द्वारा अनुमत विशिष्ट गतिविधियाँ होने के कारण, उपर्युक्त परिभाषा के प्रयोजन के लिए सामान्य वित्तीय सेवा गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्र. 285. क्या ऐसी वेंचर कैपिटल कंपनी जो वर्तमान में एफ़आई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, क्या उसे उन्हीं दिशानिर्देशों की ही तरह जिसके अंतर्गत एनओएफएचसी हेतु एक अलग अनुषंगी कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के परिचालन की अनुमति दी गई है, एनओएफ़एचसी के तहत भी एक अलग शाखा के रूप में अनुमति दी जा सकती है? या क्या इसे एनओएफएचसी के बाहर एफआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है?

प्र. 286. एफ़आई वर्तमान में संविधि द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार पात्र संस्थाओं (जो प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में हैं) को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान कर रहा है, ताकि अन्य उधारदाताओं द्वारा अपनाए जा

सकने वाले नए और नवोन्मेषी उत्पादों की पेशकश करते हुए बैंकों के प्रयासों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, एफ़आई संविधि द्वारा अनुमत और विनियामक द्वारा अनुमोदित विशेष छूट के माध्यम से सरकार द्वारा समर्थित पात्र संस्थाओं को इक्विटी/अर्ध इक्विटी सहायता भी प्रदान करता है। संविधि के तहत इन गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, क्या इन्हें एफ़आई द्वारा जारी रखा जा सकता है?

उत्तर (283 से 286). यदि वित्तीय संस्था निजी क्षेत्र की संस्था है, तो उसे दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(ii) में निर्धारित कॉर्पोरेट ढांचे का पालन करना होगा। यदि एफ़आई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, तो दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(ii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, हालांकि संस्था को बैंक बने रखने के लिए एक एनओएफ़एचसी स्थापित करना होगा। किसी भी मामले में, किसी बैंक द्वारा संचालित की जा सकने वाली गतिविधियों को बैंक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और ऐसी विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियों को जो एक बैंक नहीं कर सकता है उन्हें एनओएफएचसी के तहत एक अलग अनुषंगी या अनुषंगी कंपनी को स्थानांतरित करना होगा। [पैरा 2 (सी))(iii) दिशानिर्देशों के]

प्र. 287. जहां एनओएफएचसी के शेयर सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा धारित किए जाते हैं, जिनके ट्रस्टी वित्तीय सेवा कंपनियों के प्रवर्तक हैं, क्या ऐसे सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों की शेयरधारिता को शर्त 2(सी)(ii)(बी) को पूरा करने के रूप में माना जाएगा?

प्र. 288. जहां एनओएफएचसी के शेयर कर्मचारी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास हैं, क्या ऐसे ट्रस्ट की शेयरधारिता को शर्त 2(सी)(ii)(बी) को पूरा करने वाला माना जाएगा?

प्र. 289. प्रवर्तक समूह के लिए एनओएफएचसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, क्या आरबीआई कर्मचारी चैरिटेबल ट्रस्टों को जनता द्वारा धारित माना जाएगा?

उ. (287 से 289) एनओएफएचसी के शेयरों को व्यक्तियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं और प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियों द्वारा धारण किया जा सकता है। ट्रस्ट इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट या एक कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट सीधे एनओएफएचसी में वोटिंग इक्विटी शेयर नहीं रख सकता है, लेकिन एनओएफएचसी के इक्विटी शेयर रखने वाली कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धारित कर सकता है। यदि प्रवर्तकों का ट्रस्ट पर नियंत्रण है, तो ट्रस्टों को कंपनियों में 'सार्वजनिक शेयरधारिता' की गणना के उद्देश्य से उन्हें तब तक 'सार्वजनिक' नहीं माना जाएगा, जबतक एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी के 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(सी)(ii)(बी)]

प्र. 290. जहां एक समूह वित्तीय सेवा क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और होल्डिंग कंपनी के माध्यम से विभिन्न कंपनियों / एसपीवी / संयुक्त उद्यमों में निवेश करता है, जो आमतौर पर मुख्य निवेश कंपनी कंपनी (सीआईसी) या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली सीआईसी (सीआईसी-एनडी-एसआई) है, क्या उन्हें एनओएफएचसी की नई अवधारणा के मद्देनजर सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई संरचना को खत्म करने की कठोरता से गुजरना होगा?

प्र.291. क्या आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी एनओएफएचसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हो सकता है?

उ.(290 और 291) प्रवर्तक समूह किसी सीआईसी एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों को रखने के लिए पात्र होगा। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक समूह का एक सीआईसी भी एनओएफएचसी बन सकता है। हालांकि, दोनों विकल्पों के तहत, एनओएफएचसी के कॉर्पोरेट ढांचे को दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) की अपेक्षाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना चाहिए और नए बैंक और विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, जिसमें प्रवर्तक समूहों का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' और 'नियंत्रण' हो (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित किया गया है) को एनओएफएचसी के तहत धारित किया जाना चाहिए। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iii) और (vii)]

प्र. 292. बैंक की स्थापना के बाद, यदि प्रवर्तक बीमा, आस्ति प्रबंधन जैसे नए वित्तीय व्यवसायों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या वे एनओएफएचसी के तहत या बैंक के तहत एक नई अनुषंगी कंपनी स्थापित करते हैं?

उ. बैंक की स्थापना के बाद, यदि प्रवर्तक बीमा, आस्ति प्रबंधन जैसे नए वित्तीय व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें एनओएफएचसी के तहत नई अनुषंगी कंपनियों की स्थापना करनी होगी; नकि बैंक के अधीन। भले ही आरबीआई की मंजूरी के अधीन कोई कानूनी अपेक्षा या संबंधित वित्तीय क्षेत्र विनियामक अपेक्षा को पूरा करने की आवश्यकता है, यह बैंक को अनुषंगी कंपनी स्थापित करने से नहीं रोकेगा। हालांकि, एनओएफएचसी को अपना कारोबार शुरू करने की तारीख से कम से कम तीन साल तक कोई नई वित्तीय सेवा इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(सी)(vi)]

प्र. 293. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स (आईडीएफ़एस) के लिए मौजूदा दिशानिर्देश, आईडीएफ़ (एनबीएफ़सी संरचना) के संभावित बैंक प्रायोजकों के स्वामित्व की हिस्सेदारी को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करते हैं, और संभावित आईएफ़सी-एनबीएफ़सी प्रायोजकों की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। क्या बैंक को धारित करने वाले एनओएफएचसी के पास एक अलग आईडीएफ अनुषंगी में 49 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व हिस्सा हो सकता है?

उ. एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित प्रवर्तक समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं [दिशानिर्देशों के पैरा 2(सी)(iii)] को बनाए रखेगा। तदनुसार, एनओएफएचसी आईडीएफ के प्रायोजक के रूप में बैंक/एनबीएफसी की जगह लेगा और आईडीएफ-एनबीएफसी में न्यूनतम 30 प्रतिशत और अधिकतम 49 प्रतिशत इक्विटी का योगदान करेगा। (कृपया दिनांक 21 नवंबर 2011 का आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.सं 57/24.01.006 और 21 नवंबर 2011 का परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी. सं.249/03.02.089 देखें)।

प्र. 294 कंपनी ए, कंपनी एस और कंपनी बी (अनिवासी) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है, उसे एक एनबीएफ़सी है जिसे आस्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ए कलपुर्ज़ों के

वित्तपोषण के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ए में निवेश (50%) प्रस्तावित है (i) कंपनी एस द्वारा नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ("एनओएफ़एचसी") (कंपनी एस का एक नया निगमित डबल्यूओएस) में स्थानांतरित किया जाना है या (ii) एस कंपनी द्वारा एनओएफ़एचसी में स्थानांतरण किया जाना है और उसके बाद एनओएफएचसी द्वारा बैंक (एनओएफएचसी का एक नया निगमित डब्ल्यूओएस) में किया जाना है।

ए) क्या कंपनी ए (50%) में बैंक द्वारा निवेश किया जा सकता है?

बी) यदि प्रश्न (ए) का उत्तर नही है, तो क्या कंपनी ए में निवेश एनओएफएचसी द्वारा किया जा सकता है?

उ. (ए और बी) चूंकि एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ प्रवर्तक समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं, आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (iii)] द्वारा विनियमित होगा, बैंक एनओएफएचसी के तहत धारित एक अस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) के इक्विटी शेयरों को उसी एनओएफएचसी के तहत रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, बैंक कंपनी ए में 50 प्रतिशत इक्विटी निवेश नहीं कर सकता है, जब तक कि विधि द्वारा आवश्यक न हो या आरबीआई और संबंधित वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो। उपरोक्त के अधीन, कंपनी ए में निवेश एनओएफएचसी द्वारा धारित किया जाना है।

प्र. 295. क्या किसी भी उस वित्तीय सेवा गतिविधि को स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा जो वर्तमान में विनियमित नहीं है लेकिन जिसे भविष्य में एनओएफएचसी के तहत क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाएगा?

उ. हां, सभी विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियां, जिनमें एक प्रवर्तक समूह का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' है (जैसा कि लेखा मानक 23 में परिभाषित है), चाहे वह वर्तमान में विनियमित हो या भविष्य में विनियमित हो, उसे विनियमन की स्थिति में एनओएफएचसी के तहत होना होगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(सी)(vii)]

प्र.296. यदि एक मौजूदा एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित किया जाता है या एक मौजूदा व्यवसाय को "विभागीय" रूप से चलाने के लिए बैंक को हस्तांतरित किया जाता है, तो क्या वोटिंग कैपिटल जारी करने के उद्देश्य से उसे उचित मूल्य पर मूल्यांकित करने की अनुमति दी जाएगी?

उ. मौजूदा कारोबार के पुनर्रचना के तहत एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरण के उद्देश्य से आस्ति और देनदारियों को लागू विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकित किया जा सकता है।

प्र. 297. क्या इसका अर्थ यह होगा कि एनओएफएचसी द्वारा धारित मौजूदा कारोबारों की कोई भी पुनर्रचना जो विलय, विलगाव, आंतरिक पुनर्रचना आदि के माध्यम से नई संस्थाओं के गठन या नई संस्थाओं को मौजूदा कारोबार के हस्तांतरण को जन्म दे सकता है, को भी एनओएफएचसी का

कारोबार शुरू करने से 3 साल की अवधि के लिए रोका जाएगा? यदि क्षेत्र विनियामक कहता है कि सेबी या आईआरडीए को नई संस्थाओं की स्थापना के लिए क्षेत्र विशिष्ट संस्थाओं को विनियमित करने वाले नए मानदंड निर्दिष्ट करने हैं, तो क्या इसके लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी?

उ. नहीं। पहले तीन वर्षों के भीतर नई वित्तीय सेवा इकाई की स्थापना पर प्रतिबंध मौजूदा कारोबार/ विलगाव के पुनर्रचना या क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा अनिवार्य मौजूदा व्यवसाय के किसी अन्य पुनर्रचना पर लागू नहीं होगा। यह आरबीआई की मंजूरी के साथ किया जाना होगा।

प्र. 298. क्या किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारक (जो एनओएफएचसी और बैंक के प्रवर्तक हैं) बैंक के शेयरधारक बन सकते हैं?

उ. एनओएफएचसी को प्रवर्तित करने वाली कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों (अर्थात प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की संस्थाओं/प्रवर्तक समूह से जुड़े व्यक्तियों के अलावा) को सीधे एनओएफएचसी द्वारा धारित बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी निवेश रखने की अनुमति है। [दिशानिर्देश का पैरा 2(सी)(viii)]

प्र. 299. कृपया स्पष्ट करें कि क्या एनओएफएचसी के प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरों की गणना पूरी तरह से ह्रासमान आधार पर की जाएगी (अर्थात बकाया परिवर्तनीय लिखतों और वारंटों सहित)

प्र.300. क्या प्रतिशत शेयरधारिता की गणना पूरी तरह से ह्रासमान आधार पर की जानी है (परिवर्तनीय लिखतों के किसी भी इश्यू को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण रूपांतरण मानते हुए)?

उ. (299 और 300) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि एनओएफएचसी में न्यूनतम 51 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी शेयरधारिता उन कंपनियों के पास है, जिनमें जनता की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं है, प्रवर्तकों द्वारा धारित कोई भी परिवर्तनीय लिखत, चाहे अनिवार्य रूप से या वैकल्पिक रूप से वोटिंग इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो, उसे वोटिंग इक्विटी शेयरों के रूप में ही माना जाएगा।

प्र.301. विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ प्रवर्तक शेयरधारिता की गणना के उद्देश्य से एनओएफएचसी और बैंक के शेयरधारिता पैटर्न के संदर्भ में गैर-वोटिंग पूंजी को कैसे माना जाएगा?

उ. एनओएफएचसी में प्रवर्तक की शेयरधारिता की गणना के लिए गैर-वोटिंग पूंजी की गणना नहीं की जाएगी। एनओएफएचसी में गैर-वोटिंग पूंजी को विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के लिए गिना जाएगा बशर्ते यदि यह विनियामक पूंजी में शामिल करने के लिए बासल III पूंजी विनियम पर दिनांक 2 मई 2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21/06.201/2011-12 में निर्धारित [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (डी)] पात्रता मानदंड को पूरा करती है।

प्र.302. एनओएफएचसी के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी/नेटवर्थ क्या है?

उ. बैंक के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी ₹ 5 बिलियन है, और एनओएफएचसी के लिए शुरू में बैंक में कम से कम 40 प्रतिशत शेयरधारिता होना आवश्यक है। एनओएफएचसी की न्यूनतम पूंजी ऐसी होनी चाहिए जो उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनओएफएचसी द्वारा धारित अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में निर्धारित पूंजी रखने की आवश्यकता को पूरा करती हो। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(डी))]

प्र.303. क्या आरबीआई को सौंपे गए कारोबार योजना के अलावा बैंक में और अधिक निधि डाला जा सकता है? क्या इसके लिए किसी विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होगी?

उ. जैसा कि पैरा 2 (डी) (i) में कहा गया है, बैंक के लिए शुरुआती न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी ` 5 बिलियन होगी। यदि कोई अतिरिक्त वोटिंग इक्विटी पूंजी लाई जाएगी तो यह प्रवर्तकों की कारोबार योजना पर निर्भर करेगी। वे कारोबार योजना का समर्थन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से अधिक पूंजी ला सकते हैं और पूंजी जुटाने के कार्यक्रम निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों को जारी करने और मूल्य निर्धारण पर आरबीआई के दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के परिपत्र में दिए गए अनुमोदन के अधीन होंगे। इसके अलावा, पूंजी जुटाने के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 2 (डी) (ii) से (v), 2 (एफ), 2 (के) (ii), (iii) और (x) में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में होने चाहिए।

प्र.304. यदि बैंक के वोटिंग इक्विटी शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, तो क्या चुकता पूंजी के बजाय नेटवर्थ के माध्यम से ₹ 500 करोड़ की सीमा हासिल की जा सकती है?

उ. नहीं। बैंक का प्रारंभिक न्यूनतम पूंजीकरण ₹ 5 बिलियन की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी होना चाहिए।

प्र.305. पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के अलावा, क्या बैंक/एनओएफएचसी के पास कमी को पूरा करने के लिए कोई अन्य तरीका उपलब्ध होगा।

उ. हां, पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के अलावा, बैंक शेयरधारिता में कमी को पूरा करने के लिए शेयरों की बिक्री जैसी अन्य पद्धतियों का भी सहारा लिया जा सकता है। [दिशानिर्देशों का पैरा 2 (डी)]

प्र.306. क्या एनओएफएचसी जो अन्य क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा विनियमित है और जो एनओएफएचसी द्वारा धारित है, को किसी वित्तीय सेवा इकाई में निधि/पूंजी डालने के लिए आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता होगी

उ. एनओएफएचसी द्वारा धारित विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए पूंजी की आवश्यकताएं संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ऐसी एनओएफएचसी जिसे भले ही किसी अन्य वित्तीय क्षेत्रीय विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है, उसे इस संबंध में आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी कि वह इसके तहत धारित किसी भी वित्तीय सेवा इकाई में धन/पूंजी डाल सके। आरबीआई से इस तरह के अनुमोदन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि

बैंक सहित सभी संस्थाएं एकल आधार पर और साथ ही समेकित बैंक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को पूरा करती हैं।

प्र.307. क्या बैंक में एनओएफएचसी शेयरधारिता की द्वितीयक बिक्री की अनुमति होगी? यदि हां, तो क्या इसके लिए आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता होगी?

उ. हां, किन्तु दिशानिर्देशों के पैरा 2(डी)(iii) और (iv) के अनुपालन के अधीन। हालांकि, बैंक में एनओएफएचसी शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

प्र.308. क्या एनओएफएचसी के कर्मचारियों को ईएसओपी के रूप में बैंक के शेयरों की पेशकश की जा सकती है?

उ. हां, बशर्ते बैंक में एनओएफएचसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेयरधारिता हर समय बनाए रखी जाए।

प्र.309. बैंक के कर्मचारियों को किस हद तक ईएसओपी प्रदान किए जा सकते हैं?

उ. बैंक अपनी नीति के अनुसार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपने कर्मचारियों को ईएसओपी जारी कर सकता है।

प्र.310. सूचीबद्ध करने के संदर्भ में, हम समझते हैं कि पूंजी बाजार विनियामक ने यह रुख अपनाया है कि गैर-वोटिंग पूंजी की अनुमति नहीं है, लेकिन अंतर मतदान अधिकार वाली पूंजी की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, इस संबंध में आरबीआई की अपेक्षा को कैसे पूरा किया जाएगा?

प्र.311 क्या बैंक में गैर वोटिंग इक्विटी शेयरों के माध्यम से शेयरधारिता की परिकल्पना या अनुमति है?

उ.(310 और 311) गैर-वोटिंग शेयर दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर हैं, लेकिन प्रासंगिक कानूनों और जहां भी लागू हो, सेबी नियमों के अधीन हैं।

प्र.312. कृपया एनओएफएचसी के लिए अलग निर्देश जारी करने की समय-सीमा निर्दिष्ट करें।

प्र.313. कृपया स्पष्ट करें कि क्या ऐसे निर्देशों में एनओएफएचसी (न्यूनतम पूंजी, अनुमेय पूंजी (इक्विटी बनाम वरीयता) आदि) की सटीक संरचना पर मार्गदर्शन भी शामिल होगा?

प्र.314. एनओएफएचसी को आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के एक अलग समूह द्वारा अभिशासित होगा। एनओएफएचसी पर लागू प्रस्तावित वित्तीय मानदंड (जैसे नेटवर्थ, प्रदत्त पूंजी, आदि) क्या हैं?

प्र.315. एनओएफएचसी के लिए आरबीआई द्वारा दिशानिर्देश कब जारी किए जाने की संभावना है?

प्र.316. आरबीआई द्वारा एनओएफएचसी के लिए निर्देश कब तक जारी किए जाने की उम्मीद है?

प्र.317. चूंकि एनओएचएफसी आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के एक अलग समूह द्वारा अभिशासित होगा, इसलिए हमें पूर्ण निहितार्थों को समझने के लिए, हम अनुरोध करेंगे कि इन दिशानिर्देशों को तुरंत जारी किया जाए।

उ. (312 और 317) एनओएफएचसी दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

प्र.318 कृपया बैंक में अनिवासी शेयरधारक की 'अप्रत्यक्ष' शेयरधारिता के अर्थ को विस्तारित और स्पष्ट करें।

उ. अप्रत्यक्ष शेयरधारिता औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के 2009 के प्रेस नोट 2, 3 और 4 / समय-समय पर संशोधित फेमा विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (एफ)]

प्र.319. जहां कोई मौजूदा कंपनी जिसमें अनिवासी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है, एनओएफएचसी को प्रवर्तित करती है, क्या आरबीआई शर्त 2(ए) (i) को पूरा करने के लिए अनिवासी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से नीचे जाने के लिए किसी भी परिवर्तन से गुजरने हेतु समय की अनुमति देगा?

उ. आवेदन करते समय, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को एक कार्य योजना और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे 18 महीने की अवधि के भीतर दिशानिर्देशों के पैरा 2 (ए) (बी) और (सी) (iii) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट ढांचे की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनाएंगे।

प्र.320. पैरा 2 (एफ) समग्र अनिवासी होल्डिंग को 49% तक सीमित करता है। हमारा मानना है कि विदेशी शेयरधारिता की गणना के लिए केवल प्रत्यक्ष शेयरधारिता को ही ध्यान में रखा जाएगा। कृपया पुष्टि करें।

उ. बैंक में विदेशी शेयरधारिता की गणना औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के 2009 के प्रेस नोट 2, 3 और 4 / समय-समय पर संशोधित फेमा विनियमों के अनुसार की जाएगी। इसलिए, अप्रत्यक्ष विदेशी शेयरधारिता की गणना 2009 के डीआईपीपी प्रेस नोट 2, 3 और 4 / फेमा विनियमों में समय-समय पर संशोधित पद्धति के अनुसार की जाएगी। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(एफ)]। एनओएफएचसी की स्थापना करने वाली प्रवर्तक समूह की कंपनियां 'निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित' होंगी, एनओएफएचसी में उनके डाउनस्ट्रीम निवेश और आगे बैंक में विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश की गणना नहीं की जाएगी।

प्र.321. क्या किसी विदेशी कंपनी, जिसे विदेशी बैंक या ऐसे विदेशी बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका ऐसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव है, को निजी भारतीय बैंक में शेयर रखने की अनुमति दी

जाएगी? इसके अलावा, क्या इस बात पर कोई मतभेद होगा कि ऐसे विदेशी बैंक की भारत में भी शाखाएं हैं?

उ. हाँ। कोई विदेशी कंपनी, जिसे किसी विदेशी बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है या ऐसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला एक विदेशी बैंक, एक निजी भारतीय बैंक में शेयर रख सकता है। इसके अलावा, यदि ऐसे विदेशी बैंक की भारत में भी शाखाएं हों तो कोई अंतर नहीं होगा । हालांकि, किसी भी अनिवासी शेयरधारक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, या अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से बैंक के कारोबार के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष तक बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (दिशानिर्देशों के पैरा 2(एफ)। नए बैंक में विदेशी बैंक की इक्विटी होल्डिंग भी बैंकों के बीच क्रॉस-होल्डिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

प्र.322. दिशानिर्देशों के खंड 2(एफ) के तहत, किसी भी अनिवासी शेयरधारक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5% की सीमा की गणना में, क्या आनुपातिक सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है (बीमा क्षेत्र के आधार के समान) या यह मौजूदा एफडीआई नीति द्वारा अभिशासित होगा?

उ. कोई भी अनिवासी शेयरधारक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में, या अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए, समानुपातिक सिद्धांत को नहीं अपनाया जाएगा। [दिशानिर्देश का पैरा 2(एफ)]

प्र.323. दिशानिर्देशों के खंड (ए) (i) के अनुसार, पात्र प्रवर्तकों को निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं/समूह होना चाहिए जो डीआईपीपी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हों। डीआईपीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक बार जब कोई इकाई किसी निवासी के स्वामित्व और नियंत्रण में आ जाती है, तो ऐसी इकाई में किसी भी विदेशी होल्डिंग को किसी निवेश कंपनी में एफडीआई की गणना के उद्देश्यों के लिए गिने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड (एफ) के अनुसार, एक बैंकिंग कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वामित्व दोनों पर विचार करने के बाद एफडीआई निर्धारित किया जाना चाहिए। क्या उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने का मतलब यह होगा कि नए बैंक में एनओएफएचसी के स्वामित्व को निवासियों द्वारा धारित माना जाएगा और प्रवर्तक समूह संस्थाओं (विशेष रूप से जहां ऐसी संस्थाएं सूचीबद्ध संस्थाएं हैं) में कोई भी एफडीआई/एफआईआई निवेश जोकि डीआईपीपी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वामित्व और नियंत्रित परीक्षण करते हुए होगा, तो क्या उस पर नए बैंक के लिए समग्र 49% एफडीआई / एफआईआई सीमाओं की गणना करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्र.324. हम समझते हैं कि चूंकि डीआईपीपी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तक समूह की संस्थाएं 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण' में होंगी, इसलिए प्रवर्तक समूह की संस्थाओं में किसी भी

एफडीआई/एफआईआई निवेश को नए बैंक के लिए समग्र 49 प्रतिशत एफडीआई/एफआईआई सीमा की गणना में नहीं माना जाएगा। क्या हमारा समझना गलत है, क्या बैंक में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ऊपर बताए गए अनुपात के आधार पर गिना जाएगा?

उ. (323 और 324) चूंकि एनओएफएचसी उन संस्थाओं/समूहों के पूर्ण स्वामित्व में होगा जो 'निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं' [औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के 2009/फेमा के प्रेस नोट 2, 3 और 4 में परिभाषित अनुसार समय-समय पर संशोधित नियम], एनओएफएचसी के तहत धारित बैंक में विदेशी निवेश की गणना के लिए इन कंपनियों के माध्यम से विदेशी निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2(एफ)]

प्र.325. क्या फेमा 20 की अनुसूची 4 के तहत एनआरआई निवेश (गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर) को 49 प्रतिशत सीमा के रूप में गिना जाता है?

उ. हाँ। फेमा 20 की अनुसूची 4 के तहत एनआरआई निवेश (गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर) को 49 प्रतिशत सीमा के रूप में गिना जाता है।

प्र.326. क्या एनओएफएचसी और बैंक बोर्ड में वे पात्र व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हैं?

उ. एनओएफएचसी और बैंक के बोर्ड में पात्र व्यक्तियों, जो अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हैं, के होने पर कोई रोक नहीं है। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (जी) (vii)]

प्र.327. क्या एनओएफएचसी को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है जो एनओएफएचसी का प्रवर्तक/शेयरधारक है?

प्र.328. कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह प्रावधान उन प्रवर्तक समूहों पर लागू होगा जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा पदोन्नत किया जाता है और जहां ऐसे पेशेवर अपने पिछले अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न वित्तीय सेवा संस्थाओं के स्वामी और प्रबंधक हैं।

उ. (327 और 328) एनओएफएचसी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए जो पूर्णकालिक रोजगार में है और वह किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं है (बैंक या एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी या धारा 25 कंपनी के अलावा) और किसी अन्य व्यवसाय या कारोवार में संलग्न नहीं है। [दिशानिर्देश का पैरा 2(जी)(ii)(ए) और (बी)]। एनओएफएचसी, बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में स्वामित्व और प्रबंधन अलग और अलग होगा। [दिशानिर्देशों का पैरा 2(जी)(vii)]

प्र.329. क्या एनओएफएचसी और बैंक प्रबंधन (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एमडी/सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीआरओ, आदि) अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हो सकते हैं?

उ. एनओएफएचसी और बैंक के कार्यपालकों के रूप में पात्र व्यक्तियों, जो अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हैं, पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, कार्यपालक अधिकारी जैसे कि एमडी/सीईओ,

सीओओ, सीएफओ और सीआरओ, आदि जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, उन्हें भारत में निवासी के रूप में होना होगा। बैंक के अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ होनी चाहिए। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (जी) (vii)] और दिनांक 2 अगस्त 2005 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति 2005 -2006/142]

प्र.330। पैरा 2(जी) (ii) के अनुसार, कोई एनओएफएचसी ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाएगा,

(ए) जो किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं है

I. एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी या

II. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत किसी कंपनी या

(बी) जो किसी अन्य व्यवसाय या कारोबार में संलग्न हैं।

क्या ये प्रतिबंध मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति पर लागू होंगे (जैसा कि प्रस्तावित कंपनी विधेयक 2012 में परिभाषित है)?

प्र.331. दिशानिर्देशों के पैरा 2 (जी) (ii) दर्शाता है कि -

किसी भी एनओएफएचसी का प्रबंधन किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा-

(ए) जो किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं है

I. एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी या

II.कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी या

(बी) जो किसी अन्य व्यवसाय या कारोबार में लगे हुए हैं

आरबीआई स्पष्ट करता है कि ये प्रतिबंध मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति पर लागू होंगे (जैसा कि कंपनी विधेयक 2012 में प्रस्तावित है)।

उ. (330 और 331) इसमें व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एनओएफएचसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी भी नाम से पुकारा जाता है, जो पूर्णकालिक आधार पर एनओएफएचसी का प्रबंधन करता है और किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं है (अन्य बैंक या एनओएफएचसी की अनुषंगी कंपनी या धारा 25 कंपनी) और किसी अन्य व्यवसाय या कारोबार में संलग्न नहीं है।

प्र.332. वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रीय विनियामकों के पास पूंजी आवश्यकता के लिए एक सरल सूत्र है। क्या अन्य विनियामकों द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं में जोखिम भारित आस्ति की गणना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली एक अलग प्रणाली / तंत्र है?

उ. एनओएफएचसी को पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के आधार पर समेकित आधार पर पूंजी पर्याप्तता और अन्य आवश्यकताओं को बनाए रखना चाहिए जिसे कि बेसल II ढांचे के तहत जारी नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) और भारत में बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश के तहत जारी किया गया है। [दिशानिर्देश का पैरा 2(एच)(iii) (ए)]।

प्र.333. क्या एनओएफएचसी का उधार/लीवरेज प्रवर्तक समूह के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है?

उ. हाँ। चुकता इक्विटी पूंजी और मुक्त भंडार के 1.25 गुना के लाभ के अधीन, एनओएफएचसी प्रवर्तक समूह के भीतर और समूह के बाहर दोनों संस्थाओं से उधार ले सकता है [दिशानिर्देश का पैरा 2(एच)(i)(जी)]।

प्र.334. व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने की प्रकृति क्या है (एक्सेल मॉडल/वर्ड फ़ाइल/कोई अन्य प्रारूप)?

उ. व्यवसाय योजना किसी भी प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकती है। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (जे)]

प्र.335. इसके अलावा, क्या अनुमोदन की आवश्यकता तब होगी जब एनओएफएचसी का कोई शेयरधारक पहली बार 5% की सीमा को पार करता है या क्या ऐसे शेयरधारक के 5% की सीमा को पार करने पर हर बार इसकी आवश्यकता होगी? यह परिदृश्य तब उत्पन्न हो सकता है जब 5% से कम रखने वाला शेयरधारक पहले दौर में 5% को पार करने के लिए शेयरों का अधिग्रहण करता है, पूंजीकरण के दूसरे दौर में 5% से कम हो जाता है और फिर से पूंजीकरण के तीसरे दौर में 5% को पार करने के लिए शेयर प्राप्त करता है।

उ. जब भी शेयरधारिता 5 प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा तक पहुंचती है तो अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता होगी। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (के) (ii)]

प्र.336. दिशानिर्देशों के खंड 2(के)(ii) में, 'शेयरों का अधिग्रहण' का अर्थ बैंक के शेयरों का 'प्रत्यक्ष' अधिग्रहण होगा या इसमें बैंक के ऊपर किसी भी इकाई के शेयरों का अधिग्रहण भी शामिल है जो बैंक की वोटिंग इक्विटी का 5% या उससे अधिक प्रभावी रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण में परिणत होगा?

प्र.337. यदि हाँ, तो बैंक में शेयरधारिता के ऐसे 'अप्रत्यक्ष' अधिग्रहण की गणना 5% सीमा के प्रयोजन के लिए कैसे की जाएगी?

प्र.338. कृपया 2(के)(iii) में संदर्भित बैंक में किसी इकाई की 'अप्रत्यक्ष' शेयरधारिता के अर्थ को विस्तृत और स्पष्ट करें।

उ. (336 से 338) नहीं। दिशानिर्देशों के पैरा 2(के)(ii) और 2 (के)(iii) के उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की शेयरधारिता पर विचार किया जाएगा। अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का अर्थ उन

संस्थाओं के माध्यम से बैंक में शेयरधारिता से है जिसमें एक व्यक्ति लेखा मानक 23 में परिभाषित 'महत्वपूर्ण प्रभाव' या 'नियंत्रण' रखता है।

प्र.339. कृपया उन व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/विवरण निर्दिष्ट करें जो एनओएफएचसी और बैंक की वोटिंग इक्विटी की सदस्यता लेंगे।

प्र.340. कृपया स्पष्ट करें कि क्या इस खंड में निर्धारित जानकारी को प्रवर्तक समूह में सभी संस्थाओं या केवल उन प्रवर्तक समूह संस्थाओं के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है जो एनओएफएचसी की वोटिंग इक्विटी का अभिदान लेंगे।

उ. (339 और 340) एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग लेने वाले प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पिछले दस वर्षों के वित्तीय विवरण और उनके आवेदन जमा करने के समय, पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, जैसा उपयुक्त हो प्रदान करन होगा। अन्य समूह संस्थाओं के संबंध में अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण, जो एनओएफएचसी के वोटिंग इक्विटी शेयरों में भाग नहीं लेते हैं, को भी प्रस्तुत करना होगा। विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रवर्तकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित का विवरण और प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों द्वारा प्राप्त क्रेडिट/अन्य सुविधाओं का विवरण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। [दिशानिर्देशों के अनुबंध II का पैरा 3]। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की मांग करते हुए बैंक की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का कुल मिलाकर 5 प्रतिशत या उससे अधिक का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति / संस्था / समूह द्वारा उपरोक्त जानकारी भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। [दिशानिर्देशों के पैरा 2 (के) (ii)]

प्र.341. कृपया बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में 25% शाखाओं को बनाए रखने के मानदंड पर स्पष्टता प्रदान करें:

• क्या यह टियर 1 केंद्र शाखाओं के रूपांतरण पर है?

• क्या यह नई शाखाओं के उद्घाटन पर है?

• या क्या यह उन सभी एनबीएफसी शाखाओं पर है जिन्हें परिवर्तित करने की मांग की गई है?

उ. बैंक को अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों [दिशानिर्देश का पैरा 2 (के) (vii)] में खोलनी होंगी। इसका मतलब यह होगा कि शाखाओं की कुल संख्या में से, बैंक संचालन के पहले वर्ष में नई शाखाओं की स्थापना करके और एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को आरबीआई द्वारा अनुमति के अनुसार बैंक शाखाओं में परिवर्तित करके खोलते हुए [दिशानिर्देश का पैरा 2 (एल)]], 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में होनी चाहिए। यह नियम प्रत्येक आने वाले वर्ष में लागू होगा।

प्र.342. एनओएफएचसी के अलावा किसी भी एकल संस्था या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास बैंक की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा। संसद द्वारा पारित बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुसार, आरबीआई को मतदान के अधिकार की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने का अधिकार दिया गया है। कानून में बदलाव के मद्देनजर, नए बैंकों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जा सकता है।

प्र.343. संसद द्वारा पारित बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुसार, आरबीआई को मतदान के अधिकार की सीमा को 10% से बढ़ाकर 26% करने का अधिकार दिया गया है। कानून में बदलाव के मद्देनजर, नए बैंकों के लिए 10% की सीमा को बढ़ाकर 26% किया जा सकता है।

उ. (342 और 343) यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा नीति के अनुसार एनओएफएचसी के अलावा किसी भी इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास बैंक की वोटिंग इक्विटी पूंजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता या नियंत्रण नहीं होगा। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के संदर्भ में, मतदान के अधिकार को चरणों में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने के मुद्दे पर आवश्यक होने पर विचार किया जाएगा और अलग से अधिसूचित किया जाएगा। [दिशानिर्देश का पैरा 2 (के) (iii)]

प्र.344. क्या बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है?

प्र.345. क्या बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए बीसी मॉडल बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है?

उ. (344 और 345) नहीं। परिभाषा के अनुसार व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) बैंकों के एजेंट हैं, न कि उनके कर्मचारी।

प्र.346. यदि कोई आवेदक डोर टू डोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो क्या आरबीआई द्वारा जारी बीसी पर मौजूदा दिशानिर्देशों को देखते हुए बड़े पैमाने पर डोर टू डोर बैंकिंग मॉडल स्वीकार्य होगा?

प्र.347. यदि कोई विशेष आवेदक डोर टू डोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो क्या आरबीआई को आवेदक द्वारा बड़े पैमाने पर डोर टू डोर बैंकिंग मॉडल का उपयोग करने में समस्या होगी?

उ. (346 और 347) बैंकों के प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह शाखाओं के अलावा, बीसी/आईसीटी मॉडल अपनाकर वित्तीय समावेशन के लिए अपनी योजना तैयार कर सकते हैं। नया बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2007 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीएल.बीसी.59/22/22.01.010/2006-207 और दिनांक 24 मई 2007 के परिपत्र डीबीओडी. सं.बीएल.बीसी.99/22.01.010/2006-07 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा तक और तरीके से डोर स्टेप बैंकिंग कर सकता है।

प्र.348 क्या लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवास वित्त कंपनी (एनएचबी द्वारा शासित) पर लागू शर्त वही होंगे जो एनबीएफसी के लिए लागू होते हैं?

उ. हाँ। एनएचबी द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) के प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह जो बैंक को बढ़ावा देना चाहते हैं या एचएफसी को बैंक में परिवर्तित करना चाहते हैं, उन्हें दिशानिर्देशों के पैरा 2(एल) में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा।

प्र.349. जहां बैंक का गठन एनबीएफसी से आस्ति/ऋण पोर्टफोलियो आदि के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, तो प्रीमियम पर शेयर जारी करके प्रतिफल का निपटान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक के पूंजीकरण की गणना के लिए प्रतिभूति प्रीमियम पर विचार किया जाएगा।

प्र.350 किसी बैंक के लिए प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता के संबंध में, क्या यह 2डी(i) और 2एल(बी) की शर्त के अनुसार ₹ 5 बिलियन की निवल संपत्ति है या ₹ 5 बिलियन की प्रदत्त इक्विटी पूंजी है?

प्र.351. जहां बैंक का गठन एनबीएफसी से आस्ति/ऋण पोर्टफोलियो आदि के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, वहां शेयर जारी करके प्रतिफल का निपटान किया जाएगा, जो कि प्रीमियम पर शेयर जारी करने से हो सकता है। आरबीआई कृपया स्पष्ट करे कि बैंक के पूंजीकरण की गणना के लिए क्या प्रतिभूति प्रीमियम पर विचार किया जाएगा।

उ.(349 से 351) बैंक के पास ₹5 बिलियन के शुरुआती वोटिंग इक्विटी शेयर होंगे। इस प्रयोजन के लिए, शेयर/प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि, किसी एनबीएफसी के बैंक में रूपांतरण के मामले में, बैंक के पास हर समय ` 5 बिलियन का न्यूनतम नेटवर्थ होना चाहिए। [दिशानिर्देश का पैरा 2(डी)(i) और 2(एल)(बी) और (सी)]

प्र.352. क्या आरबीआई लाइसेंस की न्यूनतम और अधिकतम संख्या पर एक सीमा/अनुमान प्रदान कर सकता है जिसे वह जारी करने की योजना बना रहा है?

उ. कोई पूर्व निर्धारित संख्या नहीं है। नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदनों पर विचार करते समय आरबीआई बहुत चयनात्मक होगा। यह बहुत उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों की तलाश करेगा। इसलिए, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को लाइसेंस जारी करना संभव नहीं हो सकता है। [दिशानिर्देश का पैरा 4(ii)]

प्र.353. सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की समय-सीमा क्या है? क्या सभी स्वीकृतियां एक बार में दी जाएंगी या एक समयावधि में?

उ. जैसा कि दिशा-निर्देशों में बताया गया है, लाइसेंस के लिए आवेदन 1 जुलाई, 2013 तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद, एक विस्तृत उचित सावधानी प्रक्रिया शुरू की जानी है, और पैरा 4(iii) से (v) में उल्लिखित सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद दिशा-निर्देशों के आधार पर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। इस स्तर पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा।

प्र.354. क्या बैंक को केवल सैद्धांतिक अनुमोदन देने के 1 वर्ष के भीतर शामिल होना आवश्यक है या बैंकिंग व्यवसाय शुरू करते हुए (अर्थात जमा स्वीकार करना, ऋण देना, आदि), आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करना और कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने की भी आवश्यकता है?

उ. बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने के बाद, प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूहों को एनओएफ़एचसी और बैंक को सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर स्थापित करना होगा और बैंक को इस अवधि के भीतर बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और अधिनियम की धारा 23 के तहत शाखाएं खोलने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकार पत्र प्राप्त करते हुए बैंकिंग व्यवसाय शुरू करना होगा।

प्र.355. क्या प्रवर्तक समूह की किसी इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को प्रवर्तक समूह का हिस्सा माना जाएगा?

उ. दिशानिर्देशों के अनुबंध I में प्रवर्तक /प्रवर्तक समूह की परिभाषा दी गई है। तदनुसार, प्रवर्तक समूह की किसी भी इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को प्रवर्तक समूह के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे दिशानिर्देशों के अनुबंध 1 की परिभाषा में नहीं आते हैं।

प्र.356. शब्द 'प्रमोटर समूह से जुड़े व्यक्तियों' को विशिष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। क्या वे लोग जो प्रमोटर/प्रमोटर समूह संस्थाओं के कर्मचारी/निदेशक/शेयरधारक हैं, को 'प्रमोटर समूह से जुड़े व्यक्ति' के रूप में माना जाएगा?

उ. दिशानिर्देशों के पैरा 2(I)(iii) में संदर्भित शब्द 'प्रमोटर ग्रुप से जुड़े व्यक्ति' की परिभाषा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के सिद्धांतों द्वारा निदेशित होगी।

प्र.357. प्रमोटर का अर्थ है, वह व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों के साथ (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित), वोटिंग इक्विटी शेयरों के अपने स्वामित्व के आधार पर, एनओएफएचसी के प्रभावी नियंत्रण में है, और जहां भी लागू हो, सभी संस्थाएं शामिल हैं जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। "प्रभावी नियंत्रण" शब्द को स्पष्ट किया जा सकता है।

प्र.358. शब्द "प्रभावी नियंत्रण" कृपया स्पष्ट किया जा सकता है।

उ. (357 और 358) शब्द 'प्रभावी नियंत्रण' का अर्थ है कोई भी व्यवस्था चाहे शेयरहोल्डिंग या करार के रूप में या अन्यथा, जो नियंत्रण के अभ्यास को सक्षम बनाता है।

प्र.359. आपसे अनुरोध है कि कृपया धन के स्रोत के सत्यापन के लिए आरबीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण विस्तृत करें।

उ. आवेदकों को उन व्यक्तियों/संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, जो प्रस्तावित एनओएफएचसी और बैंक की वोटिंग इक्विटी पूंजी (शेयरधारिता पैटर्न) की सदस्यता लेंगे, जिसमें प्रस्तावित बैंक में विदेशी इक्विटी भागीदारी भी शामिल है। आवेदनों के समर्थन में प्रमोटरों की

पृष्ठभूमि, उनकी विशेषज्ञता, व्यापार का ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय मूल्य, मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेख और पिछले दस वर्षों के लिए प्रमोटर संस्थाओं के नवीनतम वित्तीय विवरण, पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न , विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रमोटरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों का विवरण, प्रमोटरों/प्रमोटर इकाई(यों)/अन्य समूह इकाई(यों) द्वारा प्राप्त क्रेडिट/अन्य सुविधाओं के विवरण के साथ-साथ बैंक/वित्तीय संस्थान की शाखाओं का विवरण जहां ऐसी सुविधाएं प्राप्त थीं/हैं पर विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। प्रमोटर आवेदनों का समर्थन करने वाली कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, आरबीआई किसी भी अन्य अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है, जैसा कि उचित समय पर आवश्यक हो सकता है। [दिशानिर्देशों के अनुबंध II के अनुच्छेद 2 से 4]।

विनियामक सुदृढ़ता और संक्रमण संबंधी मुद्दों से संबंधित प्रश्न

(प्रश्न संख्या 360 से 422)

प्र.360. बड़ी मात्रा में एनबीएफसी बैलेंस शीट को एक बार में बैंकिंग क्षेत्र में स्थानांतरित करने से नए बैंक और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए अधिक व्यापक रूप से प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकते हैं। एनबीएफसी बुक से संबंधित एसएलआर डिफरेंशियल और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट को कवर करने के लिए न्यू बैंक को पूरी तरह से अनुमति देने के लिए इंक्रीमेंटल कैपिटल की आवश्यकता, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी क्रेडिट चुनौती पैदा कर सकती है। एक उदाहरण के रूप में, मान लें कि भारत में दस प्रमुख एनबीएफसी एक बैंक में परिवर्तित हो जाएंगी, इसका अर्थ होगा ₹ 2,50,000 करोड़ का बही रूपांतरण। उसका मतलब लगभग ₹ 70,000 करोड़ की अतिरिक्त एसएलआर आवश्यकता और ₹ 70,000 से ₹ 80,000 करोड़ के बीच की पीएसएल आवश्यकता होगी (मौजूदा पुस्तक से कुछ कवरेज पीएसएल मानते हुए)। इसका मतलब लगभग `1,50,000 मूल अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं होंगी, जिनके महत्वपूर्ण प्रणालीगत प्रभाव होंगे। अलग से एनबीएफसी द्वारा इस ऋण बही का समयपूर्व समापन एक महत्वपूर्ण लागत पर आएगा। यह एक नए बैंक के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसी भी एनबीएफसी के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसके अतिरिक्त बैंक के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी संसाधनों को काफी नुकसान हो सकता है।

प्र.361. इस तरह के एनबीएफसी बुक ट्रांसफर के तत्काल अस्थिर करने वाले प्रभाव से बचने के लिए, हम एनबीएफसी बुक की आस्ति और देयताओं को चरणबद्ध तरीके से लिखने या स्थानांतरित करने के लिए बैंक परिचालन की शुरुआत से दो साल की अवधि की सिफारिश करेंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि यह केवल एनबीएफसी व्यवसाय पूर्व-स्थानांतरण की मूल पुस्तक पर लागू हो और कोई भी नया व्यवसाय नए बैंक की पुस्तकों में बुक किया जाएगा।

362. दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रमोटर समूह में मौजूदा वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया में स्टांप शुल्क, आयकर आदि के माध्यम से पर्याप्त अनपेक्षित लागत शामिल है (उदाहरण के लिए एनओएफएचसी के लिए मैट निहितार्थ एनओएफएचसी गैर-परिचालन इकाई होगी जिसमें एमएटी के तहत कोई ऑफसेट उपलब्ध नहीं होगा), इसलिए, इस बोझ से बचने के लिए विभिन्न

विधानों में उचित बदलाव की आवश्यकता होगी। हम अनुरोध करते हैं कि प्रासंगिक विधानों में संशोधन होने तक उपयुक्त संक्रमण अवधि प्रदान की जाए।

प्र.363. यदि केवल कुछ मौजूदा एनबीएफसी शाखाओं को बैंक शाखा में परिवर्तित करना संभव है (बिना बैंक वाले ग्रामीण केंद्र में 25 प्रतिशत शाखाओं के मानदंड के आधार पर), तो कृपया स्पष्ट करें कि क्या अन्य शाखाएँ तब तक व्यवसाय कर सकती हैं जब तक वे बैंक शाखा में परिवर्तित नहीं हो जातीं? एनबीएफसी की 75 प्रतिशत शाखाओं को बैंक शाखा में बदलने के लिए 7-10 वर्ष की संक्रमण अवधि प्रदान की जाए। एक निश्चित अवधि के लिए एनबीएफसी और बैंक शाखाओं दोनों का सह-अस्तित्व होना चाहिए। इस संक्रमण काल में, हम अनुरोध करते हैं कि एसएलआर और सीआरआर की आवश्यकता केवल बैंक की बैलेंस शीट पर लागू होगी।

प्र.364. बैंक में रूपांतरण का विकल्प चुनने वाली एनबीएफसी (मौजूदा ऋण आस्तियों और उधार के साथ) 1 दिन (बैंक में परिवर्तित होने) पर एक्सपोजर मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, सीआरआर, एसएलआर आदि के संबंध में मानदंडों के चरणवार कार्यान्वयन को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह विनिर्दिष्ट किया जा सकता है कि एक्सपोजर मानदंडों को बैंक के नए उधार/उधार/एक्सपोजर पर लागू किया जाए।

प्र.365. एनबीएफसी इंट बैंक के रूपांतरण के मामले में, क्या प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य केवल बैंकिंग परिचालन शुरू होने के बाद जारी किए गए नए ऋणों पर लागू होंगे? या वे मौजूदा पोर्टफोलियो पर भी लागू होंगे? ऐसे मामले में, क्या उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय मिलेगा?

प्र.366. यदि एक समूह में एक या एक से अधिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे मौजूदा व्यवसाय को स्थानांतरित करके एक नया बैंक बनाया जाता है, तो क्या आरबीआई नए बैंक को अनुपालन करने के लिए कुछ समय प्रदान करेगा:

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य और उप-लक्ष्य?

(ii) पूंजी बाजार जोखिम मानदंड?

(iii) एकल और समूह उधारकर्ता सीमाएँ?

(iv) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर लिमिट?

(v) सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताएं

(vi) प्रावधान मानदंड?

367. बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली बड़ी मौजूदा एनबीएफसी, जिन्हें दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी आस्ति बैंक को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी, को बैंक के संचालन शुरू होने की तारीख से तुरंत पीएसएल आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। क्या एक बैंक जो

प्रायोजक एनबीएफसी इकाई से स्थानांतरित एक बड़ी परिआस्ति बही के साथ परिचालन शुरू करता है, को पीएसएल आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के लिए पांच साल की अवधि तक की ग्रैंडफादरिंग की छूट दी जा सकती है? कृपया स्पष्ट करें।

प्र.368. बैंक लाइसेंस के लिए एनबीएफसी आवेदक जिनके पास बॉन्ड/ईसीबी के रूप में बड़ी मौजूदा उधारी है, वे मौजूदा बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसी एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करने या अपनी आस्ति और देयताओं को एक नए बैंक में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी, तो क्या एनबीएफसी की पुरानी उधारी को बैंक में परिपक्वता तक ग्रैंडफादरिंग की जा सकता है? कृपया स्पष्ट करें।

प्र.369. उन गतिविधियों की स्थिति क्या होगी जो बैंक में प्रतिबंधों के साथ अनुमत हैं (जैसे शेयरों पर ऋण) या अनुमत नहीं हैं (जैसे प्रमोटर वित्तपोषण, भूमि की खरीद के लिए ऋण)? क्या समूह एनबीएफसी में ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं?

प्र.370. इसी तरह व्यवसायों के लिए परिआस्ति देयता बेमेल होने की संभावना है (बुनियादी ढांचा, बड़ी आस्ति बही), क्या कोई अपवाद है? क्या सीआरआर/एसएलआर आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा? क्या पीएसएल को एनबीएफसी से माइग्रेट की जाने वाली मौजूदा बही के आधार पर या नई आस्ति के आधार पर लागू किया जाएगा?

प्र.371. चूंकि एनओएफएचसी समूह में केवल वित्तीय सेवा संस्थाओं में निवेश करेगा, यह ऐसी संस्थाओं के लिए जोखिम सीमा का उल्लंघन कर सकता है।आरबीआई स्पष्ट कर सकता है कि ये सीमाएं एनओएफएचसी द्वारा प्रमोटर समूह से संबंधित वित्तीय सेवा संस्थाओं में निवेश पर लागू नहीं होंगी।

प्र.372. एनबीएफसी की मौजूदा गतिविधियों (जो बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जा सकती है) के हस्तांतरण के मामले में, आरबीआई सभी मौजूदा टियर 1 शाखाओं / स्थानों को बैंक शाखाओं में बदलने की अनुमति देगा। उन टियर 1 शाखाओं का क्या होगा जिन्हें बैंक शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है?

प्र.373. क्या नए बैंक को संचालन शुरू होने के वर्ष से अपने संपूर्ण प्रारंभिक ऋण आस्ति पोर्टफोलियो पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ('पीएसएल') लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है?

प्र.374. क्या आरबीआई एनबीएफसी से बैंक द्वारा अधिग्रहित ऋण आस्ति पोर्टफोलियो के स्टॉक पर पीएसएल लक्ष्य का पालन करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रदान करने का इरादा रखता है?

प्र.375. क्या एनओएफएचसी को समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन करने के लिए कुछ समय मिलेगा?

प्र.376. क्या एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय सेवा संस्थाओं को स्टैंडअलोन आधार पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करने के लिए कुछ समय मिलेगा?

प्र.377. यदि एक परिचालन एनबीएफसी में विदेशी शेयरधारिता वर्तमान में 74 प्रतिशत की वर्तमान अनुमत सीमा के भीतर 49 प्रतिशत से अधिक है, तो हम मानेंगे कि इसे निर्धारित 49 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए एक सुद्रद्ता विंडो दी जाएगी?

प्र.378. यदि आवेदन के समय और सिद्धांत रूप में लाइसेंस प्रदान करने के समय एनबीएफसी की कार्यशील शाखाएँ हैं, और यदि एनबीएफसी 25 प्रतिशत ग्रामीण शाखाओं के नियम का पालन करती है, जब तक कि उसे व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, तो क्या हम सभी मान सकते हैं मौजूदा एनबीएफसी शाखाओं को बैंक शाखाओं में परिवर्तन के लिए स्वत: अनुमोदन प्राप्त होगा?

प्र.379. वर्तमान व्यवसाय मॉडल के परिणामस्वरूप, यदि किसी एनबीएफसी के पास कम लागत वाले आवास, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शैक्षिक ऋण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण जैसी कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की श्रेणियों के लिए अधिक ऋण है, तो क्या हम मानते हैं कि आरबीआई एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कृषि ऋण (जैसे 3-5 वर्ष) पर सुद्रद्ता पर विचार करेगा?

प्र.380. कुछ एनबीएफसी जो ट्रक या छोटे खुदरा/एमएसएमई के लिए अधिक विशिष्ट हैं, ने समान रुचि और विशिष्ट निजी इक्विटी निवेशकों को आकर्षित किया है। उनके द्वारा परिकल्पित और निवेश किए गए पूर्ण वर्तमान व्यवसाय मॉडल को पूरी तरह से अलग करने में समस्याएँ हो सकती हैं। वर्तमान मात्रा भी बहुत बड़ी है, इसलिए इनका आकार कम करना व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसलिए, मौजूदा एनबीएफसी को साथ में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्र.381. वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने की चुनौतियों को देखते हुए, जैसे उच्च जोखिम की भूख, पूंजी की आवश्यकताएं आदि, नए बैंकों की ओर से उनकी वित्तीय समावेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई की ओर से कोई सुद्रद्ता होने जा रही है, (जैसे तकनीकी सहायता, 25 प्रतिशत बैठक के लिए लंबी समय सीमा) सेंट शाखा आवश्यकता।

प्र.382. जैसा कि दिशानिर्देश बैंक में मौजूदा व्यवसायों के हस्तांतरण/विलय पर विचार करते हैं, एक से अधिक कंपनियों को शामिल करने वाली संरचना की आवश्यकता हो सकती है। इनमें संभावित कर और अन्य विनियामक प्रभाव होंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह की विनियामक / कराधान आवश्यकताओं से एक बार छूट / छूट होगी क्योंकि ऐसी कोई भी संरचना केवल दिशानिर्देशों और / या जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप होगी।

प्र.383. एनबीएफसी के बैंक में परिवर्तित होने के मामले में, चूंकि आरबीआई कंपनी की सभी मौजूदा आस्तियों और देयताओं को नए बैंक की बैलेंस शीट पर स्थानांतरित करने पर जोर देने जा रहा है, इसलिए आरबीआई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) प्राप्त करने के लिए संक्रमण का समय देना चाहिए। , सीआरआर और एसएलआर लक्ष्य। वैकल्पिक रूप से, यदि इन लक्ष्यों को पहले दिन से लागू किया जाना है (जैसा कि दिशानिर्देश प्रस्तावित हैं), तो ऐसे लक्ष्य नई और वृद्धिशील आस्तियों और जमाराशियों पर लागू होंगे। मौजूदा पोर्टफोलियो के संबंध में, पर्याप्त ट्रांजिशन टाइम होना

चाहिए, क्योंकि मौजूदा बुक में पहले दिन इन लक्ष्यों को पूरा करना असंभव होगा। एनबीएफसी (मौजूदा ऋण आस्ति और उधार के साथ) बैंक में रूपांतरण का विकल्प 1 दिन (बैंक में परिवर्तित होने) पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

आरबीआई विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, सीआरआर, एसएलआर आदि के संबंध में मानदंडों के चरणवार कार्यान्वयन को विनिर्दिष्ट कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, आरबीआई कृपया विनिर्दिष्ट कर सकता है कि इन मानदंडों को बैंक के सभी नए उधार / उधार / एक्सपोजर पर लागू किया जाएगा।

प्र.384. एक बैंक को बढ़ावा देने के लिए अनुमति प्राप्त एक सूचीबद्ध कंपनी को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर विनियामकों/सरकारी प्राधिकरणों से अनुमति सहित बैंक को बढ़ावा देने से पहले आवश्यक सभी पुनर्गठन को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, क्या आरबीआई बैंक को चालू करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर समय बढ़ाने पर विचार करेगा?

प्र.385. मौजूदा एनबीएफसी के बैंक में रूपांतरण की स्थिति में व्यक्तिगत विदेशी शेयरधारिता को 5 प्रतिशत या उससे कम करने के लिए एक समय विंडो है, जहां वर्तमान में एनबीएफसी पर लागू मौजूदा मानदंडों के अनुरूप विदेशी शेयरधारक हैं?

प्र.386. बैंक को विभागीय रूप से किए जा सकने वाले व्यवसाय को स्थानांतरित करने की समय अवधि क्या है, यह देखते हुए कि बैंक मौजूदा एनबीएफसी बुक के आकार को देखते हुए पीएसएल मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है?

प्र.387. उस व्यवसाय को स्थानांतरित करने की समय अवधि क्या है जो बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है (जैसे पूंजी बाजार वित्त), बैंक से बाहर?

प्र.388. अन्य बैंकों (मौजूदा एनबीएफसी की थोक वित्त पोषण प्रकृति को देखते हुए) से सावधि उधारी को कम करने के लिए क्या समय अवधि दी गई है?

प्र.389. . जहां प्रमोटर समूह को अपने मौजूदा संगठन/निवेश संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्या आरबीआई एक संक्रमण अवधि पर विचार करेगा, जिसके दौरान मामला दर मामला आधार पर विनियमों में छूट दी जाएगी ताकि मौजूदा इकाई को प्रभावित किए बिना एक आसान संक्रमण प्रदान किया जा सके। हितधारकों और संचालन में आसानी के लिए?

प्र.390. जहां प्रमोटर को एक मौजूदा एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करना है, क्या आरबीआई एक संक्रमण अवधि पर विचार करेगा, जिसके दौरान इस तरह के विनियमों को मामले के आधार पर माफ कर दिया जाएगा ताकि मौजूदा इकाई को हितधारकों को प्रभावित किए बिना एक आसान संक्रमण प्रदान किया जा सके और संचालन में आसानी?

प्र.391. इसके अलावा, हम समझते हैं कि जहां किसी मौजूदा एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, उसकी शाखाएं टियर 1 शहरों में हैं, ऐसी एनबीएफसी को ऐसी शाखाओं के संचालन

को समाप्त करने के लिए एक संक्रमण अवधि प्रदान की जाएगी, ऐसी शाखाओं को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई। कृपया पुष्टि/स्पष्टीकरण करें।

प्र.392. यदि कोई एनबीएफसी बैंक में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या एसएलआर, प्राथमिकता क्षेत्र और एक्सपोजर मानदंडों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उन्हें कोई संक्रमण अवधि दी जाएगी?

प्र.393. क्या बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू करने से केवल नए अग्रिमों के संबंध में निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम नुस्खे लागू होंगे?

प्र.394. क्या कथित एनबीएफसी बैंक में परिवर्तन होने पर अपने मौजूदा अग्रिम पोर्टफोलियो के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से पूर्ण वितरण के लिए पात्र है।

प्र.395. यदि नहीं, तो क्या उक्त एनबीएफसी को रूपांतरण के समय, परिवर्तन के समय अपने मौजूदा अग्रिम पोर्टफोलियो के संबंध में उक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए 5 से 10 वर्ष की समय सीमा की उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

प्र.396. क्या एनबीएफसी को खुद को बैंकों में परिवर्तित करने के लिए उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के लिए सीआरआर/एसएलआर और पीएसएल अनुपालन के संबंध में ट्रांजिशन टाइम दिया जाएगा ताकि वे मौजूदा एनबीएफसी बुक को नए बनाए गए बैंक में फोल्ड कर सकें।

प्र.397. यदि एनबीएफसी एक बैंक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या आरबीआई नए बैंक को एनबीएफसी के मौजूदा पूंजी बाजार एक्सपोजर पर बैंकों के लिए लागू पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ समय देगा।

प्र.398. कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनकी स्टैंडअलोन आधार पर बैंक के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं लेकिन एनबीएफसी पर नहीं। क्या इस तरह की गतिविधि, शेयरों के एवज में ऋण, एनओएफएचसी के तहत एक मौजूदा एनबीएफसी के माध्यम से ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जो निवल मूल्य के 40 प्रतिशत के समेकित सीएमई को पूरा करने के अधीन है?

प्र. 399. एनबीएफसी के बैंक में रूपांतरण के मामले में, क्या बैंक को एनबीएफसी के मौजूदा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) लेने की अनुमति होगी?

प्र. 400. एनबीएफसी के मामले में, विशेष रूप से ग्रामीण फोकस के साथ, टीयर 1 केंद्रों में स्थित कई शाखाओं के उदाहरण हैं, लेकिन ग्रामीण आबादी / ग्राहकों को पर्याप्त रूप से सेवा दे रहे हैं। शाखा लाइसेंसिंग के उद्देश्य से इन शाखाओं को टीयर 1 के रूप में मानना ग्रामीण जनता/ग्रामीण ग्राहकों/ऐसी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, हमारा अनुरोध होगा कि इन शाखाओं पर विचार किया जाए, जो ग्रामीण ग्राहकों को पर्याप्त रूप से सेवा दे रही हैं, स्वत: रूपांतरण के लिए। विकल्प के रूप में, ग्रामीण ग्राहकों और कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाइयों से बचने के लिए इन शाखाओं के लिए कम से कम 7-10 वर्ष की संक्रमण अवधि प्रदान करना।

प्र.401. दिशानिर्देश में कहा गया है कि किसी भी विदेशी शेयरधारक को प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनबीएफसी से बैंक में रूपांतरण के मामले में, हम मानते हैं कि यदि किसी मौजूदा शेयरधारक के पास 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हिस्सेदारी है, तो उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। कृपया पुष्टि करें।

प्र.402. यदि वित्तीय संस्था का प्रत्यक्ष वित्त व्यवसाय [मुख्य रूप से गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में] नए गठित बैंक को हस्तांतरित किया जाता है, तो क्या विनियामक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार गतिविधियों के निर्माण के लिए कुछ समय देगा कि वित्तीय संस्था की शाखाएं प्रस्तावित नए बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करें (ज्यादातर शहरी और अर्ध शहरी केंद्रों में) और नई ग्रामीण शाखाएं खोलने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि नई ग्रामीण शाखाएं खोलने के लिए एक वर्ष की अनुमति है।

प्र.403. एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से बैंकों में परिवर्तित/विलय किए जाने की स्थिति में, एनबीएफसी में अनिवासियों की शेयरधारिता 49 प्रतिशत से अधिक होने पर क्या स्थिति होगी? क्या इस तरह के परिवर्तन के बाद 49 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त शेयरधारिता को बैंक में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी? यह ध्यान दिया जा सकता है कि विनियमों में अनुमत गतिविधियों को करने वाली एनबीएफसी के लिए स्वत: मार्ग में 100 प्रतिशत विदेशी होल्डिंग की अनुमति है। इसके अलावा, मौजूदा एफडीआई नीति के तहत मौजूदा निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति है।

प्र.404. दिशानिर्देशों के पैरा 2(I) (iii)(जी) में कहा गया है कि प्रमोटर समूह के बाहर वित्तीय और गैर-वित्तीय गतिविधियों में लगी संस्थाओं में बैंक द्वारा इक्विटी में निवेश, निवेशिती के 10 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा। इकाई की प्रदत्त शेयर पूंजी या बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत ... और ऐसे सभी निवेशों का योग .... हम बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एनबीएफसी संस्थाओं द्वारा धारित मौजूदा इक्विटी निवेश के संबंध में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

ए) क्या मौजूदा इक्विटी निवेश जिसमें प्रायोजक एनबीएफसी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के 30 प्रतिशत से कम है, को बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है और उन निवेशों से बाहर निकलने तक ग्रैंडफादर किया जा सकता है? कृपया स्पष्ट करें।

बी) वैकल्पिक रूप से, क्या मौजूदा इक्विटी निवेश जिसमें प्रायोजक एनबीएफसी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का 30 प्रतिशत से कम है, बैंक से अलग एनओएफएचसी की सहायक कंपनी के रूप में एनबीएफसी में हो सकता है? कृपया स्पष्ट करें।

प्र.405. जहां एक मौजूदा एनबीएफसी में, एक अनिवासी शेयरधारक 5% से अधिक इक्विटी रखता है, और इस तरह के एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्या आरबीआई ऐसे अनिवासी शेयरधारक के लिए 2एफ की शर्त के अनुसार 5% तक कम करने के लिए किसी भी संक्रमण समय की अनुमति देगा?

प्र.406. मौजूदा एनबीएफसी के मामले में, क्या इस खंड (सीएआर, एनपीए वर्गीकरण) की प्रयोज्यता पहले दिन से चालू होगी या क्या इसका धीरे-धीरे अनुपालन किया जा सकता है?

प्र.407. बैंक अपनी शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में खोलेगा ताकि महानगरीय क्षेत्रों और शहरों में पहले से ही पर्याप्त बैंकिंग उपस्थिति वाले अपनी शाखाओं की अधिकता से बचा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शाखाओं के अधिदेश को प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है? स्थापना के समय कितने शाखा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे?

प्र.408. आरबीआई बैंक को केवल टीयर 2 से 6 केंद्रों में मौजूदा एनबीएफसी शाखाओं को बैंक शाखाओं में बदलने और बदलने की अनुमति देने पर विचार करेगा। टीयर 1 केंद्रों में एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को केवल आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से ही बैंक शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है। बैंक में परिवर्तित एनबीएफसी की शाखाओं के लिए, टीयर 1 शहरों में जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है, क्या वे गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा उत्पादों जैसे बीमा, परिआस्ति प्रबंधन आदि का संचालन और बिक्री जारी रख सकते हैं?

प्र.409. क्या आरबीआई टीयर 2-6 शहरों में एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को बिना मंजूरी के बैंक शाखाओं में बदलने की अनुमति देगा? क्या इसका अर्थ यह भी होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को सीधे बैंक शाखा में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है?

प्र.410. एक मौजूदा एनबीएफसी की ग्रामीण और बैंक रहित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शाखाएं हो सकती हैं। क्या ऐसी शाखाओं की संख्या की कोई सीमा होगी जिन्हें बैंक शाखाओं/अल्ट्रा-स्मॉल शाखाओं में परिवर्तित किया जाएगा?

प्र.411. एनबीएफसी के बैंक में रूपांतरण के मामले में, क्या बैंक को एनबीएफसी के मौजूदा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) लेने की अनुमति होगी?

प्र.412. कंपनी एस एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो आरबीआई के साथ पंजीकृत है। दूसरों के बीच, कंपनी एस परियोजना वित्त व्यवसाय में लगी हुई है, जो विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ("हस्तांतरणीय व्यवसाय") के लिए ऋण, इक्विटी और मेजेनाइन पूंजी प्रदान करती है। कंपनी एस एसपीवी को मौजूदा परियोजना वित्त व्यवसाय (यानी ऋण आस्ति) को सुरक्षित करने का प्रस्ताव करती है और मौजूदा कर्ज चुकाएगी। परियोजना वित्त व्यवसाय से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए, कंपनी एस को पर्याप्त समय लगेगा (1 वर्ष से अधिक होने की संभावना है)। इस बीच, कोई भी नया व्यवसाय, जो एक बैंक कर सकता है, बैंक द्वारा ही किया जाएगा।

स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

ए) हस्तांतरणीय व्यवसाय के प्रस्तावित पुनर्गठन में समय लगने की संभावना है (1 वर्ष से अधिक)। बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ व्यापार योजना के साथ विस्तृत आवेदन दायर किया जाएगा। क्या हस्तांतरणीय व्यवसाय का हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ आवेदन दाखिल करने के बाद पूरा किया जा सकता है?

बी) इसके अलावा, क्या कोई समय सीमा है, जिसके भीतर इस तरह के व्यवसाय के पुनर्गठन को पूरा करने की आवश्यकता है?

प्र.413. क्या आरबीआई के पास बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले व्यवसाय/कॉर्पोरेट पुनर्गठन को पूरा करने की आवश्यकता है या ऐसे व्यवसाय/कॉर्पोरेट पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ आरबीआई के पास बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आरबीआई के पास आवेदन दाखिल करने के बाद पुनर्गठन की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी समय-सीमा क्या होगी जिसके भीतर इस तरह के पुनर्गठन को पूरा करने की आवश्यकता होगी?

प्र.414. दिशानिर्देशों के पैरा 2एल(ए) में कहा गया है कि, "....एनबीएफसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जिन्हें बैंकों को विभागीय रूप से करने की अनुमति है, उन्हें नए बैंक में स्थानांतरित करना होगा..."। चूंकि इस संदर्भ में प्रायोजक एनबीएफसी से बैंक को आस्ति का हस्तांतरण विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा, क्या ऐसे आस्ति हस्तांतरण को सामान्य रूप से लागू स्टांप शुल्क और अन्य करों से छूट दी जाएगी? कृपया स्पष्ट करें।

प्र.415. (ए) क्या उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को सीधे बैंक शाखा में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है?

बी) क्या आरबीआई के पास मौजूदा एनबीएफसी को जारी किए जाने वाले शाखा लाइसेंस की संख्या की ऊपरी सीमा है, जो एक बैंक बन रहा है। एक मौजूदा एनबीएफसी की ग्रामीण और बैंक रहित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शाखाएँ हो सकती हैं, जिन्हें वह संचालन की शुरुआत में या तो पूर्ण विकसित शाखा या अति लघु शाखा के रूप में बैंक शाखाओं में परिवर्तित करना चाहेगी - चाहे यूएसबी की संख्या, जिसे बैंक में बदलने के समय खोला जा सकता है में कोई ऊपरी सीमा हो ।

(सी) टीयर 1 की शाखाओं के लिए जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है, क्या वे गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा उत्पादों जैसे बीमा, परिआस्ति प्रबंधन आदि का संचालन और बिक्री जारी रख सकती हैं।

प्र.416. यदि आरबीआई द्वारा लाइसेंस की अनुमति दी जाती है, तो एक्सवाईज़ेड को अपने वर्तमान रूप में एक बैंक में परिवर्तित किया जाना है, जिसके लिए शुरुआत में ही बड़ी संख्या में शाखा लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण और बिना बैंक वाले केंद्रों में स्थित है। शेष शाखाओं को बीसी प्वाइंट्स/यूएसबी में बदला जाएगा। क्या इतनी बड़ी संख्या में शाखा लाइसेंस के लिए आवेदन करना आरबीआई को स्वीकार्य होगा?

प्र.417. यदि किसी आवेदक को एनओएफएचसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक छोटी सार्वजनिक कंपनी को एक सूचीबद्ध कंपनी में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो क्या अधिग्रहण कोड का पालन करने के लिए समयसीमा के लिए कोई छूट प्रदान की जाएगी?

प्र.418. मोटे तौर पर, हमने यह मान लिया है कि बैंक के संचालन का क्रम इस प्रकार होगा:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन 1 जुलाई 2013 तक प्रस्तुत किए जाते हैं

बी. आरबीआई आवेदन की समीक्षा करता है और उम्मीदवारों के एक समूह को लाइसेंस के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करता है। 'सैद्धांतिक' अनुमोदन में 'शर्तों-मिसाल' का एक सेट भी शामिल होगा जिसे लाइसेंस प्राप्त करने वाले को वास्तव में बैंकिंग परिचालन शुरू करने से पहले एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

सी. यह आश्वासन देने के बाद कि सभी शर्तें-मिसाल पूरी हो गई हैं, आरबीआई 'बैंकिंग परिचालन के प्रारंभ' का एक पत्र जारी करेगा, जिसमें सटीक तिथि विनिर्दिष्ट होगी, जब से नया बैंक परिचालन शुरू होगा।

प्र.419. जहां एक मौजूदा एनबीएफसी में, एक अनिवासी/बहुपक्षीय एजेंसी शेयरधारक 5% से अधिक इक्विटी रखता है, और ऐसी एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो आरबीआई ऐसे अनिवासी शेयरधारक के लिए किसी भी संक्रमण समय को शर्त 2एफ के अनुसार 5% तक कम करने की अनुमति देगा ?

प्र.420. क्या इस खंड (सीएआर, एनपीए वर्गीकरण) की प्रयोज्यता पहले दिन से लागू होगी या क्या इसका धीरे-धीरे अनुपालन किया जा सकता है?

प्र.421. बैंक में रूपांतरण का विकल्प चुनने वाली एनबीएफसी (मौजूदा ऋण आस्तियों और उधार के साथ) 1 दिन (बैंक में परिवर्तित होने) पर एक्सपोजर मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, सीआरआर, एसएलआर आदि के संबंध में मानदंडों के चरणवार कार्यान्वयन को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह विनिर्दिष्ट किया जा सकता है कि एक्सपोजर मानदंडों को बैंक के नए उधार/उधार/एक्सपोजर पर लागू किया जाए।

422. ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखाओं के अधिदेश को प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है? स्थापना के समय कितने शाखा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे?

विनियामक सुद्रढ़ता और संक्रमण संबंधी मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर स्पष्टीकरण (360-422)

ए) सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताएं

सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव के लिए आरबीआई द्वारा कोई सुद्रढ़ता नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बैंकों के लिए सांविधिक आवश्यकता हैं।

बी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल)

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, चालू वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए पीएसएल लक्ष्यों (समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत) की गणना समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या पिछले वर्ष (अप्रैल-मार्च) के 31 मार्च के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर (ओबीएसई) के समतुल्य ऋण जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है, और लक्ष्यों के तहत उपलब्धियों की गणना अगले वर्ष की 31 तारीख की स्थिति के अनुसार की जाती है।

नए बैंकों को पीएसएल आवश्यकताओं- लक्ष्य और उप-लक्ष्यों का पालन करना होगा। एनबीएफसी से परिवर्तित नए बैंकों के लिए और नए बैंकों के लिए जो समूह संस्थाओं (एनबीएफसी) से ऋण बही प्राप्त करेंगे, मौजूदा अनुदेशों के तहत पीएसएल लक्ष्य और उप-लक्ष्य और उसके तहत उपलब्धियां कारोबार शुरू होने के बाद पूरे पोर्टफोलियो में शामिल होंगी। नए स्थापित बैंकों के पास पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने की तारीख से समय होगा। समय की मात्रा उनके बैंकिंग व्यवसाय के प्रारंभ होने की तिथि पर निर्भर करेगी।

उदाहरण के लिए, यदि फरवरी 2014 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो बैंक को अगस्त, 2015 तक बैंकिंग कारोबार शुरू करना होगा। उस मामले में, बैंक को 31 मार्च, 2017 तक 31 मार्च, 2016 (संदर्भ तिथि) के एएनबीसी आधार पर पीएसएल बनाए रखना होगा। ऐसे परिदृश्य में प्रमोटरों/प्रवर्तक समूहों को पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 37 महीने उपलब्ध होंगे। एक वैकल्पिक परिदृश्य में, यदि बैंक की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन अप्रैल, 2014 में किसी समय प्रदान किया जाता है, तो बैंक को अक्टूबर 2015 तक बैंकिंग कारोबार शुरू करना होगा। यदि बैंक अक्टूबर 2015 तक बैंकिंग व्यवसाय शुरू करता है, तो पीएसएल लक्ष्यों की गणना के लिए एएनबीसी आधार 31 मार्च, 2016 (संदर्भ तिथि) पर स्थानांतरित हो जाता है, और बैंक को 31 मार्च, 2017 तक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है (यानी 'सैद्धांतिक' अनुमोदन जारी करने की तारीख से 35 महीने)। तीसरे परिदृश्य में, यदि जून 2014 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो बैंक को दिसंबर 2015 तक बैंकिंग कारोबार शुरू करना होगा।उस मामले में, बैंक को 31 मार्च, 2017 तक 31 मार्च, 2016 (संदर्भ तिथि) के एएनबीसी आधार पर पीएसएल बनाए रखना होगा। ऐसे परिदृश्य में प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों को नए बैंकों को दी गई मौजूदा ऋण पुस्तिका पर पीएसएल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 33 महीने उपलब्ध होंगे।

सी) विवेकपूर्ण/एक्सपोज़र मानदंड

विवेकपूर्ण/एक्सपोज़र मानदंडों के संबंध में नए बैंकों को कोई विनियामक सुदृढ़ता प्रदान नहीं की जाएगी।

डी) शाखा प्राधिकरण मानदंड

दिशानिर्देश [पैरा 2(एल)] आवश्यकता को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं।

टीयर 2 से 6 केंद्रों के लिए मौजूदा एनबीएफसी शाखाओं को बैंक शाखाओं में बदलने की अनुमति स्वचालित रूप से दी जाएगी। अति लघु शाखाओं (यूएसबी) की संख्या और टियर 2 से 6 केंद्रों में

शाखाओं की संख्या, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह की व्यावसायिक योजनाओं और नए बैंक की आवश्यकता के अनुसार होगी। टियर 1 केंद्रों के मामले में, परिवर्तन केवल आरबीआई के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के साथ और इन केंद्रों में शाखाएं खोलने के संबंध में घरेलू बैंकों पर लागू मौजूदा नियमों/कार्यप्रणाली के अधीन होगा, और दिशानिर्देशों के 2(के) में विनिर्दिष्ट सभी बैंकों के लिए बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में न्यूनतम 25 प्रतिशत बैंक शाखाओं को बनाए रखने के अधीन भी।इस उद्देश्य के लिए, आरबीआई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के तहत प्राधिकरण का एक पत्र जारी करेगा।

टीयर 1 केंद्रों में अतिरिक्त एनबीएफसी शाखाओं के मामले में, ऐसी सभी शाखाएं जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ, बैंक शाखाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। टीयर 1 शाखाओं की पात्र संख्या से अधिक की राशि को बैंक द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के भीतर नए बैंक की भावी पात्रता के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। शेष टियर 1 शाखाओं को तीन वर्ष के अंत में बंद करना होगा। प्रमोटरों/प्रवर्तक समूह को इस संबंध में एक रोडमैप प्रदान करना होगा।

ई) नए बैंकों में एफडीआई

49 प्रतिशत की कुल एफडीआई सीमा और 5 प्रतिशत की व्यक्तिगत अनिवासी शेयरधारिता पहले पांच वर्षों के लिए लागू होगी। प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले आवश्यकता का अनुपालन करना होगा। नए बैंकों पर लागू एफडीआई सीमा के अनुपालन के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

एफ) अन्य संस्थाओं से बैंकों को ईसीबी और मीयादी उधार/बांड का अंतरण

चूंकि आस्ति और देयताओं का हस्तांतरण हमारे दिशानिर्देशों के प्रावधान का पालन करने के लिए समूह संस्थाओं के व्यवसाय के पुनर्गठन का एक हिस्सा होगा, विशेष रूप से एनओएफएचसी संरचना का अनुपालन करने के लिए, नए बैंक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिपक्वता तक ऐसी देयताओं की ग्रैंडफादरिंग की अनुमति दी जाएगी:

i. नए बैंक में स्थानांतरण के उद्देश्य से ईसीबी/एफसीसीबी सदस्यों को नए बैंक की स्थापना के लिए कट्टरता की स्थिति के अनुसार फ्रीज किया जाना चाहिए;

ii. ईसीबी/एफसीसीबी के तहत अन्य विदेशी मुद्रा उधार के साथ नए बैंक को हस्तांतरित की जाने वाली देनदारियां इसकी टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

iii. यदि ये उधार ईसीबी/एफसीसीबी के ग्रैंडफादरिंग के कारण टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो कुल उधारों को विनियामक सीमा के भीतर लाए जाने तक और उधार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. नए बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, एनबीएफसी से ली गई मीयादी उधारी और अन्य सुरक्षित देयताओं की ग्रैंडफादरिंग की अनुमति देते हुए, आरबीआई नए बैंक पर अतिरिक्त पूंजी प्रभार लगाएगा, जहां यह फ्लोटिंग शुल्कों के निर्माण/निरंतरता की अनुमति देगा। नए बैंक की आस्ति पर।

जी) एनओएफएचसी के लिए पूंजी पर्याप्तता

आरबीआई समेकित स्तर पर पूंजी आवश्यकता के अनुपालन के लिए कोई समय विंडो प्रदान नहीं करेगा। इस संबंध में कोई विनियामक सुद्रद्ता प्रदान नहीं की जाएगी।

एच) कर मुद्दे

मामला आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर कानूनों का पालन करना होगा।

आई) अनुमोदन प्रदान करने में विलंब

विनियामकों/सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में देरी के वास्तविक मामलों में, आरबीआई बैंक के संचालन के लिए समय बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

जे) कारोबार का पुनर्गठन और नए बैंकों को आस्ति और देयताओं का हस्तांतरण

नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदनों की प्राप्ति 1 जुलाई 2013 को बंद हो जाएगी। आवेदन करते समय, प्रमोटरों/प्रवर्तक समूहों को एक रोड मैप और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वे दिशानिर्देशों के पैरा 2 (सी) (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट संरचना की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनाएंगे और 18 महीने की अवधि के भीतर एनओएफएचसी (पैरा 2(सी)(iv)) के तहत होने वाली संस्थाओं के बीच व्यापार को फिर से व्यवस्थित करें। बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिए जाने के बाद, प्रस्तावित बैंक को इस अवधि के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। एनओएफएचसी और बैंक की वास्तविक स्थापना, एनओएफएचसी के तहत विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को लाने के लिए प्रवर्तक समूह की संस्थाओं का पुनर्गठन और साथ ही एनओएफएचसी के तहत संस्थाओं के बीच व्यवसाय का पुनर्गठन इस अवधि के दौरान पूरा किया जाना है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को बैंकिंग कारोबार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 18 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर एक बैंक की स्थापना और ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' में निर्धारित विनियमों और शर्तों के अनुपालन पर बैंकिंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।